अध्याय-17

प्रश्न

प्रश्नों के लिए समय

जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें, प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे में प्रश्न पूछे जा सकेंगे और उनके उत्तर दिये जा सकेंगे।[1] सभा की बैठक मध्याह्न-पूर्व 11 बजे आरम्भ होती है और सामान्यत: मध्याह्न 12.00 बजे तक प्रश्नों का समय होता है। इस समयावधि को साधारणतया 'प्रश्नों का समय' के नाम से जाना जाता है।

तथापि, एक बार, ऐसा भी हुआ जब सभा की बैठक मध्याह्न पश्चात् 3 बजे आरम्भ हुई। ऐसा 9 दिसम्बर, 1996 को हुआ जब संविधान सभा की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद् भवन के केन्द्रीय कक्ष में मध्याह्न-पूर्व 10 बजे एक समारोह आयोजित किया गया।[2] तद्नुसार, प्रश्नों का समय मध्याह्न पश्चात् 4 बजे तक चला।

13 मई, 1952 से 26 मई, 1952 तक राज्य सभा की जब पहली बार बैठकें हुईं, तब सभा में ''प्रश्नों का समय'' नहीं रखा गया था। 16 मई, 1952 को हुई सभा की दूसरी बैठक में सभापति ने निम्नलिखित उद्घोषणा की:

> ''...पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त मैंने यह निर्णय लिया है कि हमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार सप्ताह में दो दिन प्रश्नों के लिए समय रखा जायेगा और एक दिन में तीन तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिये जायेंगे और प्रश्नों का चयन उनके प्राप्त होने के क्रमानुसार किया जायेगा।[3]

सभापति द्वारा की गई उद्घोषणा के फलस्वरूप 19 मई, 1952 को एक सदस्य ने निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रश्न उठाया:

> ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अधीन सभापति ने पुराने काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने संबंधी प्रक्रिया में ऐसे सदस्यों के अधिकारों के प्रतिकूल संशोधन किया है।

सभापति ने यह कहा कि यह कोई विशेषाधिकार प्रश्न नहीं है। तथापि, इस पर नियम समिति के गठन के उपरान्त विचार किया जाएगा।[4] सदस्य यह उल्लेख कर रहा था कि पुराने काउंसिल ऑफ स्टेट के स्थायी आदेश के अन्तर्गत प्रत्येक बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए उपलब्ध था[5] न कि सप्ताह में दो दिन ही।

20 मई, 1952 को धन्यवाद प्रस्ताव उपस्थित किये जाने के तत्काल पश्चात् सभापति ने सभा को सूचित किया:

> ...अगले मंगलवार और बुधवार (अर्थात् 27 और 28 मई) को आप यहां प्रश्न पूछ सकेंगे। आपको उनकी सूचना आज या कल दे देनी चाहिए। यदि आप अपने प्रश्न आज या कल पूछ सकते हैं तो उनके उत्तर अगले सप्ताह मंगलवार या बुधवार को दिये जा सकते हैं। पहला आधा घंटा प्रश्नों के लिए होगा।[6]

Server-5\f\264RS5(367-423)

इसके बाद एक बुलेटिन द्वारा सदस्यों को मंगलवार, 27 मई और बुधवार, 28 मई, 1952 को प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के लिए दिवसों के आवंटन की जानकारी दी गई थी।

तद्नुसार 27 मई, 1952 के लिए 3 तारांकित प्रश्नों और 12 अतारांकित प्रश्नों की सूची तैयार की गई और अगले दिवस के लिए 3 तारांकित प्रश्नों और 45 अतारांकित प्रश्नों की सूची तैयार की गई। पहला प्रश्न श्री एस॰ वी॰ कृष्णामूर्ति राव द्वारा पूछा गया था, जो बाद में राज्य सभा के उपसभापति बने।

14 जुलाई, 1952 को सभापति ने यह घोषणा की कि नियम समिति[7] की संस्तुति पर उन्होंने प्रश्नों से संबंधित उपबंधों में कतिपय संशोधन किये हैं। संशोधित नियमों के अंतर्गत, प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में प्रथम घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिये जाने के लिए उपलब्ध होगा। यदि इन दिवसों में से किसी दिवस को सभा की बैठक नहीं होती है, तो आगामी शुक्रवार को भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे और उनके उत्तर दिये जा सकेंगे। प्रत्येक सदस्य तीन तारांकित प्रश्न[8] पूछने के लिए अधिकृत होगा। ये संशोधित उपबंध 21 जुलाई, 1952 से प्रभावी हो गये।[9] 1956 में यह मांग की गई कि शुक्रवार को भी प्रश्नों का समय होना चाहिए। सभापति ने यह बताया कि सभा द्वारा यह निर्णय किया गया था कि राज्य सभा में सप्ताह में चार दिवसों को ही प्रश्नों के लिए समय उपलब्ध होगा।[10] अत: सितम्बर, 1964 तक सप्ताह में चार दिवसों को ही 'प्रश्नों का समय' की व्यवस्था चलती रही।

संविधान के अनुच्छेद 118 के अन्तर्गत प्रक्रिया संबंधी नियमों का प्रारूप बनाने के लिए गठित समिति द्वारा 29 नवम्बर, 1963 को प्रस्तुत किये गये इसके प्रतिवेदन में यह प्रस्ताव किया गया कि प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे को प्रश्नों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तद्नुसार, 9 सितम्बर, 1964 से आरम्भ हुए 49वें सत्र से राज्य सभा में नियमित रूप से सप्ताह में होने वाली सभी पांचों बैठकों में प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिये जाने के लिए समय उपलब्ध करा दिया गया।

प्रश्नों के लिए समय नियत न करना

जैसाकि नियम 38 की आरम्भिक पदावली ''जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें'' से स्पष्ट हो जाता है, हालांकि प्रत्येक बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नोत्तरों के लिए उपलब्ध होता है, सभापति को प्रश्नों के समय का परित्याग करने अथवा प्रश्नों के लिए किसी दिवस अथवा दिवसों का आवंटन नहीं करने का प्राधिकार है। सभा भी इस आशय के किसी प्रस्ताव पर अथवा अन्यथा प्रश्नों के समय को स्थगित करने का निर्णय ले सकती है। अनेक अवसरों पर अन्य कार्य को अधिक समय प्रदान करने के लिए प्रश्नों के समय का परित्याग किया गया है अथवा किन्हीं विशेष कारणों से किसी सत्र विशेष पर्यन्त अथवा किसी सत्र की कुछ बैठकों में प्रश्नों का समय निर्धारित नहीं किया गया है।

15 मार्च, 1954 को उपसभापति ने यह उद्घोषणा की कि ''हिन्दू विवाह और विवाह विच्छेद विधेयक, 1952 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अधिक समय प्रदान करने हेतु'' 16 मार्च, 1954 को ''प्रश्नों का समय'' नहीं होगा। प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक, 1953 पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए पुन: 18 मार्च, 1954 को प्रश्नों के समय का परित्याग कर दिया गया था।[11]

33वें (1961), 93वें (1975), 98वें (1976) और 99वें (1977) सत्रों में प्रश्नों के समय की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि ये सत्र विशेष प्रयोजनार्थ अर्थात् उड़ीसा बजट, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन, संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 और क्रमश: तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति के शासन के अनुमोदनार्थ बुलाये गये थे।[12]

21 जुलाई, 1975 (93वां सत्र) को संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया:

> यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा के वर्तमान सत्र में कतिपय तात्कालिक एवं महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्य के निष्पादनार्थ इस सत्र की तात्कालिक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस सत्र में केवल सरकारी कार्य ही निष्पादित किया जायेगा और सत्रावधि में अन्य कोई भी कार्य नहीं लाया जायेगा अथवा निष्पादित किया जायेगा और इस विषय से संबंधित सभी संगत नियम उक्त समयावधि में स्थगित रहेंगे।

लम्बी बहस के पश्चात् जिसमें प्रश्नों के समय को बचाने संबंधी एक संशोधन को अस्वीकृत कर दिया गया था, उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था। उक्त प्रस्ताव को उपस्थित किये जाने से पूर्व कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा कि प्रस्ताव पारित होने तक नियम अथवा निदेश के किस उपबंध के अंतर्गत प्रश्नों के समय को स्थगित किया गया है। सभापति ने निम्नलिखित व्यवस्था दी:

> ...प्रश्नों के समय के लिए अनुमति प्रदान किया जाना अथवा अनुमति प्रदान नहीं किया जाना इसका निर्णय मुझे करना होता है। ...नियम 38 इस बारे में अत्यन्त सुस्पष्ट है। वर्तमान परिस्थिति के महत्त्व पर विचार करते हुए मैंने स्वयं यह निर्णय लिया है कि प्रश्नों के समय के लिए समय उपलब्ध नहीं होगा। यह सभापति के प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। वह इसका प्रयोग सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहे बिना स्वतन्त्र रूप से करता है। कोई भी व्यक्ति इस पर आपत्ति नहीं कर सकता है।[13]

> 3 नवम्बर, 1976 (98वां सत्र) को इसी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और प्रश्नों के समय को स्थगित कर दिया गया था।[14]

> 41वें सत्र (1962) के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के विभिन्न दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों तथा अन्य संसद्-सदस्यों के साथ एक बैठक की और सभा में यह घोषणा की कि बैठक में उपस्थित व्यक्तियों की यह सर्वसम्मति थी कि 26 नवम्बर, 1962 से प्रश्नों के समय का परित्याग किया जा सकता है।[15]

> 194वें सत्र के दौरान सभापति ने घोषणा की कि 13 दिसम्बर, 2001 को संसद् भवन पर हुए आतंकवादी हमले से उत्पन्न स्थिति पर सभा में चर्चा करने के लिए प्रश्नों के समय का परित्याग किया जाए और तद्नुसार 18 और 19 दिसंबर, 2001 को प्रश्नों के समय का परित्याग किया गया।[16]

> अनेक अवसरों पर अल्प अथवा अपर्याप्त सूचना के कारण 75वें, 100वें, 101वें और 112वें सत्रों के आरम्भिक कुछ दिवसों के लिए प्रश्नों का समय निर्धारित नहीं किया गया था।[17] 78वें सत्र के दौरान सभा ने यह निर्णय किया कि 6 दिसम्बर, 1971 से सत्र की शेष अवधि में (पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के कारण) ''प्रश्नों का समय'' नहीं होगा।[18]

> 201वें सत्र के दौरान प्रश्नों का समय नहीं रखा गया था क्योंकि सत्र के लिए आमंत्रण-पत्र अल्प काल में जारी किया गया था।

बढ़ाई गई सत्रावधि के दौरान प्रश्नों का समय

जब सत्र का विस्तार उसके समापन की मूलत: नियत तारीख से आगे एक दिन या कुछ दिनों के लिए किया जाता है और सत्र के ऐसे विस्तार की घोषणा काफी समय पहले नहीं की जाती है तब बैठकों के बढ़ाये गये दिनों के लिए ''प्रश्नों का समय'' नियत नहीं किया जाता है।[19] सभापीठ द्वारा, सत्र के विस्तार की घोषणा करते समय, तद्नुसार घोषणा की जाती है।

> सभापति की इस घोषणा के पश्चात् कि सदन की बैठकें 1, 2 और 4 अगस्त, 1952 को जारी रहेंगी, एक सदस्य ने पूछा कि क्या सत्र के बढ़ाये गये दिनों में ''प्रश्नों का समय'' होगा? सभापति ने उत्तर दिया कि अधिक कार्य होने की वजह से प्रश्नों का समय नहीं होगा।[20] कुछ दिनों के पश्चात् जब यह मामला उठाया गया तब सभापति ने यह टिप्पणी की: ''हमने इसके पश्चात् सत्र की शेष अवधि की समाप्ति तक कोई प्रश्न न पूछने का निर्णय लिया है।''[21]

यदि सत्र के विस्तार का निर्णय काफी समय पहले ले लिया जाता है जिससे कि सदस्यों को बढ़ाई गई अवधि के दौरान प्रश्नों की सूचनाएं देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये तो, उन दिनों के लिए भी ''प्रश्नों का समय'' नियत कर दिया जाता है।[22]

180वां सत्र जोकि 20 फरवरी से 9 मई, 1997 तक होना था, 16 मई, 1997 तक बढ़ा दिया गया और 30 अप्रैल से 16 मई को हुई बैठकों को उस सत्र का तीसरा चरण माना गया। तथापि, प्रश्नों का समय 5 मई, 1997 से आरम्भ किया गया । पहले तीन दिन अर्थात् 30 अप्रैल, 1997, 1 मई, 1997 (मई दिवस) और 2 मई, 1997 को प्रश्नों का समय नहीं रखा गया।[23]

तथापि, ऐसे मौके भी आये हैं जब सत्र के विस्तार का निर्णय तो काफी समय पहले ले लिया गया किन्तु बढ़ाई गई अवधि के दौरान ''प्रश्नों का समय'' नियत नहीं किया गया।

दिनांक 27 जून, 1980 को एक घोषणा करके 114वें सत्र को 9 जुलाई, 1980 तक बढ़ाया गया था। सत्र के बढ़ाये गये दिनों के दौरान ''प्रश्नों का समय'' का न तो कोई उल्लेख किया गया था और न ही उन दिनों के लिए ''प्रश्नों का समय'' ही नियत किया गया था।[24]

कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी कि 160वें सत्र को बढ़ा दिया जाये और 16, 17 और 18 सितम्बर, 1991 को सदन की बैठक होनी चाहिये। उक्त सिफारिश की घोषणा 5 सितम्बर, 1991 को की गई थी। तथापि, ''प्रश्नों का समय'' नियत नहीं किया गया था। सदन में यह मामला उठाया गया था और उपसभापति ने सदन की भावनाओं से सभापति को अवगत कराने का वचन दिया था। यह मामला 17 सितम्बर, 1991 को पुन: उठाया गया।[25]

200वें सत्र को सरकार की ओर से आगामी निर्वाचनों के दृष्टिगत लेखानुदान पारित करने के लिए बढ़ाया गया था इसलिए इस दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं रखा गया।

जब सत्र के अतिरिक्त दिनों के लिए ''प्रश्नों का समय'' नियत किया जाता है, तब सदस्यों की सूचना के लिए मंत्रालयों और विभागों के वर्गों को दर्शाने वाला एक चार्ट, जिसमें उन वर्गों के लिए प्रश्नों की तारीखें और सूचनाएं प्राप्त करने की अन्तिम तारीखें निर्दिष्ट होती हैं, जारी कर दिया जाता है और उसे संसदीय समाचार में भी अधिसूचित कर दिया जाता है।[26]

बैठक रद्द किए जाने के कारण प्रश्नों के समय का अन्तरण

कभी-कभी ऐसा हुआ है कि जब किन्हीं दिनों के लिए मूलत: नियत बैठकें, ईद, मुहर्रम, होली आदि के अवकाशों में परिवर्तन होने के कारण, रद्द कर दी गईं और उन दिनों के लिए नियत प्रश्नों सहित कार्य, रद्द की गई बैठक के लिए नियत नये दिन के लिए जिसमें शनिवार भी सम्मिलित है, अग्रनीत कर दिया गया।

दिनांक 5 दिसम्बर, 1952 के लिए नियत सदन की बैठक रद्द कर दी गई थी और उस दिन के लिए सूचीबद्ध प्रश्न शनिवार, 6 दिसम्बर, 1952 को लिए गये थे।[27]

ईद-उल-जुहा के उपलक्ष्य में पड़ने वाला अवकाश 27 फरवरी, 1969 के बजाय 28 फरवरी, 1969 को कर दिया गया था। दिनांक 28 फरवरी, 1969 के लिए नियत प्रश्न आदि को बैठक होने पर पूर्ववर्ती दिवस में लिया गया।[28]

होली के उपलक्ष्य में 5 मार्च, 1969 को पड़ने वाला अवकाश 4 मार्च, 1969 को कर दिया गया था। फलस्वरूप, 4 मार्च के लिए नियत प्रश्नों सहित अन्य कार्य 5 मार्च, 1969 को लिया गया।[29]

मुहर्रम के उपलक्ष्य में पड़ने वाला अवकाश 12 दिसम्बर, 1978 के बजाय 11 दिसम्बर, 1978 को कर दिया गया था। फलस्वरूप 11 दिसम्बर, 1978 के लिए नियत प्रश्नों सहित अन्य कार्य 12 दिसम्बर, 1978 को लिया गया।[30]

मिलाद-उन-नबी के उपलक्ष्य में पड़ने वाला अवकाश 7 जुलाई से बदलकर 8 जुलाई, 1998 कर दिया गया था। परिणामस्वरूप बुधवार, 8 जुलाई, 1998 के लिए निर्धारित प्रश्न तथा अन्य कार्य मंगलवार, 7 जुलाई, 1998 को लिया गया।[31]

प्रश्नों के समय का निलम्बन

तकनीकी दृष्टि से ''प्रश्नों के समय'' के निलम्बन हेतु राज्य सभा के प्रक्रिया विषयक नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। तथापि, व्यवहार में जब कभी भी कोई सदस्य प्रश्नों से संबंधित नियम 39 के निलम्बन हेतु प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता है तो उसे किसी नियम के निलम्बन से संबंधित नियम 267 का आश्रय लेना पड़ता है और वह सभापति की सहमति से ही ऐसा कोई प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है।

ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जब सभापति ने ''प्रश्नों के समय'' के निलम्बन हेतु प्रस्ताव उपस्थित किए जाने की अनुमति पर अपनी सहमति रोक ली या अन्यथा सदस्यों के अनुरोध के अनुसार ''प्रश्नों के समय'' के निलंबन के लिए सहमत नहीं हुए।[32]

राज्य सभा में पहली बार एक अनुरोध किया गया था कि पश्चिमी बंगाल की सरकार की बरखास्तगी से उत्पन्न वहां की स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रश्नों के समय को निलम्बित कर दिया जाये। सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस प्रयोजनार्थ उनके समक्ष कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया है।[33]

एक बार एक सदस्य, जिसने प्रश्नों के समय को निलम्बित किए जाने की सूचना दी थी, को इसकी अनुमति दी गई कि वह यह बताये कि सभापीठ उसकी सूचना पर क्यों सहमति व्यक्त करे और अन्ततः ''प्रश्नों का समय'' समाप्त हो गया।[34]

ऐसे कुछ मामले जिनमें ''प्रश्नों का समय'' निलम्बित किये जाने का अनुरोध किया गया था किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया था, नीचे दिए गये हैं:

कच्छ अधिकरण पंचाट: सभापति ने सूचित किया था कि प्रधान मंत्री उक्त मामले पर वक्तव्य देंगे और उसके बाद उस पर चर्चा की जायेगी।[35]

उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल: सभापति ने विनिर्णय दिया कि वह प्रश्नों के समय को निलम्बित करने के लिए तैयार नहीं हैं और प्रश्न जारी रहने चाहिये।[36]

इलाहाबाद जेल में छात्रों और अध्यापकों पर लाठी चार्ज: सभापति ने सूचित किया कि उक्त विषय पर ''ध्यान दिलाने की सूचना'' स्वीकार कर ली गई है और उस पर अगले दिन चर्चा की जायेगी।[37]

कुछ सदस्यों ने बोफोर्स तोपों की खरीद के मामले में बिचौलियों की उपस्थिति और दलाली की अदायगी के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा राज्य सभा में कथित रूप से जानबूझकर दिये गये झूठे और गुमराह करने वाले वक्तव्य के लिए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा करने के लिए प्रश्नों के समय को निलम्बित किए जाने की सूचनाएं दी थीं। सदस्यों को सुनने के पश्चात् उपसभापति ने विनिर्णय दिया था कि इस प्रयोजनार्थ ''प्रश्नों का समय'' निलम्बित नहीं किया जा सकता है।[38]

श्री राजीव गांधी के कथित हत्यारों का बच निकलना: सभापति ने टिप्पणी की थी कि प्रश्नों के समय को अन्य सभी कार्यों से अधिक प्राथमिकता दी जायेगी। यदि यह इच्छा व्यक्त की जाती है कि प्रश्नों के समय को न लिया जाये तो इस आशय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया जाना चाहिये और यदि सदन ऐसा चाहता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।[39]

अयोध्या का मामला: जब कुछ सदस्यों ने प्रश्नों के समय को निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव उपस्थित करने की मांग की तो सदन के नेता ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस मामले पर पूर्ववर्ती दिवस को हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए

इसके लिए जोर न दें। सभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की जिसके पश्चात् प्रश्नों के समय की कार्यवाही जारी रही:

> मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रश्नों के समय का निलम्बन, एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिससे समूचे सदन, सदन के प्रत्येक सदस्य विशेषकर, इस सदन में पीछे बैठने वाले सदस्यों के हित प्रभावित होते हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया था कि प्रश्नों के समय को कभी भी निलम्बित नहीं किया जायेगा। अत:, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले पर पैंतालीस मिनट के पश्चात् चर्चा की जाये जैसाकि माननीय गृह मंत्री ने सुझाव दिया है। अब हमें प्रश्नों के समय की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि अगले चालीस मिनट में कोई आपात स्थिति पैदा हो जायेगी। प्रश्न-काल की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में ही समूचे सदन का हित है।[40]

ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जब प्रश्न-काल को निलम्बित किए जाने के प्रस्तावों पर मत लिया गया और वे अस्वीकृत हो गये।[41]

ऐसे दृष्टान्त रहे हैं जब प्रश्नों के समय को निलम्बित करने के लिए प्रस्ताव उपस्थित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया अथवा इसके लिए सर्वसम्मति बनी और आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं,[42] कश्मीर की स्थिति,[43] मेहम घटना (इस पर दो अवसरों पर चर्चा की गई और पहले अवसर पर ''प्रश्नों का समय'' को निलम्बित करने का प्रस्ताव मत-विभाजन द्वारा स्वीकृत हुआ),[44] विपक्षी दल के रूप में कॉंग्रेस (आई) की स्थिति,[45] खाड़ी युद्ध की स्थिति,[46] अयोध्या समस्या (प्रश्नों के समय को निलम्बित करने के लिए उपस्थित किया गया प्रस्ताव मत-विभाजन द्वारा स्वीकृत हुआ),[47] अयोध्या घटना की भर्त्सना संबंधी संकल्प,[48] कश्मीर में 'चरार-ए-शरीफ' का विनाश,[49] 'पुरुषोत्तम एक्सप्रेस' रेल-दुर्घटना,[50] संसद् पर आतंकवादी हमले से उत्पन्न स्थिति,[50क] एक पूर्व मंत्री के संबंध में पता चलने के संदर्भ में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में भ्रष्टाचार से संबंधित मामला[50ख] जैसे तात्कालिक मामलों पर विचार करने के लिए प्रश्नों के समय को निलम्बित किया गया अथवा उसका परित्याग किया गया।

> एक बार, आन्ध्र प्रदेश में किसानों पर गोली चलाए जाने की घटना पर चर्चा करने के लिए प्रश्नों के समय को निलम्बित किए जाने के प्रस्ताव को उपस्थित करने हेतु सहमति दे दी गई थी। किन्तु सूचना देने वाले सदस्य ने प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया और प्रश्नों के समय की कार्यवाही यथावत् जारी रही।[51]

कई बार ऐसा हुआ है कि प्रश्नों के समय का औपचारिक या अनौपचारिक रूप से तो परित्याग नहीं किया गया किन्तु अव्यवस्था, हो-हल्ला या प्रश्नों के पूरे समय के दौरान सदस्यों के कतिपय मामलों के बारे में चर्चा का अनुरोध करते रहने या सभापीठ से प्रश्नों के समय को निलम्बित करने का अनुरोध करते रहने के कारण प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका या सदन को बार-बार अथवा प्रश्नों के समय के बाद तक स्थगित करना पड़ा। ऐसे कुछ मामले जिनकी वजह से प्रश्नों को नहीं लिया जा सका, नीचे दिए गये हैं:

> मंत्रियों/मंत्रालयों के नये नाम;[52] एक महिला सदस्य को गिरफ्तार और निरुद्ध किए जाने;[53] दिल्ली में जल-संकट;[54] महाराष्ट्र में कतिपय न्यासों को आयकर से छूट दिए जाने में हुई अनियमितताएं;[55] जम्मू और कश्मीर की स्थिति;[56] बिहार विधान सभा के चुनावों को स्थगित किया जाना;[57] बिहार विधान सभा के चुनावों की तारीखें बदला जाना;[58] गया में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया जाना;[59] बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना;[60] अपराधियों और राजनेताओं के बीच अन्तर्संबंधों के संबंध में वोहरा समिति का प्रतिवेदन;[61] दूर संचार नीति (175वां सत्र); हवाला लेन-देन (176वां सत्र), तहलका डॉट कॉम रहस्योद्घाटन (192वां सत्र) तथा रक्षा उपकरणों की खरीद पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (194वां सत्र)।

एक अवसर पर जब एक सदस्य ने रक्षा उपकरणों की खरीद के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए प्रश्नों के समय को निलम्बित करने की सूचना दी तो सभापति ने प्रश्नों का समय निलम्बित किये बिना उसे वह मामला उठाने की अनुमति दे दी। जब कुछ सदस्यों ने 'प्रश्नों के समय' के दौरान मामला उठाने पर आपत्ति की तब सभापति ने निर्णय दिया कि—कृपया मेरी बात सुनिये। मैंने उन्हें मामला उठाने की अनुमति दी है, सभा के नेता उसका उत्तर देंगे और यदि उत्तर जारी रहता है तो उसके बाद 'प्रश्नों का समय' आरम्भ होगा।

चर्चा पैंतालीस मिनटों तक चलती रही। उसके पश्चात् तारांकित प्रश्न सं॰ 301 पुकारा गया और एक सदस्य ने प्रश्न पूछा और शोर-शराबे के बीच मंत्री ने उत्तर दिया। तथापि, शोरगुल के कारण सभा स्थगित हुई।[62]

प्रश्नों के समय का बढ़ाया जाना

प्रश्नों से पहले नवनिर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा शपथ लिये जाने या प्रतिज्ञान किये जाने और हस्ताक्षर किये जाने तथा दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि और अभिनंदन/बधाई जैसे अन्य उल्लेख, मंत्रियों के परिचय, नए सदस्यों के स्वागत आदि मदें ली जाती हैं। उन पर और किसी अन्य घोषणा अथवा मामले पर खर्च किया गया समय प्रश्नों के लिए आवंटित समय में शामिल किया जाता है। प्रश्नों के समय को पहले घंटे से आगे नहीं बढ़ाया जाता है जिसके अन्त में सभापीठ द्वारा औपचारिक रूप से यह घोषणा की जाती है कि ''प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।'' ऐसे अनेक अवसर आए हैं जबकि दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि आदि मदों में पूरा पहला घंटा निकल गया । सभापति द्वारा दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि, अभिनंदन, आदि जैसी अन्य मदों पर खर्च हुए प्रश्न-काल के समय की क्षतिपूर्ति करने अथवा अगले प्रश्न को लेने[63] अथवा किसी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को पूरा करने के लिए प्रश्नों के समय को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

एक अवसर पर, प्रश्नों के समय के समाप्त हो जाने के बाद, जब एक सदस्य ने यह निवेदन किया कि अगला प्रश्न महत्त्वपूर्ण है, तो सभापति ने टिप्पणी की:

''सामान्यत: पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है; अगला प्रश्न चाहे जो भी हो, हमें 12.00 बजे प्रश्नों को अवश्य समाप्त कर देना चाहिए।''[64]

सभापति द्वारा प्रश्नों के समय के समाप्त हो जाने की घोषणा किए जाने के बाद, एक सदस्य ने उस दिन की प्रश्न-सूची में दर्ज एक प्रश्न का उल्लेख किया जिसे सदस्य द्वारा प्रधान मंत्री से पूछा गया था और जिसका उत्तर गृह मंत्री द्वारा दिया जाना था। सभापति ने टिप्पणी की: ''यह एक सुस्थापित परिपाटी है कि एक बार ''प्रश्नों का समय'' समाप्त हो जाने के बाद, हम प्रश्नों का उल्लेख नहीं करते हैं।''[65]

''प्रश्नों का समय'' समाप्त हो जाने के बाद, एक सदस्य ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहा क्योंकि उसके प्रश्न का केवल आधा उत्तर दिया गया था। सभापति ने प्रश्नों के समय के समाप्त हो जाने के बाद और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी।[66]

एक बार, प्रश्नों के समय के दौरान हिन्दी में मंत्रियों के पदनामों के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए। उन मुद्दों पर प्रश्नों का सम्पूर्ण समय खर्च हो गया और कोई भी प्रश्न नहीं लिया जा सका। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि नियम 38 के अधीन, सभापति प्रश्नों के समय को जारी रख सकते हैं। सभापति इस पर सहमत नहीं हुए।[67]

प्रश्नों का समय समाप्त होने की घोषणा किए जाने के बाद यह निवेदन किया गया कि मंत्री महोदय को प्रश्नों के समय के दौरान पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाए। सभापीठ ने इसकी अनुमति नहीं दी। तथापि, बाद में दिन में मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने की अनुमति दी गई।[68] अगले दिन सभापति ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया:

''...सामान्यत: प्रश्नों के समय की अवधि गैर-सरकारी सदस्य द्वारा चाही गई चर्चा को

> जारी रखने के प्रयोजन से अथवा सरकार द्वारा तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। निस्सन्देह, मंत्रियों को सदन में आने और सभापीठ की अनुमति से उद्घोषणा करने अथवा सरकारी वक्तव्य देने अथवा स्पष्टीकरण देने अथवा उनके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के खंडन का अधिकार प्राप्त है। यह कार्य सदन की बैठक के दौरान किया जाना चाहिए भले ही वह मूल आरोप ''प्रश्नों के समय'' के दौरान लगाया गया हो। इसी तरह, गैर-सरकारी सदस्यों के पास ऐसे मुद्दों पर आगे चर्चा कराये जाने की मांग करने के उपाय हैं जिन्हें वे समझते हैं कि वे प्रश्नों के समय के दौरान समुचित रूप से नहीं उठाये गये हैं।''[69]

प्रश्न-काल के दौरान सदस्यों ने लगभग पैंतालीस मिनट तक बिहार की घटनाओं के संबंध में मामला उठाया और केवल दो प्रश्न ही लिए जा सके। मध्याह्न 12 बजे के बाद कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रश्नों के समय को आधा घंटा बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि प्रश्न-सूची में कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में दर्ज एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की जा सके। सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी।[70]

एक अवसर पर शपथ लेने और दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में प्रश्नों का सम्पूर्ण समय लग गया। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि औद्योगिक एककों के बंद किए जाने, जोकि तारांकित प्रश्नों की सूची में चौदहवां प्रश्न था, के संबंध में चर्चा किए जाने के लिए प्रश्नों के समय को एक घंटा बढ़ा दिया जाना चाहिए। सभापति ने टिप्पणी की कि वह प्रश्नों के समय को नहीं बढ़ा सकते हैं; यही परिपाटी है।[71]

प्रश्नों का समय समाप्त होने की घोषणा किए जाने के बाद एक सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछना जारी रखा किन्तु सभापीठ ने घोषणा की कि मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।[72]

अनेक अवसरों पर जब मंत्रियों ने पहले पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को पूरा करना चाहा तो सभापति ने ये टिप्पणियां करते हुए इसकी अनुमति नहीं दी, ''अब मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे'' अथवा ''प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के बाद मंत्री महोदय भी उत्तर देना जारी नहीं रख सकते हैं।''[73]

सभापति द्वारा ''प्रश्न-काल'' को समाप्त घोषित किये जाने के पश्चात् मंत्री ने कहा, ''महोदय, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं।'' सभापति ने कहा, ''आप ऐसा नहीं कर सकते।''[74] एक अन्य अवसर पर सभापति ने दो बार यह घोषणा की कि प्रश्नों का समय समाप्त हुआ जब मंत्री ने यह कहा कि वह स्पष्टीकरण देना चाहती हैं तो सभापति ने कहा ''जी नहीं'' और तीसरी बार यह घोषणा करते हुए कि प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, ''प्रश्नों का समय'' समाप्त किया।[75]

जब प्रधान मंत्री एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया था तब सभापति ने घोषणा की कि प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। कुछ सदस्यों ने यह मांग की कि प्रधान मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सभापति इससे सहमत नहीं हुए।[76]

कुछेक अवसरों पर मंत्रियों को प्रश्न-काल समाप्त हो जाने के पश्चात् अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने अथवा अपना उत्तर पूरा करने की अनुमति प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप इस प्रयोजनार्थ प्रश्नों के समय को कुछ मिनटों के लिए बढ़ाना पड़ा।[77]

> जब सभापति ने मध्याह्न 12 बजे यह घोषणा की कि प्रश्नों का समय समाप्त हुआ तब कुछेक सदस्यों ने सुझाव दिया कि मंत्री महोदय को उत्तर पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सभापति ने (मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए) टिप्पणी की, ''यदि आप मात्र दो-तीन मिनट का समय लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'' तत्पश्चात् मंत्री महोदय ने अपना उत्तर दो मिनट में पूरा किया।[78]

प्रश्नों का समय समाप्त होने की घोषणा किये जाने के पश्चात्, इसे पांडिचेरी लाइसेंस मामले से संबंधित एक प्रश्न पर अनेक औचित्य प्रश्न उठाये जाने के कारण अठारह मिनट के लिए बढ़ाया गया था। ''प्रश्नों का समय'' केवल तभी समाप्त घोषित किया गया जब उपसभापति ने औचित्य प्रश्न का निपटान कर लिया।[79]

उपसभापति ने ''प्रश्नों का समय'' को समाप्त घोषित करते समय सम्बन्धित मंत्री को सुझाव दिया कि वह उन सदस्यों को अपने कार्यालय में बुलाएं और उनके साथ विचार-विमर्श करें जिन्होंने यह प्रश्न पूछे थे। तत्पश्चात्, मंत्री महोदय ने अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया।[80]

एक अवसर पर सभापति ने टिप्पणी की: ''प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है किन्तु उत्तर देना जारी रखें।'' तत्पश्चात्, प्रधान मंत्री ने उत्तर पूरा किया। जब एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि उस दिन ''प्रश्नों का समय'' को बढ़ा दिया जाना चाहिए तब सभापति ने ऐसा करने से मना कर दिया और पुन: यह घोषणा की कि ''प्रश्नों का समय'' समाप्त हुआ।[81]

निर्धारित समय से पूर्व प्रश्नों का समय समाप्त होना

जबकि अनेक अवसरों पर सदस्यों ने प्रश्नों के समय को बढ़ाए जाने की मांग की है और सामान्यत: सभापीठ इस मांग से सहमत नहीं हुई है अथवा जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, बहुत कम अवसरों पर इससे सहमत हुई है, अनेक ऐसे अवसर (यद्यपि विरल रूप से) भी आए हैं जब प्रश्न-सूची के समाप्त हो जाने के कारण प्रश्नों का समय 12 बजे से पहले ही समाप्त हो गया। उदाहरणार्थ, एक बार सभापति ने टिप्पणी की थी: ''यह एक ऐसा अवसर है जब हमने प्रश्नों का समय समाप्त होने से पूर्व ही प्रश्न समाप्त कर लिए हैं।''[82] एक अन्य अवसर पर सभापति ने घोषणा की: ''अब और कोई प्रश्न शेष नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है किन्तु प्रश्न-सूची समाप्त हो गई है, वस्तुत: यह एक ऐतिहासिक घटना है।''[83] फिर, एक बार प्रश्नों का समय दो मिनट पूर्व ही समाप्त हो गया जबकि एक अन्य अवसर पर यह पांच मिनट पूर्व समाप्त हो गया था।[84]

प्रश्नों के समय के दौरान औचित्य-प्रश्न

सामान्यत: प्रश्नों के समय के दौरान कोई औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रतिबंध के पीछे दो कारण प्रतीत होते हैं। पहला कारण यह है कि ''प्रश्नों का समय'' सामान्यत: प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए ही होता है। दूसरा कारण यह है कि यदि प्रश्नों के समय के दौरान कोई औचित्य-प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जाये तो इससे प्रश्नों और उत्तरों के प्रयोजन के लिए उपलब्ध सीमित समय के दौरान प्रश्नों और उत्तरों की प्रगति रुक सकती है और फलत: वह समय बरबाद हो सकता है। जैसाकि सभापति ने एक बार यह टिप्पणी की थी: ''औचित्य-प्रश्न उठाकर हमें प्रश्नों के समय में कटौती नहीं करनी चाहिये।''[85] एक अन्य अवसर पर सभापति ने कहा: ''इस सदन का एक नियम है... प्रश्नों के समय के दौरान कोई औचित्य-प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।''[86]

एक बार एक सदस्य ने सभापति के ध्यान में यह बात लाने के लिए प्रश्नों के समय के दौरान एक औचित्य-प्रश्न उठाया था कि सभापति का यह विनिर्णय होने के बावजूद कि प्रश्नों के समय के दौरान किसी भी सदस्य को औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सभापति ने 2-3 सदस्यों को औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी है। सदस्य इस बारे में सही स्थिति जानना चाहता था। इस पर सभापति ने यह टिप्पणी की थी:

> दुर्भाग्य से सदन के सभी पक्षों की ओर से बार-बार औचित्य-प्रश्न उठाये जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि अधिक-से-अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जायें तो हमें अपने मन में यह निश्चय अवश्य कर लेना चाहिये और ईमानदारी से यह सोच लेना चाहिये कि हम प्रश्नों के समय के दौरान कोई औचित्य-प्रश्न नहीं उठायेंगे।[87]

एक अन्य अवसर पर जब कुछ सदस्य औचित्य-प्रश्न उठा रहे थे तब एक अन्य सदस्य ने यह सुझाव दिया कि ऐसे समय पर सभापति को यह घोषणा करनी चाहिये कि प्रश्नों के समय के दौरान कोई औचित्य-प्रश्न नहीं

किया जायेगा क्योंकि इससे प्रश्नों का समय अनावश्यक रूप से बरबाद हो रहा है। इस पर सभापति ने यह टिप्पणी की थी:

> मैं बार-बार कह चुका हूं कि इस बारे में नियम यह है कि जब तक कोई बहुत ही असाधारण मामला न हो तब तक प्रश्नों के समय के दौरान कोई औचित्य-प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये और औचित्य-प्रश्न की आड़ में कभी भी वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।[88]

एक बार जब एक सदस्य ने मंत्रियों द्वारा सदन को दी गई अभिकथित रूप से गलत और भ्रामक सूचना के संबंध में औचित्य-प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया था तब सभापति ने यह टिप्पणी की थी:

> मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब तक प्रक्रिया का कोई स्पष्टत: अतिक्रमण न हो या कोई असाधारण मुद्दा न हो तब तक प्रश्नों के समय के दौरान कोई औचित्य-प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये।

इस पर जब एक सदस्य ने यह पूछा कि सदस्य की बात सुने बिना सभापति इस बात का विनिश्चय कैसे कर सकता है कि कोई असाधारण मुद्दा है अथवा नहीं, तब सभापति ने यह टिप्पणी की थी:

> सदस्य ने पहले ही कहा है कि यह औचित्य-प्रश्न, मंत्रियों द्वारा दिए गये भ्रामक उत्तरों से संबंधित है। भ्रामक उत्तरों या गलत उत्तरों की वजह से औचित्य-प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

तथापि, सदस्य द्वारा लगातार आग्रह किए जाने के कारण सभापति ने सदस्य को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी ताकि सभापति ''यह देख सकें कि उसमें असाधारण बात क्या थी।''[89]

एक सदस्य ने प्रधान मंत्री द्वारा एक प्रश्न के दिए गये उत्तर को चुनौती देने के लिए औचित्य-प्रश्न उठाया। इस पर सभापति ने यह विनिर्णय दिया कि सदस्य को प्रश्नों के समय के दौरान किसी गलत वक्तव्य को चुनौती देने का हक नहीं है बल्कि वह किसी अन्य मौके पर चुनौती दे सकते हैं। अगले दिन सदस्य ने उक्त मामला उठाया और प्रधान मंत्री ने उसका स्पष्टीकरण दिया।[90]

तथापि, जैसाकि सभापति ने टिप्पणी की थी, कुछ असाधारण मुद्दे हो सकते हैं या प्रक्रिया के अतिक्रमण के मामले हो सकते है जिनमें प्रश्नों के समय के दौरान भी औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति देनी पड़ सकती है और ऐसे अवसर बहुत ही कम आये हैं।[91] कई बार निम्नलिखित के संबंध में औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई है: (1) प्रश्नों के समय के आरम्भ होने से पहले नियम 51 के संदर्भ में प्रश्नों की ग्राह्यता;[92] (2) प्रश्नों के कवरेज में कटौती;[93] (3) प्रश्नों के समय के दौरान और उसके पश्चात् किसी प्रश्न को स्थगित करना।[94]

> एक बार सभापति ने एक सदस्य को प्रश्नों के समय के आरम्भ होने पर ''सरकार के संवैधानिक और नैतिक विधिमान्यता'' के बारे में औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी। सदस्य का दावा था कि सरकार अल्पमत में है। सभापति ने यह कहते हुए औचित्य-प्रश्न अस्वीकार कर दिया कि प्रधान मंत्री और उसकी सरकार को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और सरकार लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है।[95]

> पांडिचेरी लाइसेंस केस से संबंधित प्रश्न (तारांकित प्रश्न 730) के बारे में अनेक औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई थी। प्रश्नों के समय को अठारह मिनट बढ़ाया गया था और प्रश्नों का समय उपसभापति के इस निदेश के साथ समाप्त हुआ था कि उक्त प्रश्न के उत्तर में जिन संसद् सदस्यों के नाम दिए गए हैं, सरकार उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन करे और सदन को सूचित करे।[96]

> इस मामले पर कि क्या कोई मंत्री राज्य सभा की सदस्यता से अवकाश-ग्रहण कर लेने के पश्चात् किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम है, प्रश्नों के समय के दौरान एक औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई थी।[97]

कुछ आकस्मिकताओं में प्रश्नों का निपटारा

ऐसी बहुत-सी आकस्मिकताएं या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जब प्रश्नों के समय के निलम्बन, बैठक के रद्द होने, किसी सदस्य या उच्च पदस्थ व्यक्ति के निधन के कारण सदन के स्थगित होने, शोर-शराबा या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने, सदस्यों द्वारा अन्य मामलों के संबंध में उल्लेख किए जाने, आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से प्रश्नों का समय नहीं हो पाता है।

जब शपथ/दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि आदि मदों पर प्रश्नों का पूरा समय व्यतीत हो जाने के कारण प्रश्नों को नहीं लिया जाता है तब उस दिवस के लिये दर्ज सभी तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न समझा जाता है और उनके उत्तरों को, अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ, उस दिवस के वाद-विवाद में मुद्रित कर दिया जाता है।[98]

जब दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात् दिवंगत के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सदन कोई अन्य कार्य किए बिना स्थगित हो जाता है तब उस दिवस की प्रश्नों की सूची में दर्ज तारांकित प्रश्नों को सदन की अगली बैठक के लिए अतारांकित प्रश्न समझा जाता है और उनके उत्तरों को सदन के पटल पर रखा गया मान लिया जाता है और उन्हें तद्नुसार अगली बैठक के मुद्रित वाद-विवाद में 'सम्मिलित' और निर्दिष्ट किया जाता है। सदन में अलग से कोई घोषणा नहीं की जाती है।[99]

> एक बार एक सदस्य के निधन के कारण सदन कोई कार्य सम्पन्न किए बिना ही स्थगित हो गया था। उस दिवस के लिए स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर अगले दिन सभा पटल पर नहीं रखे गए। अगला दिन शुक्रवार था और उस दिन के लिये 'प्रश्नों का समय' नियत नहीं था परन्तु ये उत्तर आगामी सोमवार को सभा पटल पर रखे गए थे।[100]
>
> एक बार सभापति ने सूचित किया कि पूर्ववर्ती दिवस की कार्यावलि में दर्ज प्रश्नों तथा अल्प सूचना प्रश्न के उत्तरों को उसी दिन सभा पटल पर रखा गया समझा जाएगा। पूर्ववर्ती दिवस को सदन, श्री फिरोज गांधी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, बिना कोई कार्य सम्पन्न किए ही स्थगित हो गया था।[101]
>
> तथापि, एक अवसर पर जब भूतपूर्व सभापति श्री एम॰ हिदायतुल्ला के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात् सदन को स्थगित कर दिया गया था तब उस दिन की प्रश्न-सूची में दर्ज प्रश्नों के उत्तरों को उसी दिन सभा पटल पर रखा गया समझा गया जोकि सामान्य परिपाटी से हटकर था।[102]

उस अवस्था में जब दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने अथवा किसी अन्य कारणवश सदन प्रश्नों पर विचार किए बिना ही स्थगित हो जाता है और उसी दिन कुछ समय पश्चात् पुनः समवेत होता है तो प्रश्नों के उत्तरों को सभा पटल पर रख दिया गया समझा जाता है और उन्हें उसी दिन के वाद-विवाद में मुद्रित किया जाता है।

> औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री एम॰बी॰ राणा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात् सदन उसी दिन म॰प॰ 5.30 पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रश्नों के उत्तरों को उस दिन के मुद्रित वाद-विवाद में दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करने से संबंधित कार्यवाही के तुरन्त बाद शामिल किया गया था।[103]

जब सदन की बैठक रद्द कर दी जाती है तो उस दिन के लिए सूची में दर्ज प्रश्नों के उत्तर सदन की अगली बैठक में सभा पटल पर रख दिये जाते हैं।[104]

> गुरु रविदास की जयन्ती के उपलक्ष्य में सदन की बैठक प्रारम्भ होने के तत्काल बाद ही स्थगित कर दी गई। उस दिन के लिए सूची में दर्ज प्रश्नों के उत्तर अगले दिन सभा पटल पर रखे गए थे।[105]
>
> 7 मार्च, 1991 की बैठक प्रधान मंत्री के त्यागपत्र और राष्ट्रपति के पत्र की प्रतियां सभा पटल पर रखने के पश्चात् म॰पू॰ 11.02 पर स्थगित कर दी गयी थी। उस दिन के लिए सूची में दर्ज प्रश्नों के उत्तर 11 मार्च, 1991 को जब सभा पुनः समवेत हुई, सभा पटल पर रखे गए थे।[106]

राज्य सभा की शुक्रवार, 11 अगस्त और सोमवार, 14 अगस्त, 1995 के लिए निर्धारित बैठकों को रद्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, इन दोनों दिनों के लिए सूची में दर्ज प्रश्नों को उनके उत्तरों सहित बुधवार, 16 अगस्त, 1995 को सभा पटल पर रखा गया था।[107]

तारांकित प्रश्न सं॰ 123 और 124 वित्त मंत्री को संबोधित थे। हालांकि वित्त मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार थे लेकिन अस्वस्थता के कारण उन्हें चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रख दिये गए थे।[108]

जब कोई प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा सर्वसम्मति से ''प्रश्नों का समय'' निलंबित कर दिया जाता है तब उस दिन के लिए सूची में दर्ज तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न समझ लिया जाता है और तत्संबंधित उत्तरों तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को उसी दिन सभा पटल पर रखा जाता है।[109] ऐसे प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने और समय शेष रहने पर ''प्रश्नों का समय'' प्रारम्भ हो जाता है।[110] यदि समय समाप्त हो जाता है तो तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न समझ लिया जाता है और सूची में दर्ज अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ-साथ उनके उत्तरों को भी उसी दिन सभा पटल पर रखा गया मान लिया जाता है।[111] यदि सदस्य प्रश्नों के समय को निलंबित करने हेतु निवेदन करते हैं और यह निवेदन प्रश्नों के सम्पूर्ण समय के दौरान किया जाता है तो उस दिन के लिए सूची में दर्ज प्रश्नों के उत्तर उसी दिन सभा पटल पर रख दिए जाते हैं।[112]

यदि प्रश्नों के समय के दौरान व्यवधान, अव्यवस्था इत्यादि के कारण सदन स्थगित किया जाता है तो उस दिन की सूची में दर्ज प्रश्नों के उत्तर उसी दिन सभा पटल पर रख दिए गए समझ लिये जाते हैं।[113]

यदि सदस्य प्रश्न पूछने के बजाए अन्य मुद्दे उठाते हैं जिसमें प्रश्नों का संपूर्ण समय समाप्त हो जाता है तो सूची में दर्ज प्रश्नों के उत्तर उसी दिन सभा पटल पर रख दिये जाते हैं।[114]

24 मई, 1971 को ''प्रश्नों का समय'' प्रारम्भ होते ही सदस्यों ने प्रश्न-सूची के अंग्रेजी रूपांतर में मंत्रियों के पदनाम हिन्दी में मुद्रित किये जाने का एक मामला उठाया और प्रश्नों का सम्पूर्ण समय उसी बहस में समाप्त हो गया तब उस दिन की सूची में दर्ज सभी प्रश्नों के उत्तर उसी दिन सभा पटल पर रखे गए।[115]

जब किसी अन्य कार्य हेतु अधिक समय देने के लिये प्रश्नों के समय को विशेष रूप से छोड़ दिया जाता है तब उस दिन की सूची में दर्ज तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न मान लिया जाता है और उनके उत्तरों को उसी दिन सभा पटल पर रख दिया जाता है।[116]

जब सत्र की समाप्ति से पूर्व सभा की बैठकें रद्द की जाती हैं अर्थात् जब सत्र का शेष भाग रद्द किया जाता है अथवा दूसरे शब्दों में जब सत्र को पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है तो उन दिनों के लिए पहले से ही परिचालित प्रश्न-सूचियां और प्रश्नों की सूचनाएं व्यपगत हो जाती हैं।[117]

उपसभापति ने घोषणा की कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 1961 को अनियत तिथि के लिए स्थगित होगी और सदन की 18 से 22 दिसम्बर, 1961 के लिये नियत बैठकें रद्द कर दी गईं। इसलिए, उन दिनों के लिए प्राप्त प्रश्नों की सूचनाएं व्यपगत हो गईं।[118]

जब कोई बैठक रद्द कर दी जाती है और सत्र के दौरान प्रश्नों के उस वर्ग की कोई अन्य बैठकें नहीं होती हैं तो सदन का सत्रावसान हो जाने पर प्रश्नों की सूचनाएं, यद्यपि वे प्रश्न-सूचियों में पहले से दर्ज होती हैं, व्यपगत हो जाती हैं।[119]

25 और 26 अगस्त, 1988 की बैठकें रद्द किए जाने के फलस्वरूप 25 अगस्त (वर्ग-IV) के लिए दी गई प्रश्नों की सूचनाएं 1 सितम्बर, 1988 के लिए दी गईं समझी गईं। 26 अगस्त के लिए दी गई सूचनाएं व्यपगत समझ ली गईं क्योंकि उस सत्र के दौरान (वर्ग-V) के प्रश्नों के लिए बाद में कोई दिन निर्धारित नहीं था।[120]

24 दिसम्बर, 1993 की बैठक रद्द कर दी गई थी। यह घोषणा की गई कि उस दिन की प्रश्न-सूचियों में दर्ज प्रश्न व्यपगत समझे जायें क्योंकि उस सत्र में उस वर्ग के प्रश्नों के उत्तर के लिए बाद में कोई दिन नहीं था। तथापि, सत्र की अवधि बढ़ा दी गई और प्रश्नों और उनके उत्तरों को बढ़ी हुई अवधि के प्रथम दिन (अर्थात् 29 दिसम्बर, 1993) को सभा पटल पर रख दिया जाना मान लिया गया।[121]

एक अवसर पर कार्य मंत्रणा समिति ने 16 जुलाई, 1991 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि सदन की सोमवार, 22 जुलाई, 1991 के लिए निर्धारित बैठक (जो मुहर्रम के उपलक्ष्य में होने वाले अवकाश से पहले पड़ती थी) रद्द कर दी जाए और उस दिन के लिए दी गई प्रश्नों की सूचनाएं व्यपगत समझी जाएं।[122] तद्नुसार, सदन की अगली बैठक अर्थात् 24 जुलाई, 1991 की बैठक की कार्यवाही में एक पाद-टिप्पण सम्मिलित किया गया।[123]

एक अन्य अवसर पर, मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए लोक सभा में 15, 16 और 17 अप्रैल के दिन निर्धारित किये गये थे इसलिए सभा के नेता ने सुझाव दिया कि सभा को 19 अप्रैल, 1999 तक स्थगित कर दिया जाए। विपक्ष के नेता इस सुझाव पर सहमत थे तब सभा का मत जानने के पश्चात् सभापति ने सभा की बैठक स्थगित कर दी। विश्वास प्रस्ताव 17 अप्रैल, 1999 को लोक सभा में अस्वीकृत हो गया। तथापि 15, 16 और 19 तारीख के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गये मान लिये गये। 20 अप्रैल, 1999 तथा उसके बाद की मुद्रित/परिचालित प्रश्न-सूचियां तथा प्राप्त हुई प्रश्न की सूचनाएं रद्द/व्यपगत मान ली गईं।[124] इस आशय का एक कार्यालय-ज्ञापन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संसद् अनुभाग को भी भेजा गया था।

सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं

जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दें, किसी सदस्य द्वारा प्रश्न के लिए कम-से-कम पूरे पन्द्रह दिन की सूचना देना अपेक्षित है। 4 जुलाई, 1996 को सभापति ने यह निदेश भी दिया कि सूचना-अवधि पूरे इक्कीस दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये और उक्त निदेश 5 जुलाई, 1996 से प्रभावी हो गया है।[125] लेकिन सदस्यों को हो रही अत्यधिक असुविधा को ध्यान में रखते हुए सभापति ने निदेश पर पुनः विचार किया और 5 मई, 1998 से उस प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया।[126] पूरे पन्द्रह दिन की अवधि की गणना करने में दोनों तारीखों को, जिस तारीख को सूचना सचिवालय में प्राप्त होती है और जिस तारीख को उत्तर के लिए प्रश्न को, यदि उसे गृहीत कर लिया जाए, रखा जाएगा, छोड़ दिया जाता है।

पहले प्रश्नों के लिए सूचना की अवधि पूरे दस दिन थी जिसे सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिश पर सभापति द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुसार बढ़ाकर पन्द्रह दिन कर दिया गया।[127] बाद में, नियम समिति ने नियम 39 में विधिवत् संशोधन किए जाने की सिफारिश की।[128] संशोधन, 30 मई, 1995 को सदन द्वारा स्वीकृत रूप में 15 जून, 1995 (174वां सत्र) से प्रवृत्त हुआ।[129]

निदेश जारी किए जाने के बाद, 173वें सत्र के दौरान जब प्रश्नों के लिए आवंटित पहले दिन अर्थात् 14 फरवरी, 1995 के लिए सूचनाओं हेतु निर्धारित समय पन्द्रह दिन से कम हो गया तो सभापति ने सूचनाएं देने की अवधि को कम करके पूरे दस दिन कर दिया। सभापति ने 175वें सत्र के दौरान 27, 28, 29 और 30 नवम्बर तथा 1 दिसम्बर, 1995 के लिए प्रश्नों की सूचनाएं देने की अवधि को भी पूरे पन्द्रह दिन से घटाकर क्रमशः पूरे दस, ग्यारह, बारह, तेरह और चौदह दिन कर दिया।[130]

सत्र के अन्तिम दिनों के लिए दी गई प्रश्नों की सूचनाएं, जिनकी अपेक्षित सूचना-अवधि पूरी नहीं होती है तथा ऐसी सूचनाएं, जो सत्र के समाप्त हो जाने पर व्यपगत हो जाती हैं, सदस्यों को वापस कर दी जाती हैं।[131]

सदस्यों द्वारा दी गई प्रश्नों की सूचनाएं राज्य सभा में उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के साथ ही व्यपगत हो जाती हैं चाहे सदस्य पुन: निर्वाचित होकर ही क्यों न आ जाएं। इस मामले में तब विस्तार से चर्चा की गई थी जब एक सदस्य का नाम अगले दिन की ध्यानाकर्षण सूची में से हटा दिया गया था क्योंकि वह पिछले दिन अवकाश ग्रहण कर चुका था। सभापति ने यह विनिर्णय दिया कि:

> मेरे विचार से श्री भूपेश गुप्त द्वारा दी गई सूचना उनकी सदस्यता समाप्त होने के साथ ही व्यपगत हो गई। जिस समय इस कार्यसूची में दर्ज मदों को लिया गया तब उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।[132]

> खालसा पंथ की त्रिशताब्दी मनाने के लिए 12 और 13 अप्रैल, 1999 के लिए निर्धारित सभा की बैठकें रद्द कर दी गई थीं। इन दिनों के लिए प्राप्त सूचनाओं पर वर्ग-I और वर्ग-II में होने वाली बाद की बैठकों के लिए विचार किया गया ।[133]

जब 180वें सत्र के दूसरे भाग के दौरान, जोकि 21 अप्रैल, 1997 को आरम्भ होना था, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण लोक सभा में देवगौड़ा सरकार का बहुमत समाप्त हो गया था, तब मुद्रित/परिचालित की गईं प्रश्न-सूचियां तथा उक्त भाग के लिए प्राप्त हुईं प्रश्नों की सूचनाएं व्यपगत हुई मान ली गई थीं।[134]

इस दौरान, गुजराल सरकार ने शपथ ग्रहण की तब 180वें सत्र का तीसरा चरण 30 अप्रैल, 1997 से आरम्भ होने के लिए निर्धारित किया गया। कुछ सदस्यों के अनुरोध पर, सत्र के दूसरे चरण के लिए सदस्यों द्वारा प्रश्नों के लिए दी गई सभी सूचनाओं को पूर्व बुलेटिन का अतिक्रमण करके पुन: लिया गया तथा तिथियों, समूहों तथा मंत्रियों के संबंध में उपयुक्त संशोधन किये जाने के बाद उन पर विचार किया गया।[135]

प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की पहली और अन्तिम तारीखें तथा प्रत्येक बैठक के बैलट की तारीख दर्शाने वाला एक चार्ट सदस्यों को ''आमंत्रण'' के साथ परिचालित किया जाता है। सत्र के प्रारम्भ पर जारी किए जाने वाले संसदीय समाचार में भी प्रश्नों संबंधी प्रक्रिया के बारे में एक पैरा शामिल किया जाता है।

प्रश्नों की सूचना का रूप

सदस्य द्वारा प्रश्न की सूचना महासचिव को संबोधित करते हुए लिखित रूप में दी जाती है और प्रश्न के पाठ में (क) प्रश्न जिस मंत्री को सम्बोधित हो उसके अधिकारीय पद का नाम और (ख) वह तिथि जिसको कि प्रश्न उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखवाने का विचार है का उल्लेख किया जाना अपेक्षित होता है।[136]

सदस्य को सूचना की विषय-वस्तु सहित अपने प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों को सही-सही संबोधित करने में समर्थ बनाने के लिए सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर उन विषयों, जिनके लिए विभिन्न मंत्रालय उत्तरदायी हैं, को दर्शाने वाली एक पुस्तिका तैयार की जाती है और समय-समय पर सदस्यों को परिचालित की जाती है।

जैसाकि संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाता है, सत्र के लिए 'आमंत्रण' भेजे जाने के बाद प्रश्नों की सूचनाएं राज्य सभा सूचना कार्यालय में सभी कार्य-दिवसों को मध्याह्न पूर्व 10.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे तक प्राप्त की जाती हैं।[137] मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के लिए दिनों के आवंटन के संबंध में एक पैरा संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाता है।

प्रत्येक प्रश्न की सूचना पर सदस्य द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। हस्ताक्षर-रहित प्रश्नों की सूचनाएं स्वीकार नहीं की जाती हैं और उन्हें हस्ताक्षर के लिए संबंधित सदस्यों को लौटा दिया जाता है। कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के निमित्त या उसकी ओर से प्रश्न की सूचना पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है।

सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रश्नों की सूचनाएं केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी में दें। सदस्य को प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक तारीख विनिर्दिष्ट करनी चाहिये न कि वैकल्पिक तारीखें।

सदस्यों की सुविधा के लिए तारांकित, अतारांकित और अल्प-सूचना प्रश्नों की सूचनाएं देने के लिए उन्हें राज्य सभा के सूचना कार्यालय में मानकीकृत मुद्रित प्रपत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, 200वें सत्र से तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं देने के प्रपत्रों पर क्रम संख्या लगा दी गई है और यह प्रपत्र सदस्य द्वारा केवल लिखित रूप से मांग करने पर ही दिये जाते हैं।[137क] 4 जुलाई, 1996 को सभापति द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार प्रश्न की सूचना का पाठ मुद्रित प्रपत्र पर टंकित या सुपाठ्य हस्तलिपि में होना चाहिये। ऐसी सूचना पर, जिसका पाठ प्रपत्र पर पिन से नत्थी किया गया हो या चिपकाया गया हो, विचार नहीं किया जाता है और ऐसी सूचना सम्बद्ध सदस्य को लौटा दी जाती है।

मंत्रियों को सूचना भेजना

जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दें, कोई प्रश्न उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक कि ऐसे प्रश्न की सूचना संबंधित मंत्री को भेजे हुए पांच दिन न बीत गये हों।[138]

तथापि, प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए सामग्री एकत्र करने में मंत्रालयों को समर्थ बनाने की दृष्टि से, अनौपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत सचिवालय में सूचनाएं प्राप्त होने के पश्चात् सभी प्रश्नों की सूचनाओं की 'जीरोक्स' प्रतियां सरकार को भेज दी जाती हैं। किसी प्रश्न को गृहीत किए जाने का निर्णय लिए जाने के पश्चात् ऐसे सभी प्रश्नों की अग्रिम प्रतियां भी मंत्रालयों को भेज दी जाती हैं, जिनके ऊपर ''अनन्तिम रूप से गृहीत प्रश्न'' लिखा रहता है। इस अनौपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रालयों के प्रतिनिधि प्रश्नों की सूचनाओं की 'जीरोक्स' प्रतियां और अनन्तिम रूप से गृहीत प्रश्न राज्य सभा सचिवालय से ले जाते हैं ताकि उन्हें अपने उत्तर तैयार करने के लिए और अधिक समय मिल सके। किन्तु किसी दिवस विशेष को उत्तर दिये जाने के लिए प्रश्नों की मुद्रित सूचियां उत्तर की नियत तारीख से पांच दिन पहले उन्हें भेजी जानी होती हैं, जैसाकि उपर्युक्त नियम में विहित किया गया है।

प्रश्नों की श्रेणियां

प्रश्नों की तीन श्रेणियां होती हैं, अर्थात् मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न जो इस आशय से किए जाते हैं कि प्रश्नों के समय के दौरान सदन में इनका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिये; लिखित उत्तर के लिए प्रश्न जिनका उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है लेकिन जिनके लिखित उत्तरों को, मौखिक उत्तरों वाले प्रश्नों के अंत में सभा पटल पर रखा गया समझ लिया जाता है और उन्हें सदन की शासकीय कार्यवाही में मुद्रित कर दिया जाता है; और नियम 39 में उल्लिखित अवधि (अर्थात् पन्द्रह दिन, जो पहले दस दिन थी) से कम अवधि की सूचना पर मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न।

जो सदस्य अपने प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता हो तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह तारांक (*) लगाकर उसका विभेद करे। यदि वह प्रश्न पर तारांक लगाकर विभेद नहीं करता है तो वह प्रश्न, गृहीत किए जाने पर, लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में मुद्रित किया जाता है।[139]

प्रश्नों की संख्या के संबंध में सीमा

प्रति सदस्य प्रति दिन 5 प्रश्न—तारांकित और अतारांकित—की वर्तमान सीमा, सभापति द्वारा 13 नवम्बर, 1962 को की गई घोषणा के अनुसार नवम्बर, 1962 में आरम्भ हुई थी। इसके लिए आपातकाल के दौरान, राज्य सभा में दलों/गुटों के नेताओं के साथ बैठक करके निर्णय लिया गया था। इससे पहले ऐसी कोई सीमा नहीं थी। तथापि, तारांकित प्रश्नों के लिए समग्र रूप से प्रतिदिन 30 प्रश्नों की सीमा थी। सभापति द्वारा नियम समिति से परामर्श करके की गई घोषणा के अनुसार इस सीमा को घटाकर 20 कर दिया गया था।[140]

4 जुलाई, 1996 को सभापति द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार प्रश्न की सूचना उस तिथि से, जिस तिथि को प्रश्न पूछा जाना है, पूरे इक्कीस दिन से पहले नहीं दी जानी चाहिए। पूरे इक्कीस दिन से पहले प्राप्त प्रश्न की सूचना ''सूचना कार्यालय'' (नोटिस ऑफिस) द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है और यदि सूचना डाक द्वारा प्राप्त होती है, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और उसे सदस्य को मूल रूप में लौटा दिया जाता है। परन्तु यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।[141] एक दिन के लिए एक सदस्य की प्रश्नों की सात से अधिक सूचनाओं पर विचार नहीं किया जाता है। इसके लिए सदस्य द्वारा सूचनाओं पर अंकित वरीयता क्रम के अनुसार या सूचनाओं पर वरीयता अंकित न किये जाने की स्थिति में सूचनाएं प्राप्त होने के समय के अनुसार उन पर विचार किया जाता है। सात से अधिक होने पर शेष सूचनाएं अगले दिन के लिए, यदि वह उपलब्ध हो, अग्रणीत कर दी जाती हैं।[142]

तथापि, एक दिन के लिए एक सदस्य के तारांकित और अतारांकित दोनों प्रकार के पांच से अधिक प्रश्नों को प्रश्न-सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है[143] और इन पांच प्रश्नों में से तीन से अधिक प्रश्नों को मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।[144] इसके बाद, उस दिन के ''बैलट'' में उस सदस्य द्वारा प्राप्त अग्रता के आधार पर इन तीन प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न को पहले प्रश्नकर्ता के रूप में उसके नाम से रखा जाता है। शेष दो प्रश्नों, यदि कोई हों, की बाबत सदस्य का नाम, 'नाम जोड़े जाने' की प्रक्रिया में दूसरे प्रश्नकर्ता के रूप में दिया जा सकता; अन्यथा वे दोनों प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में सम्मिलित कर दिए जाते हैं।

यदि पहले चक्र की लॉटरी में स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक सदस्य के एक-एक प्रश्न को, मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्न-सूची में दर्ज किए जाने के पश्चात्, उस दिन की सूची में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या, अधिकतम संख्या अर्थात् बीस प्रश्न तक नहीं पहुंच पाती है, तो उन सदस्यों के दूसरे और तीसरे प्रश्नों को भी उनके द्वारा इस निमित्त यदि कोई अधिमानता दी गई है, तो उस अधिमानता के क्रम के अनुसार लाटरी के अगले चक्र के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है:

> 12 जुलाई, 1991 और 10 जुलाई, 1996 के लिए मौखिक उत्तरों हेतु प्रश्नों की सूचियां तैयार करते समय यह पाया गया कि सूचियों में दो-दो प्रश्न कम हैं; दूसरे शब्दों में उस दिन के लिए केवल अठारह सदस्यों के प्रश्नों की सूचनाएं अनुमत्य पायी गई थीं। इसलिए, उन दिनों की सूची में पहले दो प्रश्नकर्ताओं के नाम दो बार, अर्थात् प्रथमत: प्रश्न संख्या 1 और 2 में तथा बाद में मूल प्रश्नकर्ताओं के रूप में प्रश्न सं॰ 19 और 20 में दिये गये थे; इस प्रकार उन दिनों, मौखिक उत्तरों हेतु प्रश्नों की सूची में उन दो सदस्यों के दो-दो प्रश्न, सम्मिलित किए गये थे।[145]

मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की सूची तैयार करते समय, सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाओं में दी गई वरीयता को ध्यान में रखा जाता है और यदि सूचनाओं में ऐसी कोई वरीयता नहीं दी जाती है तो उन पर, उनकी प्राप्ति के समय के अनुसार विचार किया जाता है।

अभी हाल तक, किसी दिवस विशेष के लिए लिखित उत्तरों हेतु शामिल किये जाने वाले गृहीत प्रश्नों की संख्या की कोई सीमा तय नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, कभी-कभी किसी एक दिन के लिए अतारांकित प्रश्नों की सूची में भारी संख्या में सूचनाएं गृहीत कर ली जाती थीं जिससे सूची वृहदाकार तथा बोझिल हो जाती थी। उदाहरणार्थ, 31 अगस्त, 1988 की अतारांकित प्रश्नों की सूची में 346 प्रश्न सम्मिलित थे।

नियम समिति ने इस मामले पर विचार किया और उसकी यह राय थी कि प्रश्नों की संख्या 150 तक सीमित होनी चाहिए जिसमें मौखिक उत्तरों के लिये 20 प्रश्न, स्थगित किए गए प्रश्न, यदि कोई हों, तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों से संबंधित 15 प्रश्न शामिल हों। समिति ने तद्नुसार इस प्रयोजनार्थ एक नये नियम (51क) का प्रस्ताव किया।[146] तथापि, सदन में नियम को स्वीकार करते समय समिति द्वारा अनुशंसित 150 प्रश्नों की सीमा को बढ़ाकर 175 कर दिया गया।[147] नया नियम 15 जून, 1995 (अर्थात् 174वें सत्र) से प्रभावी हो गया है।[148]

प्रश्नों के लिए दिन नियत करना

प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय भिन्न-भिन्न दिनों में, संबद्ध मंत्रियों द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चक्रानुक्रम से ऐसे मंत्रालय या मंत्रालयों के लिये नियत किया जाता है जैसेकि सभापति समय-समय पर उपबंधित करे और प्रत्येक ऐसे दिन, जब तक कि सभापति संबद्ध मंत्री की सहमति से अन्यथा निदेश न दे, केवल ऐसे मंत्रालय या मंत्रालयों से संबद्ध प्रश्नों को ही मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखा जाता है जिनके लिए उस दिन समय नियत किया गया हो।[149]

जैसे ही किसी सत्र के प्रारम्भ तथा समाप्त होने की तारीखें निर्धारित की जाती हैं वैसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिये दिनों का नियतन कर दिया जाता है और उसे संसदीय समाचार में प्रकाशित किया जाता है जो सत्र हेतु 'आमंत्रण' के साथ-साथ जारी कर दिया जाता है। यह सूचना 'बैठकों की अस्थायी सारणी' में भी शामिल की जाती है।

सदन में प्रश्नों के उत्तर देने के उद्देश्य से, मंत्रालयों को पांच वर्गों में विभाजित किया जाता है और मंत्री प्रश्नों के उत्तर उसी चक्रानुक्रम से देते हैं ताकि किसी एक मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सप्ताह में एक बार किसी एक ही निर्धारित दिवस को दिए जा सकें। मंत्रालयों का वर्गीकरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि मंत्रालयों के लिये दिनों के नियतन से दूसरे सदन में उनके लिये नियत दिन में कोई टकराव न हो ताकि मंत्री प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उनके लिये नियत दिनों में, दोनों सदनों में उपस्थित हो सकें।

यदि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिनों के नियतन से संबंधित अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले संसदीय समाचार के जारी होने के पश्चात् अथवा किसी सत्र के मध्य में, किसी मंत्रालय को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है अथवा कोई नया मंत्रालय सृजित किया जाता है तो ऐसे मंत्रालय के लिये दिनों का नियतन करने का निर्णय सभापति द्वारा किया जाता है और उसे संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाता है।[150] इसी प्रकार, किसी मंत्रालय के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिनों के नियतन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना भी सदस्यों को संसदीय समाचार में अधिसूचना के द्वारा दी जाती है।[151]

गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न

प्रश्न किसी गैर-सरकारी सदस्य (अर्थात् ऐसा सदस्य जो मंत्री न हो) को भी संबोधित किया जा सकेगा, यदि प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक, संकल्प अथवा सदन के कार्य के अन्य विषय से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो और ऐसे प्रश्नों के संबंध में उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री को संबोधित प्रश्नों के संबंध में प्रयुक्त की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जायेगा जो सभापति आवश्यक या सुविधाजनक समझे।[152] अभी तक राज्य सभा में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब किसी गैर-सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न की कोई सूचना गृहीत की गई हो।

प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें

कोई सदस्य लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया है[153] तथापि, प्रश्न पूछने का अधिकार कतिपय शर्तों के अधीन है जो नीचे वर्णित हैं।

प्रश्न सटीक, सुस्पष्ट और केवल एक ही विषय तक सीमित होना चाहिए।[154]

> इससे पहले यह नियत किया गया था कि प्रश्न ''स्पष्टत: तथा यथार्थत: अभिव्यक्त'' किया जाना चाहिए। नियम समिति ने सिफारिश की थी कि इन शब्दों के स्थान पर ''सटीक, सुस्पष्ट और केवल एक ही विषय तक सीमित'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं। नियम में तद्नुसार संशोधन किया गया।[155]

प्रश्न में तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होने चाहिए।[156]

> जब एक सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछते समय प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए तो सभापति ने नियम 47 के उपनियम (1) और (2) (i) से (iv) को पढ़कर सुनाया और निम्नलिखित टिप्पणी की:
>
> > ...मैंने यह विनिश्चय किया है कि यदि विशेषण या अभ्यारोप लगाए जाते हैं, तो मैं उन्हें कार्यवाही से निकालने के लिए अपने प्राधिकार का प्रयोग करूंगा। मैं इस सदन के प्रत्येक सदस्य को यह चेतावनी देना चाहता हूं। यदि ऐसी बातें जारी रहती हैं, तो मुझे अत्यन्त कठोर उपाय करने पड़ेंगे अन्यथा इस सदन में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है।[157]

प्रश्न के पाठ को स्वत: पूर्ण बनाने के लिए उसमें सभी आवश्यक संदर्भ दिये होने चाहिए अर्थात्, यदि प्रश्न समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार पर आधारित है तो समाचार-पत्र का नाम और उसकी तारीख; यदि प्रश्न किसी पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर के अनुसरण में है, तो पूर्ववर्ती प्रश्न की संख्या और उसकी तारीख; यदि प्रश्न किसी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए है, तो उक्त घटना के घटित होने की तारीख और स्थान आदि।

प्रश्न में कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होना चाहिए जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हो।[158] प्रश्न को गृहीत करते समय, प्रश्न की सूचना के पाठ में दिए गये व्यक्तियों के नामों को साधारणतया छोड़ दिया जाता है, किन्तु किसी अधिकारी के मामले में उसके पदनाम का उल्लेख किया जा सकता है।

यदि प्रश्न में कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा।[159] इस शर्त के अधीन परिकल्पित उत्तरदायित्व नैतिक उत्तरदायित्व है, न कि विधिक उत्तरदायित्व।

राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए।[160]

किसी व्यक्ति की पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त, उसके चरित्र या आचरण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए।[161] अत:, किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक स्वरूप के आरोप या व्यक्तिगत आक्षेप ग्राह्य नहीं हैं।

प्रश्न में साधारणतया 100 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिये।[162]

> पहले 150 शब्दों की सीमा थी। नियम समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस सीमा को घटाकर 50 शब्द कर दिया जाये। तथापि, सदन ने इसे बढ़ाकर 100 शब्द कर दिया और नियम में तद्नुसार संशोधन कर दिया गया।[163]

एक लम्बे प्रश्न को, यदि वह अन्यथा ग्राह्य हो, तो संभव होने पर उपयुक्त रूप से छोटा कर दिया जाता है। ऐसे प्रश्न की विषय-वस्तु को अक्षुण्ण रखते हुए उसमें से अनावश्यक अंशों और शब्दों को निकालकर उसे गृहीत किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में अधिक ब्यौरे और विवरण देने से प्रश्न लम्बा हो सकता है और उसमें प्रश्नकाल का काफी समय खर्च हो सकता है तथा इसकी वजह से अन्य यथार्थ प्रश्नों के लिए समय की कमी हो सकती है।

प्रश्न किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होना चाहिये जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो।[164] राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों को सामान्यतया अस्वीकृत कर दिया जाता है। तथापि, यदि कोई प्रश्न भले ही राज्य के किसी विषय से संबंधित है, किन्तु यदि वह अखिल भारतीय महत्व का है, तो उसे गृहीत किया जा सकता है। जिस प्रश्न से मुख्यतया भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है, उस प्रश्न को स्वीकार करने का निर्णय प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। कोई सदस्य ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है जिसमें केन्द्रीय सहायता के नियंत्रण, पर्यवेक्षण या प्रशासन या राज्यों को प्रदान किए गये अनुदानों से उत्पन्न मामलों के बारे में जानकारी मांगी गई हो।

प्रश्न में साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए जो संसदीय समिति के विचाराधीन हों।[165] उसमें किसी संसदीय समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में भी नहीं पूछा जाना चाहिये जो उस समिति के प्रतिवेदन द्वारा सदन के समक्ष न रखी गई हो।[166] यदि ऐसा कोई प्रश्न गृहीत कर लिया जाता है, तो सदन में उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है।

> खराब टायरों की खरीद के संबंध में एक प्रश्न गृहीत किया गया था। प्रश्न पूछे जाने से पहले ही एक औचित्य प्रश्न उठाया गया कि उक्त मामला लोक लेखा समिति के विचाराधीन है और इसलिए यह प्रश्न ग्राह्य नहीं है। सभापति ने यह निदेश दिया कि प्रश्न पूछा जाये और उसका उत्तर दिया जाये और उसके बाद ही वह मामले पर विचार करेंगे। तद्नुसार, प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर दिया गया। तत्पश्चात् सभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:
>
> > प्रश्न पूछे जाने के पश्चात् हमें यह ज्ञात हुआ है कि उक्त मामला लोक लेखा समिति के विचाराधीन है तथा जब लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन आयेगा तब हम प्रश्न पूछने का अवसर अवश्य देंगे।
>
> इसके बाद सभापति ने अगले प्रश्न को ले लिया।[167]

लोक सभा में प्रश्नों के पहले दिये गये उत्तरों का हवाला देते हुए पचास से अधिक प्रमुख कंपनियों की ओर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया राशि के संबंध में एक प्रश्न की सूचना दी गई। तथापि, वित्त मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया कि इस विषय पर सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (लोक सभा) द्वारा विचार किया जा रहा है। तद्नुसार, उस प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया गया।[168]

जब किसी प्रश्न में किसी समिति की सिफारिशों का प्रत्यक्ष उल्लेख न किया गया हो किन्तु प्रश्न का विषय ऐसा हो जो समिति के विचाराधीन रहा हो, तब ऐसा प्रश्न केवल तभी ग्राह्य हो सकता है जब उसमें कोई ऐसी तथ्यपरक जानकारी मांगी गई हो जो समिति के प्रतिवेदन में तत्काल उपलब्ध न हो। किसी समिति की विनिर्दिष्ट सिफारिशों, जोकि लम्बे समय से बकाया रही हों, से संबंधित अथवा सरकार द्वारा उन सिफारिशों के क्रियान्वयन में अनुचित विलम्ब किए जाने से संबंधित जानकारी मांगने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

संसदीय समिति की कार्यवाही को गोपनीय समझा जाता है और उस समिति के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ऐसी किसी कार्यवाही से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसीलिए, किसी समिति की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगने वाले किसी भी प्रश्न को गृहीत नहीं किया जाता है। यही बात अनुपूरक प्रश्नों पर भी लागू होती है।

संसद् सदस्यों की किसी परामर्शदात्री समिति में चर्चा किए जाने वाले विषयों अथवा उसकी कार्यवाहियों को प्रश्न-काल के दौरान सदन में उठाने अथवा उसका हवाला देने की अनुमति नहीं दी जाती है।[169]

प्रश्न में किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र अथवा आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जानी चाहिए जिसके आचरण पर केवल मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो।[170] संविधान के अन्तर्गत, कतिपय पदधारी व्यक्तियों के आचरण पर सदन में मूल प्रस्ताव के अतिरिक्त चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसे पद हैं—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक।[171] इसीलिए, इनके बारे में प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जाता है।

राष्ट्रपति के संबंध में प्रश्न तब तक गृहीत नहीं किये जाते जब तक कि ऐसे प्रश्नों में विशुद्धत: तथ्यपरक स्वरूप की जानकारी न मांगी गई हो, उदाहरणार्थ, भारत के राष्ट्रपति की विदेश यात्रा।

> (क) हाल के सप्ताहों में भारत के राष्ट्रपति ने कितने देशों की यात्रा की; (ख) क्या राष्ट्रपति की विदेश यात्रा के दौरान भारत और उन देशों के बीच किन्हीं द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और (ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, के बारे में विदेश मंत्री से पूछा गया एक अतारांकित प्रश्न गृहीत किया गया था और उसका उत्तर दिया गया था।[172]

यही बात भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों पर भी लागू होती है जोकि राज्य सभा का **पदेन** सभापति भी होता है।

> मनीला सम्मेलन से संबंधित एक तारांकित प्रश्न गृहीत किया गया था। एक सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि सरकार ने भारत के उपराष्ट्रपति को ऐसी सलाह क्यों दी कि वह थाईलैण्ड जाएं और वहां कतिपय ऐसे भाषण दें जो भारत सरकार की नीति से मेल नहीं खाते हैं । कुछ सदस्यों ने इस प्रश्न पर यह कहते हुए आपत्ति की थी कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इसमें आरोप लगाया गया है। सभापति ने इस प्रश्न को इस आधार पर अनुमति प्रदान कर दी कि इसमें सभापति की आलोचना नहीं की गई है और प्रश्नकर्ता सभापति का उल्लेख नहीं कर रहा है बल्कि वह भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख कर रहा है।[173]

चूंकि राज्यपाल अपने-अपने राज्यों के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी प्रश्न या ऐसे प्रश्न जिनमें उनके विरुद्ध अभ्युक्ति की गई हो या अभ्युक्ति ध्वनित होती हो, गृहीत नहीं किये जाते हैं।

इसी तरह, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती है।

'मिनरवा मिल्स' के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में एक अल्प-सूचना प्रश्न गृहीत किया गया था। जब एक अनुपूरक प्रश्न के दौरान एक सदस्य ने इस मुकदमे का फैसला सुनाने वाले एक न्यायाधीश द्वारा दिए गये कुछ वक्तव्यों का उल्लेख किया तो सभापति ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए यह टिप्पणी की:

> ''मेरा यह विनिर्णय है कि श्री भगवती ने जो कुछ कहा है उसके आधार पर आप चार न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं करेंगे। यह श्री भगवती और उन चार न्यायाधीशों के बीच का मामला है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते... मैं अभिलेख को ध्यानपूर्वक देखूंगा और इसे अभिलेख से निकाल दूंगा...[174]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर न्यायालयिक कार्यवाही संचालित किये जाने के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का मौखिक उत्तर दिये जाने के समय कुछ सदस्यों ने प्रश्न को गृहीत किये जाने पर यह कहते हुए आपत्ति की कि इसमें न्यायाधीश के आचरण पर आक्षेप किया गया है। तथापि, इस प्रश्न पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकी क्योंकि मंत्री महोदय ने सभा को यह जानकारी दी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है और यह 'न्यायाधीन' है।[175]

किसी प्रश्न में व्यक्तिगत रूप का दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिये या दोषारोपण ध्वनित नहीं होना चाहिये।[176] प्रश्नों में कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप के आक्षेप या व्यक्तिगत बातों के समावेश की या व्यक्तिगत रूप के दोषारोपण को ध्वनित करने की अनुमति नहीं है।

किसी प्रश्न में नीति संबंधी ऐसे प्रश्न भी नहीं उठाये जाने चाहिये जो इतने विस्तीर्ण हों कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सकें।[177] नीतिगत मामले इतने विस्तीर्ण और व्यापक होते हैं कि ऐसे किसी मामले को उठाने वाले एक ही प्रश्न में समूचा प्रश्न-काल समाप्त हो जायेगा।[178] इसके अतिरिक्त, किसी नीतिगत मामले को उठाने या उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव अथवा संकल्प आदि ही उपयुक्त साधन होते हैं न कि प्रश्न। इस तरह के कुछ अस्वीकृत किए गए प्रश्नों का विवरण नीचे दिया गया है:

एक बार जब भारत में आयातित शराब के वितरण, बिक्री और उसके विनिर्माण से संबंधित एक प्रश्न पर एक सदस्य ने मद्यनिषेध के बारे में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था तब उपसभापति ने यह टिप्पणी करते हुए इसकी अनुमति नहीं दी थी कि यह एक विस्तीर्ण प्रश्न है।[179]

कश्मीर में सीमा शुल्क की समाप्ति से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर किसी सदस्य ने भाग 'ख' के सभी राज्यों में सीमा शुल्क समाप्त किए जाने के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था तब उपसभापति ने यह टिप्पणी की थी: ''हम प्रश्नों के समय के दौरान नीतियों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।''[180]

इसी आधार पर, पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न को, जो आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में था सभापति द्वारा नीतिगत प्रश्न बताकर अस्वीकृत कर दिया गया था।[181]

एक अनुपूरक प्रश्न पूछते समय जब एक सदस्य ने रेल दुर्घटना के प्रति मंत्री के संवैधानिक/प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व के बारे में कुछ बोला था तब सभापति ने यह टिप्पणी की थी:

> मेरी राय में प्रश्नों के समय के दौरान नीतिगत प्रश्नों पर चर्चा नहीं की जा सकती है तथा बजट पर चर्चा के दौरान निश्चित रूप से नीतिगत चर्चा की जा सकती है।[182]

इसी तरह जब भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था तब उस पर भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के बारे में सरकार की नीति से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था जिसे उपसभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अस्वीकार कर दिया था:

> ''प्रश्नों के समय को सामान्य नीतिगत मामलों पर चर्चा करने का अवसर नहीं बनाया जाना चाहिये; इस समय का उपयोग केवल सटीक प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाना चाहिये। सदस्यों को ऐसे बहुत-से अवसर मिलते हैं जब वे अपनी इच्छानुसार चर्चा कर सकते हैं।''[183]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में पूछे गये एक प्रश्न की बाबत एक सदस्य द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ करेगी, सभापति ने इस अनुपूरक प्रश्न को अस्वीकार कर दिया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि सभी वस्तुओं के लिए कोई एक नीति नहीं अपनाई जा सकती है, इसलिए उक्त अनुपूरक प्रश्न इतना विस्तीर्ण है कि मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं।[184]

तथापि, ''नई औद्योगिक नीति'' के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं॰ 63 पर अनुपूरक प्रश्न आरंभ होने से पहले ही सभापति ने सदन का ध्यान नियम 47(2)(xiii) की ओर दिलाया था और कहा था कि इस प्रश्न के मामले में वह इस नियम पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, किंतु सदस्यों को इस नियम का अनुपालन करना चाहिये।[185]

एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ द्वारा सोया आहार के निर्यात के संबंध में एक प्रश्न की बाबत एक सदस्य ने कहा था कि वह एक नीतिगत प्रश्न उठाना चाहेगा। इस पर सभापति ने यह टिप्पणी की थी कि नियमानुसार यह स्वीकार्य नहीं है, फिर भी उन्होंने उस सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी।[186]

प्रश्न में ऐसे प्रश्नों की सारत: पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए जिनके उत्तर पहले ही दिया जा चुके हों या जिनके उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो।[187] यह नियम ऐसे प्रश्नों की पुनरुक्ति का निषेध करता है जिनके पूर्ण उत्तर पहले ही दिये जा चुके हों। ऐसी पुनरुक्ति को प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग समझा जाता है या इससे सदन की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है और इसीलिए, ऐसे किसी प्रश्न को गृहीत नहीं किया जाता है। यदि ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें ऐसे किसी प्रश्न की पुनरुक्ति की गई प्रतीत होती हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, तो संबंधित मंत्रालयों का यह कर्त्तव्य है कि वह इस तथ्य को सचिवालय की जानकारी में लाएं।

जब कोई मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकार कर देता है तब उसी विषय से संबंधित प्रश्नों की परवर्ती सूचनाओं को नामंजूर कर दिया जाता है। सामान्यत: किसी भी प्रश्न को इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाता है कि लोक हित में उक्त जानकारी को प्रकट करना उचित नहीं है। यह मंत्री पर निर्भर करता है कि वह सदन में किसी प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में अस्वीकार कर दे।

तारांकित प्रश्न सं 675 जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश के बारे में पूछा गया था। उसके उत्तर में मंत्री ने कहा कि लोक हित में उन कंपनियों के नाम प्रकट करना उचित नहीं है जिनमें निगम ने पूंजी निवेश किया है। प्रश्नकाल के पश्चात् एक सदस्य ने इस मामले को उठाया और अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि ऐसा करना सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन है और सभापति से अनुरोध किया कि वह संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये मंत्री को निदेश दें।[188] [ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में आगे कुछ नहीं किया गया।]

जब कुछ सदस्यों ने लघु उद्योगों को आपूर्ति करने से राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अर्जित किये जा रहे लाभ के बारे में जानना चाहा तो मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि इस मामले का प्रचार करना लोक हित में उचित नहीं होगा। इससे उत्पन्न एक औचित्य-प्रश्न पर सभापति ने विनिर्णय दिया कि:

> मंत्री का कहना है कि लाभ की दर प्रकट करना या जो जानकारी सदस्य उनसे मांग रहे हैं उसे बताना लोक हित में नहीं है। जो बात लोक हित में प्रकट करना उचित नहीं है उसे बताने के लिए मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।[189]

सामान्यतया, प्रश्न में नगण्य विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए।[190] इस नियम का आशय गौण विषयों का अल्प ब्यौरे चाहने वाले प्रश्नों या विशुद्ध रूप से स्थानीय मामलों से संबंधित प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना है जिन्हें कोई सदस्य किसी समुचित प्राधिकारी के साथ उठा सकता है।

प्रश्न में साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए।[191] सामान्यत: विगत इतिहास या ऐसे विषयों, जो ऐतिहासिक अथवा शैक्षणिक स्वरूप के हों, पर जानकारी मांगने वाले प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जाता है।

पहले सदस्यों से ऐसे प्रश्नों की बहुत-सी सूचनाएं प्राप्त होती थीं जिनमें सदस्य विगत कई वर्ष की समयावधि से संबंधित विषयों पर जानकारी मांगते थे। इसलिए, सदस्यों को यह सलाह दी गई कि नियम 47(2)(xvi) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुई उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगनी चाहिए जोकि विगत तीन वर्षों से अधिक की समयावधि के बारे में हों।[192]

इसलिये, ऐसे प्रश्नों, जिनमें तीन वर्ष की समयावधि से अधिक अथवा काफी लम्बी समयावधि से संबंधित जानकारी मांगी जाती है, और जो अन्यथा ग्राह्य होते हैं, उन्हें सामान्यत: संशोधित कर दिया जाता है ताकि संबंधित जानकारी को तीन वर्ष की समयावधि के लिए सीमित किया जा सके।

प्रश्न में ऐसी जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए जोकि सुलभ प्रलेखों या साधारण संदर्भ कृतियों में दी गयी हो। ऐसे प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जाता जिनमें मांगी गई जानकारी राजपत्रों, प्रतिवेदनों, प्रलेखों, पुस्तकों तथा अन्य प्रपत्रों में उपलब्ध हो। लोक सभा के पूर्ववर्ती सत्रों की कार्यवाहियां सुलभ प्रलेखों की श्रेणी में आती हैं और इसीलिए, सामान्यत: राज्य सभा में ऐसे प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जाता जिनके उत्तर उक्त कार्यवाहियों में मिल जाते हों। जब कभी कोई जानकारी किसी सार्वजनिक पुस्तकालय अथवा किसी संदर्भ-ग्रंथ में उपलब्ध होती है, तत्संबंधी प्रश्नों को भी गृहीत नहीं किया जाता।[193]

प्रश्न में ऐसे विषय नहीं उठाये जाने चाहिए जो ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण में हों जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों।[194] ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों से संबंधित प्रश्नों को सामान्यत: तब तक गृहीत नहीं किया जाता है जब तक कि उनका संबंध सरकार के कार्यों से न हो अथवा सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को अनुदान न दिया गया हो।

प्रश्न में किसी ऐसे विषय के संबंध में जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए जोकि भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयाधीन हों,[195] अर्थात् जो विषय न्यायाधीन हों।

एक अनुपूरक प्रश्न के दौरान जब एक सदस्य ने एक नगरपालिका आयुक्त की गिरफ्तारी के बारे में जानना चाहा तब सभापति ने विनिर्णय दिया: ''इस मामले की जांच की जा रही है। हम यह प्रश्न नहीं पूछ सकते कि उसकी गिरफ्तारी सही है या गलत है''।[196]

कटक में पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि चूंकि पुलिस द्वारा की जा रही तलाशी की कार्यवाही उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है इसलिए, इस संबंध में और कोई ब्यौरा देना उचित नहीं है। सभापति ने उत्तर को सही मानते हुए इस पर और कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी।[197]

जब इण्डियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के निदेशक द्वारा मानहानि के एक मामले में दाखिल किए गए शपथपत्र से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाने वाला था उसी समय उस पर एक औचित्य-प्रश्न उठाया गया कि यह प्रश्न इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि यह न्यायालय में दिए गए एक शपथपत्र के संबंध में है जिसमें मुद्दे से संबंधित एक तथ्य का हवाला दिया गया है। तथापि, सभापति ने प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने की अनुमति प्रदान कर दी और तदुपरांत, औचित्य-प्रश्न को सही ठहराते हुए उस पर और आगे चर्चा को अस्वीकार कर दिया।[198]

जब नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई के बारे में एक प्रश्न पर कुछ सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछे तब संबंधित मंत्री ने कहा कि वह इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यह अधिकरण के विचाराधीन है किंतु जब एक सदस्य ने जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया तो उपसभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

माननीय मंत्री ने कहा है कि जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं वे उन मामलों से संबंधित हैं जिन्हें अधिकरण को सौंपा जा रहा है और उन पर उसी के द्वारा निर्णय लिया जायेगा, इसलिए, माननीय मंत्री कोई जानकारी देना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: माननीय मंत्री को उन तथ्यों के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा जोकि अधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं।[199]

मैसूर में दस डॉलर के नोटों के पकड़े जाने के बारे में पूछे गये एक प्रश्न के द्वारा एक सदस्य इस मामले में शामिल व्यक्ति का नाम जानना चाहता था। इस पर जब मंत्री ने यह कहा कि यदि सभापति अनुमति दें तो वह उसका नाम बता देंगे। तब सभापति ने यह टिप्पणी की थी:

> जब जांच करने वाला विभाग अर्थात् पुलिस विभाग, जो जांच कर रहा है, किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेगा और वह यह अनुभव करेगा कि इसमें कोई **प्रथम दृष्टया** मामला रहा है तब नाम बताने में कोई हानि नहीं होगी क्योंकि वह नाम न्यायालय में दिया जायेगा और न्यायालय की कार्यवाही सार्वजनिक होती है किंतु उस स्थिति तक पहुंचने से पहले मैं नहीं समझता कि नाम बताना उचित होगा। ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यदि पुलिस यह समझती है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है और वह निर्दोष है तब वह अनावश्यक रूप से बदनाम हो जायेगा। किंतु यदि पुलिस यह समझती है कि कोई व्यक्ति **प्रथम दृष्टया** दोषी है तो उसका नाम बताया जा सकता है।

तथापि, सभापति ने यह निदेश दिया कि यदि गृह मंत्री का यह विचार है कि नाम बता देने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तब उन्हें नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, गृह मंत्री ने बाद में उसका नाम बता दिया था।[200]

प्रश्न किसी ऐसे विषय के बारे में नहीं होना चाहिये जिससे मंत्री का उनके पद की दृष्टि से संबंध न हो।[201] किसी मंत्री द्वारा गैर-पदीय हैसियत से कही गई किसी बात या किए गये किसी कार्य के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रश्न में किसी मित्र देश के प्रति कोई अशिष्ट निर्देश नहीं होना चाहिए।[202] किसी विदेशी राष्ट्र के प्रशासन और कार्य के बारे में प्रश्न गृहीत नहीं किए जाते हैं।

प्रश्न में ऐसे विषयों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए जो गोपनीय प्रकार के हों।[203] मंत्रि-मंडल या उसकी समितियों या उप-समितियों के आन्तरिक कार्यकरण, मंत्रि-मंडल की चर्चाओं, या किसी ऐसे विषय, जिसके संबंध में जानकारी प्रकट न करने की कोई सांविधिक, कानूनी या परंपरागत बाध्यता हो, के बारे में राष्ट्रपति को दी गई सलाह की बाबत जानकारी मांगने वाले प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जाता है, क्योंकि उक्त विषयों को गोपनीय प्रकार का विषय माना जाता है।

जिन विषयों पर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा हो या हो चुका हो, उनके बारे में तथ्यात्मक विषयों को छोड़कर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए और ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर तथ्यात्मक कथन तक ही सीमित होता है।[204]

> एक बार जब एक सदस्य ने किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के मुख्य मंत्री को लिखे गये पत्र को पढ़कर सुनाया और यह पूछा कि सरकार ने उसके संबंध में क्या कदम उठाये हैं तो सभापति ने उस सदस्य से नियमों का पालन करने को कहा और यह टिप्पणी की कि ''इस बारे में यह स्पष्ट नियम है कि इस सदन में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच हुए पत्र-व्यवहार को किसी प्रश्न का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये''।[205]

यदि समाचार-पत्र के किसी समाचार पर आधारित प्रश्न में कोई सारभूत बात नहीं पूछी गई हो तो उसे गृहीत नहीं किया जाता है। समाचारों के ब्यौरे के बारे में पूछे गए प्रश्नों को सामान्यत: अस्वीकार कर दिया जाता है।

एक तारांकित प्रश्न पर, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्र के समाचार की ओर दिलाया गया है और उसका ब्यौरा क्या है, सभापति ने यह टिप्पणी की थी:

> ''मैंने पाया है कि अनेक प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि समाचार-पत्र में अमुक समाचार छपा है, क्या सरकार का ध्यान उसकी ओर दिलाया गया है। इसके बजाय कि समाचार-पत्र राजनेताओं का प्रचार करें, राजनेता समाचार-पत्रों का प्रचार कर रहे हैं। आपको किसी समाचार के सारतत्व का उल्लेख करना चाहिये और तब यह पूछना चाहिये कि क्या यह सच है अथवा नहीं। आपको प्रश्नों में नहीं पूछना चाहिये

> कि क्या किसी समाचार-पत्र में ऐसा कोई समाचार प्रकाशित किया गया है और वह समाचार क्या है। आप इसे भविष्य के लिए ध्यान में रख लें। यदि इसके बाद ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा।[206]

सरकारी उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निगमों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को साधारणत: तब तक उत्तर देने हेतु गृहीत नहीं किया जाता है जब तक कि उनमें नीतिगत अथवा जनहित का विषय अन्तर्ग्रस्त न हो। सदस्य उन सांविधिक निगमों और लिमिटेड कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में, जिनमें सरकार का वित्तीय अथवा नियंत्रणकारी हित हो, संबंधित निगमों अथवा कंपनियों से सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार के मंत्रालयों ने अपने नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे सांविधिक निकायों और लिमिटेड कंपनियों को निदेश जारी किये हैं कि वे मांगे जाने पर, सदस्यों को अपेक्षित जानकारी सीधे ही उपलब्ध करायें।[207]

> 1982 में, कुछ सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को वेतन वृद्धि दिए जाने, उनके द्वारा विदेश यात्राएं किए जाने, उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने तथा इस विश्वविद्यालय के टेलीफोन बिलों, भोजनालय लेखाओं, वेतन व्यय के संबंध में जानकारी मांगते हुए प्रश्नों की सूचनाएं दी थीं। सभापति ने उक्त सूचनाओं को अस्वीकृत करते हुए फाइल पर अपने आदेशों में यह टिप्पणी की थी: ''हम किसी स्वायत्त निकाय के घरेलू मामलों की इस तरह जांच किए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। प्रश्न का विषय ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध सभी लोगों से हो।''[208]

> बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के मामले में भेदभाव बरते जाने की बाबत पूछे गये प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न में एक सदस्य ने यह पूछा था कि हरियाणा राज्य वित्त निगम ने हरियाणा के मुख्य मंत्री के एक संबंधी को कुल कितनी राशि का ऋण मंजूर किया है? इस पर सभापति ने प्रश्न को अस्वीकृत करते हुए यह टिप्पणी की थी: ''यह बैंक-व्यवसाय का सिद्धान्त है और इस विधान-मंडल में भी इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति के ऋण संबंधी लेन-देन के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।''[209]

दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर पूछे गये प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जाता है। इसी प्रकार लोक सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय पर पूछे गये प्रश्न को भी गृहीत नहीं किया जाता है।

राज्य सभा में किसी प्रश्न के उत्तर में लोक सभा के चालू सत्र के दौरान दिए गये किसी प्रश्न के उत्तर या लोक सभा की कार्यवाही की ओर निर्देश नहीं किया जा सकता है।[210] अत: एक ही सत्र में दोनों सदनों में एक जैसे प्रश्नों को गृहीत किए जाने पर कोई रोक नहीं है।

प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में सभापति का निर्णय

ऊपर बताए गए प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तों में वे सभी आकस्मिकताएं शामिल नहीं हैं जिनमें प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जा सकता। किसी ऐसे प्रश्न, जो नियमों में विशिष्ट उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आता है, की ग्राह्यता का निर्धारण पूर्वोदाहरणों तथा सुस्थापित संसदीय परिपाटियों, परम्पराओं तथा प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसे तथा अन्य मामलों के संबंध में सभापति यह निर्णय करता है कि कोई प्रश्न अथवा उसका कोई भाग इन नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रश्न या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकता है जो उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया गया हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।[211]

यदि सभापति यह राय रखता हो कि यह निर्णय करने के लिए कि प्रश्न ग्राह्य है या नहीं; अधिक समय की आवश्यकता है तो उसे यह निदेश देने का भी अधिकार है कि किसी प्रश्न को प्रश्न-सूची में उत्तर के

लिए सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लिखित तिथि के बाद की किसी तिथि को रखा जाये।[212] यह भी एक सुस्थापित परिपाटी है कि किसी प्रश्न के किसी पहलू के बारे में किसी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में संबद्ध मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाता है और उससे तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त की जाती है और ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता प्राप्त की गई तथ्यात्मक जानकारी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। ऐसे किसी निर्देश के प्राप्त होने पर मंत्रालयों से यह आशा की जाती है कि वे संबंधित जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएंगे और हर हालत में ऐसे निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वह जानकारी अवश्य उपलब्ध करायेंगे। अस्वीकृत प्रश्न की ग्राह्यता पर संबंधित सदस्य से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

यदि सभापति की राय में मौखिक उत्तर के लिए रखा गया कोई प्रश्न ऐसे स्वरूप का है कि उसका लिखित उत्तर अधिक उचित होगा तो सभापति निदेश दे सकेगा कि ऐसा प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न सूची में रख दिया जाये।[213]

> गत तीन वर्षों के दौरान देश में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में बनाए गए स्मारकों की संख्या के संबंध में एक तारांकित प्रश्न संख्या 163 का उत्तर 14 नवम्बर, 1986 को दिया गया था।[214] महासचिव को लिखे गये एक टिप्पण में सभापति ने यह निदेश दिया था कि जिन प्रश्नों में आंकड़ों के संबंध में जानकारी मांगी गई हो उन्हें अतारांकित प्रश्नों की सूची में दर्ज किया जाना चाहिए।

सभापति, यदि वह ठीक समझे तो मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से मौखिक उत्तर चाहने के कारणों को संक्षेप में बताने के लिए भी कह सकेगा और उन पर विचार करने के बाद अपना निदेश देगा।[215]

सदस्य सभापति द्वारा किसी प्रश्न को गृहीत करने या अस्वीकृत करने के उसके अधिकार पर आपत्ति नहीं कर सकते।[216]

जब किसी प्रश्न की सूचना अस्वीकृत कर दी जाती है तो संबंधित सदस्य को सचिवालय द्वारा प्रश्न को अस्वीकृत करने के कारणों के बारे में सूचित कर दिया जाता है।

> एक बार एक सदस्य ने सूचना संबंधी मुद्दा उठाया कि उसने कतिपय प्रश्नों की सूचनाएं दी थीं और प्रत्युत्तर में उसे सूचित किया गया था कि सभापति ने उन सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है। उस सदस्य ने पूर्व परिपाटी का उल्लेख किया था जिसके अन्तर्गत जब किसी प्रश्न को अस्वीकृत किया जाता था तब उस नियम को उद्धृत किया जाता था जिसका उल्लंघन होता था ताकि सदस्य को अपने प्रश्न के अस्वीकृत होने का कारण ज्ञात हो सके। सभापति ने टिप्पणी की: ''सामान्यत:, जब मैं प्रश्नों को अस्वीकृत करता हूं तब मेरे पास उन्हें अस्वीकृत करने के पर्याप्त कारण होते हैं और सचिव सदैव माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करता है।[217]

प्रश्न-सूची और उसके लिए लॉटरी निकाला जाना

जो प्रश्न अस्वीकृत नहीं होते हैं, उन्हें सभापति के आदेश के अनुसार उस दिन की यथास्थिति मौखिक या लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में दर्ज कर दिया जाता है।[218] मौखिक उत्तरों के लिए गृहीत प्रश्न-सूची में सदस्यों के नामों को शामिल करने हेतु सदस्यों की परस्पर प्राथमिकता का निर्धारण करने की दृष्टि से दिवस-विशेष के लिए प्रश्नों की प्राप्ति के अन्तिम दिवस को मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे केन्द्रीय कक्ष की लॉबी में बैलट या लॉटरी बैलट आयोजित की जाती है।

प्रश्नों की परस्पर प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर पहली बार 1970 (71वें सत्र) में बैलट प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी।[219] सामान्य प्रयोजन समिति ने 1974 में यह सिफारिश की थी कि किसी दिवस-विशेष के लिए मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित प्रश्नों

की सूचनाओं के संबंध में नियम 39 के अधीन सूचनाओं की प्राप्ति के अंतिम दिवस को मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे एक बैलट कराया जाये ताकि उन सूचनाओं को देने वाले सदस्यों की परस्पर प्राथमिकता निर्धारित की जा सके और ऐसे बैलट के परिणाम के अनुरूप गृहीत तारांकित प्रश्नों की सूची तैयार की जानी चाहिए। जब किसी तारांकित प्रश्न की सूचना एक से अधिक सदस्यों द्वारा दी गई हो, तो बैलट के प्रयोजनार्थ उस सूचना को केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिया गया समझा जाना चहिए।[220]

उस समय से उपरोक्त प्रक्रिया ही प्रचलन में है। हाल ही में किए गए उपाशोधनों के कारण सूची में दर्ज किये जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या की सीमा को 20 प्रश्न प्रतिदिन (107वें सत्र से नियत)[221] और किसी तारांकित प्रश्न में दिये जाने वाले सदस्यों के नामों की संख्या को दो (116वें सत्र से)[222] तक सीमित कर दिया गया है। 1993 से प्रश्नों के बैलट के परिणाम को बाहरी लॉबी में सूचना-पट पर तथा संसद् भवन में सूचना कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जा रहा है।[223] नवम्बर, 1994 से लॉटरी, जो पहले केन्द्रीय कक्ष में हाथ से निकाली जाती थी, उसे भी अब कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और बैलट को देखने के लिये वहां उपस्थित किसी सदस्य से प्रतिदिन लॉटरी निकालने के लिए कम्प्यूटर को चलाने का अनुरोध किया जाता है।[223क]

> दिनांक 14 अगस्त, 1991 के आमंत्रण आदेश द्वारा 160वें सत्र के लिए 26 अगस्त, 1991 को राज्य सभा की बैठक बुलायी गई थी। चूंकि 15 अगस्त, 1991 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अवकाश था इसलिए 26 अगस्त, 1991 (सत्र का प्रथम दिवस) के प्रश्नों के लिए लॉटरी का आयोजन सामान्यत: पूरे दस दिन से एक दिन पूर्व अर्थात् 16 अगस्त, 1991 को किया गया था।[224]
>
> पहली बार वर्ष 1970 (71वां सत्र) में कमरा सं॰ 119, ऊपरी तल, संसद् भवन में लॉटरी निकाली गई थी।[225] वर्ष 1975 में (91वां सत्र) इसका स्थान बदलकर कमरा सं॰ 32 कर दिया गया।[226] 94वें सत्र के दौरान (दिसम्बर, 1975) लॉटरी कमरा सं॰ 239, संसदीय सौध में निकाली गई और जनवरी, 1979 (108वां सत्र) तक इसी स्थान पर लॉटरी निकाली जाती रही।[227] तदुपरांत, लॉटरी निकाले जाने का स्थान अप्रैल, 1979 (108वां सत्र) से कमरा सं॰ 31, संसद् भवन[228] से अक्तूबर, 1980 में (116वां सत्र) कमरा सं॰ 34, संसद् भवन[229] और जनवरी, 1981 में (117वां सत्र) वहां से कमरा सं॰ 28, संसद् भवन में अंतरित कर दिया गया।[230]
>
> जनवरी, 1988 में 165वें सत्र के दौरान यह स्थान बदलकर केन्द्रीय कक्ष, संसद् भवन कर दिया गया और तब से लेकर अब तक 'लॉटरी' निकाले जाने के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।[231]

किसी तारीख विशेष के लिए सदस्यों द्वारा दिये गये प्रश्नों में से, संबंधित सदस्यों द्वारा दी गयी वरीयताओं के आधार पर, प्रश्नों को सूची में दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया में, जब प्रश्नों को अन्तिम रूप से सूचीबद्ध किया जाता है तब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न-सूची में एक या दो मंत्रालयों को ही निरंतर स्थान मिले। इसके फलस्वरूप, प्रश्नों के समय में ज्यादा से ज्यादा केवल एक या दो मंत्रालयों के प्रश्न ही पूछे जा सकेंगे और उस तारीख के लिए निर्धारित अन्य मंत्रालयों के प्रश्न, प्रश्न-काल में नहीं लिये जा सकेंगे। नियम समिति ने इस मामले पर विचार किया और इस प्रयोजनार्थ एक नये नियम की सिफारिश की। तथापि, सदन में, एक प्रस्ताव उपस्थित करके प्रस्तावित नियम को हटा दिया गया।[232]

जहां तक लिखित उत्तरों के लिए गृहीत प्रश्नों का संबंध है, 173वें सत्र तक प्रक्रिया यह थी कि सचिवालय में सूचनाओं की प्राप्ति के समय के अनुसार उन्हें क्रम-वार लगाया जाता था। तथापि, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों हेतु एक दिन के लिए कुल 175 प्रश्नों की सीमा निर्धारित कर दिए जाने के कारण, 174वें सत्र से दो बैलट आयोजित किये जाते हैं —एक बैलट, तारांकित प्रश्नों के लिए जिसमें 20 प्रश्नों की सूची के लिए सदस्यों के नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं और दूसरा बैलट, अतारांकित प्रश्नों के लिए जिसमें

लिखित उत्तरों हेतु 155 प्रश्नों की सूची में सदस्यों के प्रश्नों को सम्मिलित करने के लिए सदस्यों की बैलट प्राथमिकता निर्दिष्ट की जाती है।[233]

> एक बार ऐसा हुआ कि तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 प्रश्नों से कम थी क्योंकि नियत तिथि के लिए केवल 17 सदस्यों से ही सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इस स्थिति से बचने के लिए प्रश्नों की सूचनाओं की गणना को पुन: शुरू किया गया और इसके फलस्वरूप प्रश्न-सूची में दर्ज प्रथम चार सदस्यों के नाम से दो-दो प्रश्न प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में सम्मिलित किये गये।[233क]

मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों पर पृथक् संख्या अंकित की जाती है। प्रत्येक सूची के लिए पृथक्-पृथक् संख्या अंकित की जाती है। प्रश्नों की यह संख्या सत्र के आरंभ में 1 से शुरू होकर सत्र की समाप्ति तक क्रमानुसार लगातार बढ़ती रहती है । मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची में प्रश्न संख्या के पास तारांक लगाया जाता है।

मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची गुलाबी कागज पर मुद्रित की जाती है और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची पीले कागज पर मुद्रित की जाती है ताकि दोनों सूचियों को आसानी से पहचाना जा सके।

> 1974 में (87वां सत्र) सदस्यों को यह सूचित किया गया था कि पीले कागज की कमी के कारण अतारांकित प्रश्नों की सूचियां फिलहाल सफेद कागज पर मुद्रित की जा रही हैं।[234]

जिन मंत्रालयों के प्रश्न किसी सूची विशेष में सम्मिलित किए जाते हैं, उन मंत्रालयों के नाम तथा उस सूची में सम्मिलित किए गये प्रश्नों की कुल संख्या, प्रश्नों की सूची के ऊपर निर्दिष्ट कर दिये जाते हैं। सूची के अन्त में मंत्रालय-वार एक अनुक्रमणिका दी जाती है जिसमें प्रत्येक मंत्रालय के लिए सूची में सम्मिलित किए गये प्रश्नों की संख्या दी जाती है।

प्रश्नों की सूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न के ऊपर मोटे अक्षरों में प्रश्न का उपयुक्त शीर्षक, सदस्य (सदस्यों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) प्रश्न पूछा है और उस मंत्री का पदनाम जिसे प्रश्न सम्बोधित किया गया है, मुद्रित किया जाता है। यदि सदन में किसी प्रश्न को लिए जाने से पहले ही प्रश्न को वापस ले लिया जाता है या उसे बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो एक शुद्धिपत्र जारी करके उस प्रश्न को सूची से हटा दिया जाता है और संबंधित सदस्य को तद्नुसार सूचित कर दिया जाता है।

सदस्यों के नामों का एक साथ दिया जाना

आरंभ के वर्षों में, इस बारे में कोई सीमा नहीं थी कि किसी तारांकित प्रश्न के लिए एक साथ कितने सदस्यों के नाम दिए जा सकते हैं। इसके कारण कई बार एक ही तारांकित प्रश्न पर अनेक सदस्यों के नाम एक साथ देने पड़ते थे। उदाहरण के लिए, चार बार तो ऐसा हुआ कि यह संख्या 34 तक पहुंच गई।[235] स्पष्टत:, इससे सदन में उत्तरों के लिए अधिक प्रश्नों को नहीं लिया जा सका।

> किसी राजनीतिक दल के मांग-पत्र के संबंध में 18 अगस्त, 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं॰ 525 के लिए एक साथ सोलह सदस्यों के नाम दिए गये थे। उस दिन केवल दो प्रश्न ही लिए जा सके।

सामान्य प्रयोजन समिति के परामर्श से सभापति ने निर्देश दिया कि किसी तारांकित प्रश्न के लिए एक साथ पांच से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिए जाने चाहिए।[236] इसके बाद पांच से अधिक सदस्यों के नामों को छोड़ दिया गया। यह प्रक्रिया 1978 तक प्रचलित रही। इसके बाद नियम समिति ने यह सिफारिश की कि इस संख्या को घटाकर तीन कर दिया जाना चाहिए।[237] तद्नुसार, यह प्रक्रिया 1980 तक प्रचलन में रही। इसके पश्चात् नियम समिति ने इस मामले पर फिर से विचार किया और किसी तारांकित प्रश्न के

लिए एक साथ दिये जाने वाले सदस्यों के नामों की संख्या को और घटाकर दो कर दिया।[238] अत: इस समय किसी तारांकित प्रश्न के लिए एक साथ केवल दो नाम दिये जाने की परिपाटी है और दो से अधिक नाम होने पर शेष नामों को छोड़ दिया जाता है।

बैलट के परिणामानुसार पहले नाम के अतिरिक्त, अन्य सदस्यों के नाम उनकी सूचना प्राप्त होने के कालक्रम में रखे जाते हैं। जब किसी तारांकित प्रश्न की सूचना एकाधिक सदस्यों अर्थात् संयुक्त सूचना के रूप में दी जाती है तो बैलट के प्रयोजनार्थ वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई मानी जाती है।[239]

जहां तक अतारांकित प्रश्नों का संबंध है, उसके लिए सदस्यों के नाम एक साथ रखे जाने के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। तथापि, नामों को एक साथ रखते समय प्रति बैठक प्रति सदस्य के पांच प्रश्नों की समग्र सीमा को अवश्य ध्यान में रखा जाता है।

एक ही विषय अथवा सहबद्ध विषयों से संबंधित प्रश्नों का समेकन

विभिन्न सदस्यों द्वारा दी गई केवल उन प्रश्नों की सूचनाओं को एक साथ रखा जाता है जिनकी शब्द रचना समान होती है और उनकी परस्पर प्राथमिकता लॉटरी/उनकी प्राप्ति के समय के अनुसार निर्धारित की जाती है। एक ही विषय के ऐसे प्रश्नों को उस स्थिति में एक साथ नहीं रखा जाता जो उस विषय के भिन्न-भिन्न पहलुओं से संबंधित होते हैं और उनकी ग्राह्यता पृथक् रूप से निर्धारित की जाती है। नियम समिति ने समान प्रश्नों के समेकन के मामले पर विचार किया किन्तु यह महसूस किया कि ऊपर उल्लिखित वर्तमान परिपाटी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।[240]

प्रश्नों के पुकारे जाने और पूछने का क्रम और रीति

मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्न उसी क्रम से पुकारे जाते हैं जिसमें कि वे प्रश्न-सूची में दिये गये हैं।[241]

सभापति प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जिसके नाम में प्रश्न-सूची में कोई प्रश्न होता है, क्रम से पुकारता है। इस प्रकार पुकारा गया सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होता है और अपने नाम में रखे हुए प्रश्न को प्रश्न-सूची में उसके क्रमांक के निर्देश से पूछता है।[242]

जब कोई प्रश्न दो सदस्यों के नाम में दिया गया होता है और उनमें से एक सदस्य अनुपस्थित रहता है और यदि वह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए पुकारा जाता है तब दूसरा सदस्य, जोकि वहां पर उपस्थित हो, वह प्रश्न पूछ सकता है। तथापि, मुद्रित वाद-विवाद में दोनों ही सदस्यों के नाम मुद्रित किए जाते हैं और उसके साथ एक पाद-टिप्पण भी मुद्रित किया जाता है, जिसमें सदन में प्रश्न पूछने वाले सदस्य का नाम दर्शाया जाता है।

जब सभापति द्वारा नाम पुकारे जाने पर कोई सदस्य यह कहता है कि अपने नाम से रखे हुए प्रश्न को पूछने का उसका इरादा नहीं है,[243] तो प्रश्न को वापस ले लिया गया माना जाता है और ऐसी स्थिति में यह समझा जाता है कि सभापटल पर उसका कोई लिखित उत्तर नहीं रखा गया है।[244] दूसरे शब्दों में, मुद्रित वाद-विवाद में वह प्रश्न नहीं दर्शाया जाता है।

मंत्रिपरिषद् में रक्षा मंत्री को पुन: सम्मिलित किये जाने के विरोध में, 28 नवम्बर, 2001 को उत्तर दिये जाने के लिए तारांकित प्रश्न 141 जिस सदस्य के नाम से दर्ज था, सभापति द्वारा उसका नाम पुकारे जाने

पर उसने प्रश्न पूछने से इन्कार कर दिया। तत्पश्चात् सभापति ने यह निर्णय दिया: ''यदि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो इसे वापस ले लिया गया समझा जायेगा।'' तद्नुसार, तारांकित प्रश्न सं॰ 141 को वापस ले लिया गया समझा गया।[245]

समान प्रश्नों का एक साथ लिया जाना

जब एक ही मंत्री को संबोधित एक ही अथवा सहबद्ध अथवा समान विषय के दो प्रश्न किसी दिवस विशेष की तारांकित प्रश्नों की सूची में दिए गये होते हैं अथवा जब उनमें से पहले प्रश्न का उत्तर देने का समय आ जाता है तो सभापति स्वविवेक से अथवा किसी सदस्य के अनुरोध पर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे प्रश्न, सूची में दिए गये उनके क्रम को ध्यान में रखे बिना उत्तर हेतु एक साथ लिए जा सकते हैं बशर्ते ऐसा किये जाने पर किसी सदस्य/मंत्री की ओर से कोई आपत्ति न की गई हो। ऐसी स्थिति में, दोनों प्रश्न एक-एक करके पूछे जाते हैं और उनके उत्तर पृथक् रूप से दिए जाते हैं।[246]

> 26 मई, 1972 के लिए सूची में दर्ज तारांकित प्रश्न सं॰ 409 इस्पात के वितरण से संबंधित था। एक सदस्य ने इसके कुवितरण से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न पूछा जोकि एक अन्य सदस्य के नाम में प्रश्न सं॰ 419 पर दर्ज था। दूसरे सदस्य ने सुझाव दिया कि यदि अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दी जाती है तो दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जा सकता है अथवा अनुपूरक प्रश्न उस समय पूछा जाना चाहिए जब तारांकित प्रश्न सं॰ 419 का उत्तर दिया जा रहा हो। चूंकि, अनुपूरक प्रश्न पहले ही पूछ लिया गया था इसलिए, सभापति ने यह देखते हुए कि कोई आपत्ति नहीं की गई है, दोनों प्रश्नों को एक साथ पूछने की स्वीकृति प्रदान कर दी।[247]
>
> एक सदस्य ने विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह अधिकारियों की नियुक्ति में विलंब के संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। इस पर सभापति ने बताया कि वह प्रश्न सं॰ 4 पर था। मंत्री ने अपने उत्तर में, उस प्रश्न के उत्तर का हवाला दे दिया था। तब सभापति ने मंत्री को उसी समय वह उत्तर देने और दोनों प्रश्नों को एक साथ लेने का निदेश दिया था।[248]

ऐसे भी अवसर आये हैं जब तीन-तीन प्रश्नों को भी एक साथ लिया गया है।[249]

> जब सभापति ने यह घोषणा की कि तीन विशेष प्रश्नों को एक साथ लिया जायेगा, तो एक सदस्य ने यह कहा कि ये तीनों भिन्न-भिन्न हैं। दो प्रश्न रामेश्वरम् के मछुआरों से संबंधित हैं और तीसरा प्रश्न श्रीलंका से शरणार्थियों के आगमन से संबंधित है। इस पर सभापति ने यह टिप्पणी की थी: ''कोई बात नहीं। यदि मैं इन्हें असंगत बतांऊगा तो आप सहमत नहीं होंगे, आप मुझसे लड़ोगे इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों को एक साथ रख रहा हूं।''[250]

तथापि, यदि सभापति को आपत्ति हो या उसका यह विचार हो कि प्रश्न एक ही विषय पर आधारित नहीं हैं तो वह प्रश्नों को एक साथ लिए जाने से मना कर सकता है।[251]

> एक सदस्य ने सभापति से अनुरोध किया था कि उसके नाम पर दिये गये तीन प्रश्नों, अर्थात् प्रश्न सं॰ 39, 40 और 51 को एक साथ लिये जाने की अनुमति दी जाये क्योंकि तीनों प्रश्न एक ही विषय से संबंधित हैं और ऐसा करने से उनके एक साथ उत्तर दिये जा सकते हैं और उन पर अपेक्षाकृत कम अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे। सभापति इस पर सहमत नहीं हुए थे और उन्होंने कहा था कि ''ऐसे प्रश्न सामान्यत: एक-एक करके पूछे जाते हैं।''[252]
>
> जब एक सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि उसके नाम से दसवें स्थान पर दिये गये उसके एक अन्य प्रश्न को एक साथ लिया जाए, क्योंकि वह पहले प्रश्न के विषय से ही संबंधित है, तब संबंधित मंत्री ने यह कहा था कि दोनों प्रश्न भिन्न-भिन्न हैं इसलिए उन्हें अलग-अलग लिया जाये। इस पर सभापति सहमत हो गये थे।[253]
>
> एक अन्य अवसर पर, एक सदस्य ने यह अनुरोध किया था कि तीन प्रश्नों को एक साथ लिया जाये ''ताकि सदस्य यह महत्वपूर्ण विषय एक साथ उठा सकें और इसका संतोषजनक उत्तर मिल सके।'' इस पर जब सभापति ने सदन में यह पूछा कि क्या सदस्य इससे समहत हैं, तो कुछ सदस्यों ने कहा, ''नहीं''। इसलिए सभापति ने यह टिप्पणी की कि ''तीनों प्रश्न जीवन बीमा निगम से संबंधित हैं किन्तु उनकी विषय-वस्तु भिन्न प्रतीत होती है।''[254]

सभापति ने यह सुझाव दिया था कि सं॰ 9 पर दिये गये प्रश्न को सं॰ 1 पर दिए गये प्रश्न के साथ जोड़ा जा सकता है। इस पर कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि यह एक भिन्न प्रश्न है। इसके पश्चात् सभापति उसे अलग रखने पर सहमत हो गये थे। इस पर एक सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़ने का सभापति का पूर्व निर्णय ठीक था। इस पर सभापति ने यह कहा था कि ''मैंने अपने निर्णय का पुनरीक्षण कर लिया है।''[255]

प्रश्नों के उत्तरों की प्रतियों का उपलब्ध कराया जाना

तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिये जाते हैं। यह एक सुस्थापित प्रथा है कि प्रश्नों के उत्तरों की अग्रिम प्रतियां उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं।[256] जुलाई, 1952 में ही सदस्यों ने यह मामला उठाया था कि प्रश्नों के उत्तरों में सदन के पटल पर रखे जाने वाले विवरणों की अग्रिम प्रतियां उपलब्ध कराई जायें ताकि सदस्य उत्तरों को समझ सकें और उन पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें।[257] सभापति ने लोक सभा में अपनाई जा रही प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा था कि विवरण की प्रतियां सूचना कार्यालय में आधा घंटा पहले रख दी जायेंगी।[258]

यह मामला पुन: 1968 में उठाया गया। चर्चा के दौरान यह कहा गया कि प्रक्रिया के अनुसार मंत्री को यह अधिकार है कि वह मौखिक उत्तर देने के लिए खड़ा होने तक किसी प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन कर सकता है, हो सकता है कि उस समय तक उसे कोई नवीनतम जानकारी प्राप्त हो जाये या अन्तिम क्षणों में उसे किसी दस्तावेज को पढ़कर कोई जानकारी मिल जाये और इससे, उसके उत्तर में भारी अंतर आ जाये। अत: यदि सदस्यों को उत्तर पहले ही उपलब्ध करा दिये जायें, तो इससे न केवल प्रश्नों के समय की सक्रियता समाप्त हो जायेगी बल्कि इससे मंत्रियों को भी भारी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। सभापति ने कहा कि वह इस मामले को नियम समिति को सौंपेंगे।[259]

नियम समिति ने इस मामले पर विचार किया और यह सिफारिश की कि उस दिन के लिए प्रश्नों की सूची में शामिल सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तरों का एक सेट सदस्यों के अवलोकनार्थ मध्याह्न पूर्व 10.30 बजे तक सूचना कार्यालय में रख दिया जाना चाहिए। तथापि, इन उत्तरों को गोपनीय समझा जाएगा और तब तक अंतिम उत्तर के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक प्रश्नों के उत्तर वास्तव में सदन में नहीं दिये जाते।[260] सभापति के एक निदेश द्वारा 109वें सत्र के प्रारंभ से इस सिफारिश को कार्यान्वित किया गया।[261]

वर्तमान परिपाटी यह है कि उस दिन के लिये प्रश्नों की सूची में शामिल सभी तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के पांच सेट सदस्यों के अवलोकनार्थ मध्याह्न पूर्व 10.00 बजे तक सूचना कार्यालय में इस शर्त के साथ रख दिये जाते हैं कि उन उत्तरों को गोपनीय माना जाएगा और तब तक अंतिम उत्तर के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रश्नों के उत्तर वस्तुत: सदन में नहीं दे दिये जाते या उन्हें सभा पटल पर रख दिया गया नहीं मान लिया जाता।[262] सुविधा के लिये पहले पांच तारांकित प्रश्नों के उत्तरों को भी बाह्य लॉबी में सूचना-पट पर प्रदर्शित किया जाता है।

जब किसी मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न के संबंध में कोई विवरण सभापटल पर रखा जाना होता है अथवा जब किसी पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर का उल्लेख किया जाना होता है तो उस विवरण अथवा पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर की प्रतियां संबंधित सदस्यों को आधा घंटा पहले ही उपलब्ध करवा दी जाती हैं, ताकि वे उनका अध्ययन कर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें।[263]

एक औचित्य-प्रश्न के संबंध में, एक सदस्य ने बताया कि एक प्रश्न के उत्तर में 1980-81 में पहले पूछे गए ऐसे कई प्रश्नों का हवाला दिया गया है जो उसे अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये उस समय उपलब्ध नहीं करवाए गए। सभापति ने यह सुझाव दिया कि यदि पहले पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का हवाला दिया गया है तो उन उत्तरों को सदस्यों के अवलोकनार्थ एक उपाबंध के रूप में सभापटल पर रखा जाए।[264]

प्रश्न करने वाले सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को भी प्रस्तावित विवरण की एक प्रति दी जा सकती है, बशर्ते कि अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध हों। यदि किसी कारणवश ऐसा विवरण सभा पटल पर नहीं रखा जाता है या उसका उत्तर नहीं दिया जाता है या संबंधित प्रश्न का सदन में उत्तर देते समय मंत्री द्वारा तत्संबंधित विषय-वस्तु में परिवर्तन किया जाता है तो मूल विवरण अथवा उत्तर को सार्वजनिक नहीं किया जाता।

मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिया जाना

जब कभी मौखिक उत्तर वाले किसी तारांकित प्रश्न का उत्तर काफी लंबा हो जाता है तो सभापति सदैव यह निदेश देता है कि उसे सभापटल पर रखा जाए, ताकि प्रश्न-काल के दौरान उपलब्ध समय का सदुपयोग अधिकाधिक प्रश्न शामिल करने में किया जा सके।[265]

एक अवसर पर जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने यह बताया कि इनकी सूची काफी लंबी है तब सभापति ने निदेश दिया कि मंत्री इसे सभापटल पर रख दें। [266]

जब प्रस्तावित विवरण की एक प्रति न मिलने के कारण एक सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्री को इसे पढ़ने का निदेश दिया जाए, तब सभापति ने टिप्पणी की:

''मंत्री को यह विवरण पढ़कर सुनाने के लिए कहने में कोई गलत बात नहीं है, किन्तु हम सदन का इतना समय व्यर्थ कर देंगे और इसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम प्रश्न पूछे जा सकेंगे। इसलिए, मैं सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे लंबे विवरणों को पढ़ने पर जोर न दिया करें। सभापति ने यह भी कहा कि यदि सदन यही चाहता है कि विवरण मंत्री द्वारा पढ़वाया जाए तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात्, कुछ सदस्यों ने कहा कि उस विवरण को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाए जाने के पश्चात् सभापति ने मंत्री से अनुरोध किया कि वह उस विवरण का सार प्रस्तुत करे। मंत्री ने उस विवरण के अत्यधिक लंबा होने के कारण उसका सार प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तथापि, बाद में उसने सार प्रस्तुत किया।[267]

एक अवसर पर, जब एक मंत्री ने किसी प्रश्न का बहुत लंबा उत्तर दिया तो इस प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहने से पहले उपसभापति ने यह टिप्पणी की थी, ''मैं सत्ता पक्ष का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि उत्तरों को बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। यदि उत्तर लंबे ही हों तो उन्हें विवरणों के रूप में सभापटल पर रखा जाना चाहिये। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये अपेक्षाकृत अधिक समय मिलना ही चाहिये।[268]

एक अन्य अवसर पर, एक मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में एक विवरण सभा पटल पर रखा। जिस सदस्य के नाम से वह प्रश्न था उसने खड़े होकर यह विरोध प्रकट किया कि वह विवरण मात्र छह पंक्तियों का उत्तर है तथा इसे ऐसे अन्य सदस्यों के लाभार्थ पढ़ा जाना अधिक बेहतर होता जो इसके संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते, और इस प्रकार से उन्हें उनके प्रश्न पूछने के स्वयंसिद्ध अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तत्पश्चात्, सभापति ने यह टिप्पणी करते हुए मंत्री को विवरण पढ़कर सुनाने का निदेश दिया, ''यदि उत्तर लंबा हो केवल तभी उसे सभापटल पर रखा जा सकता है। छोटे उत्तर को पढ़कर सुनाया जाए।''[269]

जब एक मंत्री ने एक प्रश्न का बहुत लंबा उत्तर पढ़ा और प्रश्नों का समय समाप्त होने वाला था तो सभापति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की: इस सदन में और प्रत्येक संसद् में यह नियम है कि यदि उत्तर लंबे हों तो उन्हें विवरण के रूप में सभापटल पर रखा जाना चाहिये ताकि सदस्य उन्हें पढ़ सकें। सभापति ने मंत्री को भविष्य में इस नियम का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने का निदेश दिया।[270]

सभापति द्वारा की गई उपर्युक्त टिप्पणी के अनुसरण में सचिवालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को एक ज्ञापन भेजा जिसमें उनसे सभी सम्बद्ध पक्षों को ये निदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था कि ''जब कभी भी किसी तारांकित प्रश्न का उत्तर 5 या 6 पंक्तियों से अधिक हो अथवा उसमें आंकड़े दिये गए हों तो उसे निरपवाद रूप से उस प्रश्न के उत्तर में एक विवरण के रूप में सभापटल पर रखा जाना चाहिये।[271]

तथापि, बाद के अवसरों पर भी सभापति को मंत्रियों को लंबे उत्तरों को विवरणों के रूप में सभापटल पर रखे जाने की सलाह देने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।[272] उदाहरण के लिये, एक अवसर पर सभापति ने टिप्पणी की:

> ''कुछ लोग दोनों तरह से भूल करते हैं। कभी-कभी लोग बहुत छोटे वक्तव्य सभापटल पर रख देते हैं और कुछ लोग केवल लंबे-लंबे वक्तव्यों को ही पढ़ते जाते हैं। अत:, आपको नियम के अनुसार चलना चाहिए। मैं यह निदेश दे रहा हूं कि छोटे वक्तव्यों को पढ़ा जाना चाहिए और लंबे वक्तव्यों को सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए।[273]

किसी तारीख को सदन में मौखिक रूप से दिये गये प्रश्नों के उत्तरों को दिवस की कार्यवाही में ''प्रश्नों के मौखिक उत्तर'' शीर्षक के अंतर्गत मुद्रित किया जाता है, जबकि लिखित उत्तरों के लिये प्रश्नों तथा ऐसे तारांकित प्रश्नों, जिनका सदन में मौखिक रूप से उत्तर नहीं दिया गया है, के उत्तरों को कार्यवाही में ''प्रश्नों के लिखित उत्तर'' शीर्षक के अंतर्गत मुद्रित किया जाता है।

> एक अवसर पर, एक सदस्य ने प्रश्न-सूची में अपने नाम पर दर्ज प्रश्न पूछा किन्तु मंत्री ने उसका उत्तर पढ़कर नहीं सुनाया। तथापि, उक्त प्रश्न को तारांकित प्रश्न समझा गया और उसके उत्तर को इस आशय के एक पाद-टिप्पण के साथ मुद्रित किया गया। सभापति द्वारा प्रश्नों का समय समाप्त होने की घोषणा करने से पहले, ऐसा किये जाने का कारण यह बताया गया कि मंत्री ने यह निर्णय लेने में कि क्या प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये या नहीं, एक मिनट का समय लिया है। सुस्पष्टत: वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते (क्योंकि प्रश्नों का समय समाप्त होने वाला था)।[274]

कार्यवाही में, प्रश्नों के उत्तरों को उस मंत्री के नाम में दर्शाया जाता है जो वस्तुत: सदन में उसका उत्तर देता है। प्रश्नों के लिखित उत्तरों और मौखिक उत्तरों के लिये ऐसे प्रश्नों के उत्तरों, जो सभापटल पर रख दिये जाते हैं, को उत्तरों में निर्दिष्ट मंत्री के नाम में दर्शाया जाता है।

> एक सदस्य ने सभापति का संरक्षण इसलिए चाहा कि मंत्री प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर दे। उसमें कहा, ''जहाँ तक सदस्यों का संबंध है, हम अपने प्रश्नों को भाग (क), (ख) और (ग) आदि में देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सामान्य उत्तर दे दिये जाते हैं।'' प्रश्न के (ख) भाग में यह पूछा गया था ''ये पद कब से रिक्त हैं? इसका बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया गया है। मेरे विचार में मंत्रालय द्वारा प्रश्नों के सटीक उत्तर दिये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।''[275]

190वें सत्र के दौरान एक संसदीय प्रश्न के दिये गये उत्तर से उत्पन्न विशेषाधिकार के हनन की सूचना पर विचार करते समय सभापति ने यह टिप्पणी की कि यदि मंत्रालय ने प्रश्न के प्रत्येक भाग का अलग-अलग और स्पष्ट उत्तर दे दिया होता, तो काफी हद तक भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता था। इसके बाद की कार्यवाही के रूप में, 25 अक्तूबर, 2000 को इस आशय का एक कार्यालय-ज्ञापन संसदीय कार्य मंत्रालय को जारी किया गया जिसमें सभापति के उक्त निर्देश की ओर सभी मंत्रालयों का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गई थी।

प्रश्नों के समय के दौरान मंत्री का उत्तरदायित्व

जब कोई प्रश्न मौखिक उत्तर के लिये रखा जाता है तो संबंधित सदस्य, सभापति द्वारा पुकारे जाने पर, अपने स्थान पर खड़े होकर प्रश्न पूछता है।[276] इसलिये, यह आवश्यक है कि उसका उत्तर देने के लिये सदन में मंत्री को अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। यद्यपि तारांकित प्रश्नों संबंधी नियमों में 'अल्प सूचना प्रश्न' से संबंधित नियम से भिन्न उपबंध नहीं है कि ''संबंधित मंत्री तुरंत उत्तर देगा'',[277] तथापि सदन में मंत्रियों की उपस्थिति के संबंध में कुछ परम्पराएं विकसित हो गई हैं तथा उनमें से एक परम्परा यह है कि नियत दिवस को प्रश्नों का उत्तर देने के लिये संबंधित मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिये। किसी मंत्री के लिये किसी दिवस को नियत करने का मुख्य प्रयोजन उस मंत्री को संबोधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिये सदन में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रतीत होता है। परिपाटी के अनुसार जब भी कोई मंत्री सरकारी या किसी अन्य कार्यवश दिल्ली से बाहर जाता है तो उसे अग्रिम रूप से सभापति को इसकी सूचना देनी होती है और उसे अपनी अनुपस्थिति के दौरान सदन में प्रश्नों सहित उसके कार्य को संपादित करने के लिये उसके द्वारा की गई व्यवस्था की जानकारी भी देनी होती है।

इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि एक अवसर पर जब एक मंत्री, जो प्रश्न के विषय के लिये उत्तरदायी नहीं था, ने एक अन्य मंत्री, जो उसके लिये उत्तरदायी था और सदन में उपस्थित था, की ओर से स्वेच्छा से उक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहा तो सभापति ने विनिर्णय दिया:

> यह परिपाटी रही है कि मंत्री यह अनुरोध भेजते हैं कि जब वे सदन में उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी ओर से कोई अन्य मंत्री प्रश्नों के समय के दौरान प्रश्न का उत्तर देगा। यह परिपाटी पुरानी हो गई है और न केवल विगत में इसका अनुपालन किया गया है बल्कि मैंने भी इसका अनुपालन किया है। सामान्यत: यह परिपाटी ऐसे मंत्रालय पर लागू होती है जिसमें सभा में उपस्थित होने के लिये कोई अन्य उपमंत्री या राज्यमंत्री नहीं होता है। इसमें संयुक्त उत्तरदायित्व जैसी कोई बात ही नहीं है क्योंकि इस तरह से आप एक मंत्री नहीं बल्कि पांच मंत्रियों को सदन में भेज सकते हैं क्योंकि वे सभी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। वे कहेंगे कि सदन में जो भी मंत्री उपस्थित हो उसे प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जाए। संयुक्त उत्तरदायित्व इतना अधिक व्यापक नहीं हो सकता है। संयुक्त उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक मंत्री को किसी अन्य मंत्री का स्थान लेने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते उस मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री नहीं हो जो सदन में उक्त मंत्री का स्थान ले सके।
>
> तथापि, सभापति ने कहा कि चूंकि मंत्री महोदय तैयार हैं, इसलिए उन्हें सदन की अनुमति से प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है किन्तु, भविष्य में यदि मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री आ जाता है और वह सदन में उपस्थित रहता है तो किसी और को नहीं बल्कि उसे इसका उत्तर देना चाहिये।[278]
>
> एक अवसर पर जब वाणिज्य मंत्रालय के दोनों मंत्री अनुपस्थित थे तो उनकी ओर से एक अन्य मंत्री उत्तर दे रहा था। एक समय एक सदस्य ने ध्यान दिलाया कि दो में से एक मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिये था। सभापति ने कहा कि नियमों में किसी मंत्री को किसी अन्य मंत्री की ओर से उत्तर देने की अनुमति दी गई है।[279]
>
> ऐसे अवसर रहे हैं जब तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर उस मंत्री के नाम से प्राप्त हुए जिसे मूलत: प्रश्न संबोधित किये गये थे, लेकिन उन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर किन्हीं अन्य मंत्रियों द्वारा दिया गया था। ऐसा उस समय भी हुआ जबकि ऐसे मंत्री जिन्हें मूलत: प्रश्न संबोधित थे, स्वयं सदन में उपस्थित थे।[280]

प्रश्नों के उत्तरों का संशोधन

जब सदन में दिये गये अथवा सभापटल पर रखे गए किसी प्रश्न के उत्तर के संबंध में बाद में मंत्री को यह पता लगता है कि वह उत्तर गलत था तो ऐसे मामलों में संबंधित मंत्री को, अपने पहले दिये गये उत्तर के संशोधनार्थ या तो उस तारांकित या अनुपूरक या अल्प सूचना प्रश्न के संबंध में एक वक्तव्य देना पड़ता है या यदि वह उत्तर अतारांकित प्रश्न के संबध में होता है तो सभापटल पर एक विवरण रखना होता है।

1982 से पूर्व, परिपाटी यह थी कि किसी भी प्रश्न, चाहे वह तारांकित, अतारांकित, अनुपूरक या अल्प सूचना प्रश्न हो, से संबंधित अपने उत्तर के संशोधनार्थ मंत्री को सदन में एक वक्तव्य देना पड़ता था। फरवरी, 1982 में, एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर को संशोधित करने के लिये सभापति द्वारा दिये गये एक निदेश के अधीन इस प्रक्रिया में सुधार किया गया। उस निदेश, जोकि संसदीय समाचार में प्रकाशित किया गया था, में यह निर्दिष्ट किया गया था कि प्रचलित परिपाटी, जिसके अंतर्गत किसी अतारांकित प्रश्न के उत्तर के संशोधनार्थ मंत्री को सदन में वक्तव्य पढ़ना पड़ता/देना पड़ता था। उसके स्थान पर अब से संबंधित मंत्री इस संबंध में एक विवरण सभापटल पर रखेगा।[281] इस निदेश के पीछे तर्क यह था कि जहां अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को संबंधित मंत्री द्वारा प्रश्न-काल के अंत में सभापटल पर रखा गया मान लिया जाता है वहां किसी उत्तर के संशोधनार्थ वक्तव्य को सदन में पढ़ा जाता था। यह देखा गया था कि मंत्रियों द्वारा बार-बार संशोधनार्थ वक्तव्य दिये जाते थे और वे बहुत लम्बे होते थे, इसलिये सदन में ऐसे वक्तव्य दिए जाने के बजाय यदि इन्हें विवरण के रूप में सभापटल पर रखने की अनुमति दे दी जाए तो सदन के समय की बचत की जा सकती है।[282]

> 25 फरवरी, 1982 को जब एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर के संशोधनार्थ संबंधित मंत्री ने एक विवरण सभापटल पर रखा तब उस विवरण को पढ़े जाने की मांग की गई। उपसभापति ने सदस्यों का ध्यान सभापति द्वारा 17 फरवरी, 1982 को जारी किए गए निदेश की ओर दिलाया। कुछ सदस्यों ने इस विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए और उपसभापति ने उन्हें उस पृष्ठभूमि के बारे में बताया जिसके कारण यह निदेश जारी किया गया था।[283]

तथापि, उसके पश्चात् एक ऐसा अवसर भी आया है जब उपसभापति ने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर के संशोधनार्थ विवरण को, सदस्यों की मांग का सम्मान करते हुए संबंधित मंत्री को उसे पढ़ने के लिये कहा और साथ ही यह टिप्पणी भी की कि ''ऐसा केवल आज के लिए किया गया है।''[284]

जब कोई मंत्री, किसी प्रश्न के अपने द्वारा दिये गये उत्तर की गलती को ठीक करना चाहता है तो वह इस आशय की सूचना महासचिव को देता है और उस सूचना के साथ प्रस्तावित वक्तव्य की एक प्रति भी संलग्न करता है जिसे वह सभा में पढ़ना चाहता है या सभापटल पर रखना चाहता है। तत्पश्चात्, सामान्यत: जिस दिन उस मंत्री के नाम प्रश्न होते हैं उस दिन या मंत्रालय द्वारा बताए गए किसी दिन की कार्यावलि में इस आशय की एक मद सम्मिलित कर ली जाती है। कार्यावलि में यह मद 'प्रश्न' के तत्काल बाद शामिल की जाती है। सदन की बैठक प्रारम्भ होने से आधा घंटा पहले विवरण की एक प्रति संबंधित सदस्य को भी सूचना कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाती है।

नियत दिवस को, सभापति द्वारा पुकारे जाने पर, संबंधित मंत्री यथास्थिति सदन में वक्तव्य देता है अथवा उस वक्तव्य की एक प्रति सभापटल पर रखता है। वह (वे) सदस्य जिसके (जिनके) प्रश्न के उत्तर में पूर्व उत्तर दिया गया था और जिसे मंत्री द्वारा संशोधित किये जाने की मांग की गई थी, उसे वक्तव्य दिए जाने के पश्चात् संक्षिप्त स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जा सकती है,[285] और उस संशोधन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी जा सकती है जोकि सभापति के विवेक पर निर्भर करता है।[286]

> जब संशोधनार्थ विवरण के संबंध में एक सदस्य ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहा तो सभापति ने टिप्पणी की, ''सामान्यत: ऐसा नहीं किया जाता है किन्तु इसके अपवाद भी हो सकते हैं जब मंत्री एक वक्तव्य दे देता है और उसे दूसरा वक्तव्य देना होता है। निस्सन्देह ऐसे मामलों में मैं सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना चाहूंगा।''[287]

सामान्यत: उत्तरों के संशोधनार्थ वक्तव्य यथासंभव शीघ्र सदन में दिये/रखे जाने चाहिएं। ऐसा करने में होने वाले विलम्ब के मामले को सदस्यों द्वारा समय-समय पर उठाया जाता रहा है, हालांकि ऐसे अवसर भी

आये हैं जब मंत्रियों ने प्रश्न-काल की समाप्ति के तुरंत बाद[288] अथवा उत्तर दिए जाने वाले दिन ही कुछ समय पश्चात् उत्तरों को संशोधित कर दिया है।[289]

> जब एक मंत्री ने डेढ़ वर्ष पूर्व दिए गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण राज्य सभा के सभापटल पर रखना चाहा था, तो एक सदस्य द्वारा विलम्ब के संबंध में एक औचित्य-प्रश्न उठाए जाने पर सभापति ने टिप्पणी की थी, ''इसमें असाधारण विलम्ब हुआ है और सदन सरकार से यह अपेक्षा करता है कि इतना विलम्ब कभी भी न किया जाए क्योंकि इतने लम्बे समय के अंतराल के पश्चात् किसी उत्तर में किया गया कोई भी संशोधन एक मज़ाक बनकर रह जाएगा... ।[290]
>
> इसी तरह, एक मंत्री ने जब राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न के दिये गये उत्तर के संशोधनार्थ उस मंत्रालय द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए नियत दिवस के बजाय तीन सप्ताह पश्चात् एक विवरण रखना चाहा तो एक सदस्य ने विवरण रखे जाने में विलंब के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाया और यह कहा कि ऐसा मंत्रालय के लिए नियत किये गये दिवस को नहीं किया गया है। इस पर सभापति ने निम्न टिप्पणी की:
>
> > यह संशोधन समय पर किया जाना चाहिए और संबंधित मंत्रालय को संशोधन प्रश्नों के उत्तर दिये जाने वाली तिथि को करने चाहिएं।[290क]

कोई गैर-सरकारी सदस्य भी किसी गलती को ठीक करने के लिए सभापति की अनुमति मांग सकता है।

> एक सदस्य ने निवेदन किया कि पिछले दिन उसने दिल्ली के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक कार्टून के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। उसने कहा कि उसने वह कार्टून ठीक से नहीं देखा था इसलिए उसे समझने में गलती कर दी। उसने सभापति से अनुरोध किया कि उसके अनुपूरक प्रश्न को कार्यवाही में से निकाल दिया जाए। सभापति ने विनिर्णय दिया कि सदस्य का वक्तव्य अभिलिखित किया जाएगा।[291]

प्रश्नों का वापस लिया जाना या स्थगित किया जाना

कोई सदस्य उस बैठक से पहले जिसके लिए उसका प्रश्न स्वीकृत प्रश्न-सूची में पहले ही रखा गया है, किसी भी समय सूचना देकर अपने प्रश्न को वापस ले सकता है या उसे बाद के किसी दिन के लिए स्थगित कर सकता है।[292] यदि सदस्य सभापति द्वारा उसके प्रश्न को पुकारे जाने पर सदन में इस आशय का एक वक्तव्य देता है तो भी प्रश्न को वापस लिया जा सकता है।[293]

जब कोई सदस्य अपने प्रश्न को स्थगित करना चाहता है तो सदस्य द्वारा सूचना में उस तारीख का, जिसके लिए उसे स्थगित किया जाना है, विशेष रूप से उल्लेख करना होता है तथा उस प्रश्न को बाद में उस दिन इस प्रकार से स्थगित नहीं किए गए सभी प्रश्नों के बाद प्रश्न-सूची में रखा जाता है, बशर्ते कि वह दिन उस मंत्री के लिए नियत है जिसको वह प्रश्न संबोधित किया गया है।[294]

किसी प्रश्न को सभापति द्वारा सदन में भी स्थगित किया जा सकता है तथा जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दे, ऐसे प्रश्न का मौखिक उत्तरों के लिए परवर्ती प्रश्न-सूची में वही स्थान रहता है जो उसे पूर्ववर्ती प्रश्न-सूची, जिससे उसे स्थगित किया गया था, में प्राप्त था।[295]

किसी तारांकित प्रश्न, जिसे सचिवालय के माध्यम से किए गए मंत्री महोदय के अनुरोध पर सदस्य द्वारा स्थगित किया गया है, का मौखिक उत्तरों के लिए परवर्ती प्रश्न-सूची में वही स्थान रहता है जो उसे पूर्ववर्ती प्रश्न-सूची, जिससे उसे स्थगित किया गया था, में प्राप्त था।[296]

कुछ विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित हैं, जब सभापति ने सदन में प्रश्नों को स्थगित किया था:

> सभापति ने घोषणा की कि वह एक प्रश्न को नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि संबंधित मंत्री महोदय उस दिन स्वस्थ नहीं हैं तथा इस प्रश्न को किसी अन्य दिन लिया जाएगा।[297]

जब एक प्रश्न छोड़ दिया गया तो संबंधित सदस्य ने उसके बारे में पूछा। सभापति ने उसको सूचित किया कि उसे बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब सदस्य ने इसका कारण जानना चाहा तो सभापति ने टिप्पणी की, ''मेरा काम प्रश्नों को गृहीत करना है। जहां तक उनका उत्तर देने के काम का संबंध है, यह उसमें अंतर्ग्रस्त विभिन्न मंत्रालयों पर निर्भर करता है।'' जब सदस्यों ने इस पर सभापति के विनिर्णय की मांग की कि सदस्य की सहमति के बिना किसी प्रश्न को स्थगित कैसे किया गया तो सभापति ने टिप्पणी की कि ''परिस्थितियों के कारण उन्हें प्रश्न को क्रमबद्ध करना पड़ा। मुद्दा यह है कि किस मंत्रालय को उत्तर देना है।''[298]

एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के दौरान एक सदस्य ने सुझाव दिया कि प्रश्न को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। सभापति ने इससे सहमत होते हुए सुझाव दिया कि प्रश्न को अगले दिन, जब मंत्रिमंडल स्तर के संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित होंगे, आगे अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए पहले प्रश्न के रूप में लिया जाए।[299]

विदेश व्यापार मंत्री ने एक तारांकित प्रश्न के संबंध में अपने उत्तर की प्रतियां भेजी थीं। जब मंत्री महोदय प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने उत्तर दिया कि जानकारी एकत्र की जा रही है। इस पर सदस्य उत्तेजित हो गए। इसलिए उपसभापति ने प्रश्न को स्थगित कर दिया और कहा कि ऐसा समझा जाएगा कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।[300]

एक अवसर पर एक सदस्य ने शिकायत की कि उसके प्रश्न के उत्तर और विवरण, जिसे सभापटल पर रखा जाना था, की एक प्रति उसको उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभापति ने प्रश्न को स्थगित कर दिया। प्रश्नों का समय समाप्त होने के बाद सभापति ने स्पष्ट किया कि प्रश्न के संबंध में भ्रम है। सदस्य ने सोचा था कि एक विवरण को सभापटल पर रखा गया था किन्तु वास्तव में वह प्रश्न का उत्तर था। संभवत: मंत्री महोदय उसको पढ़ सकते थे। सभापति नहीं चाहते थे कि उस पर चर्चा करने में प्रश्नों का समय लिया जाए और इसलिए उन्होंने प्रश्न को स्थगित कर दिया।[301]

मूल प्रश्न के एक भाग के उत्तर में सभापटल पर रखे गए मंत्री के विवरण में कहा गया था कि अमुक प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् ग्रंथालय में उपलब्ध हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के दौरान इस उत्तर पर आपत्ति की गई। सभापति ने टिप्पणी की, ''सदस्य चाहते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाए और वे जो कह रहे हैं वह सच भी है। आप उनसे यह नहीं कह सकते हैं कि वे ग्रंथालय में जाकर प्रतिवेदन देख लें। आपको उत्तर अवश्य देना चाहिए।'' इसलिए, सभापति ने प्रश्न को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।[302]

जम्मू और कश्मीर संबंधी समिति के बारे में एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के दौरान जब मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट प्रतीत नहीं हुआ तो सभापति ने प्रश्न को स्थगित कर दिया।[303]

चीनी के संबंध में दो प्रश्न एक साथ लिए गए थे। एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में एक बार मंत्री ने यह कहा कि वह उक्त सूचना संबंधित सदस्य को दे देंगे। तब सभापति ने कहा था कि मंत्री के पास उत्तर मौजूद रहना चाहिए। फिर सभापति ने मंत्री की सहमति से उस प्रश्न को स्थगित किये गये दिन को प्रथम प्रश्न के रूप में लिए जाने के लिए स्थगित कर दिया।[304]

वैगन इण्डिया लिमिटेड से वैगनों की खरीद के संबंध में एक तारांकित प्रश्न पर अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछे गए जिनका मंत्री ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब उस उलझन को सुलझाने के लिए सभापति ने वह प्रश्न स्थगित कर दिया।[305]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संव्यवहारों के बारे में एक समाचार से संबंधित एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में संबंधित मंत्री ने कहा कि सरकार के पास उस समाचार की कोई प्रति मौजूद नहीं है और सरकार उसकी एक प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। तत्पश्चात् , सभापति ने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया।[306]

तथापि, एक अवसर पर प्रश्न-काल के तुरन्त बाद एक सदस्य ने सभापति का ध्यान उस दिन उत्तर दिये जाने के लिए प्रश्न-सूची में दर्ज एक प्रश्न की ओर दिलाया जिसका उत्तर गृह मंत्री द्वारा दिया जाना था। सदस्य ने सुझाव दिया कि उसने वह प्रश्न प्रधान मंत्री को संबोधित किया और इसलिए, उस प्रश्न का उत्तर सभापटल पर नहीं रखा जाना चाहिए; इस प्रश्न को एक स्थगित प्रश्न माना जाना चाहिये ताकि वह इस प्रश्न की सूचना प्रधान मंत्री को संबोधित कर सके। सभापति ने यह टिप्पणी करते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि नियम इसकी अनुमति नहीं देता।[307]

एक अवसर पर , एक सदस्य के अनुरोध पर अतारांकित प्रश्न सं॰ 1186 को जिसका उत्तर 6 मार्च, 2000 को दिया जाना था, उत्तर दिये जाने के लिए 8 मई, 2000 के लिए अन्तरित कर दिया गया था। 8 मई को वह प्रश्न कतिपय संशोधन के साथ अतारांकित सूची में अतारांकित प्रश्न सं॰ 4541 के रूप में प्रकाशित हुआ। तथापि, बाद में सदस्य द्वारा उसे वापस ले लिया गया था।[308]

प्रश्नों का अन्तरण

पहले प्रश्नों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अन्तरित करने की परिपाटी थी। ऐसा तब किया जाता था जब प्रश्न के अन्तरण को स्वीकार करने वाले मंत्रालय से लिखित रूप में इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाती थी। इस परिपाटी के कारण सदस्यों के साथ-साथ सभापति के लिए भी इतनी असुविधा पैदा हो जाती थी जिससे बचा जा सकता था। प्राय: प्रश्न के अन्तरण का मामला सदन में उठाया जाता था। उदाहरणार्थ, 16 फरवरी, 1968 को मूलत: पेट्रोलियम और रसायन मंत्री से उर्वरक नीति की समीक्षा करने के संबंध में पूछे गए एक तारांकित प्रश्न को खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री को अन्तरित किए जाने पर सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी।[309] सभापति ने अन्तरण की परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए विस्तृत विनिर्णय दिया था:

प्रश्नों के अन्तरण के मामले में सभापीठ अथवा सचिवालय का उत्तरदायित्व नहीं है। नियमों के अंतर्गत सदस्य को कोई प्रश्न उस मंत्री को संबोधित करना होता है जो उस प्रश्न में पूछे गए विषय के लिए उत्तरदायी हों। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि विभिन्न मंत्रालयों को भिन्न-भिन्न विषय आवंटित किए गये हैं और एक मुद्रित पुस्तिका, जो विषय-पुस्तिका के नाम से जानी जाती है, राज्य सभा सचिवालय द्वारा सदस्यों को परिचालित की जाती है जिसमें उन्हें उन विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है जिनके लिए प्रत्येक मंत्रालय उत्तरदायी है। सामान्यत: सदस्य अपने प्रश्न सही मंत्री को ही सम्बोधित करते हैं जो उस विषय-विशेष के लिये उत्तरदायी होता है, किन्तु कभी-कभी गलत मंत्री को भी प्रश्न सम्बोधित किये जाते हैं। ऐसे मामलों में, सभापीठ अथवा राज्य सभा सचिवालय ऐसे प्रश्नों को अन्य मंत्री के लिए अन्तरित करने का उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं। इस संबंध में संसद् के दोनों ही सदनों में परिपाटी यह है कि यदि कोई प्रश्न किसी मंत्री को गलती से सम्बोधित किया गया है तो वह मंत्री संसद् सचिवालय को यह सूचित करता है कि वह प्रश्न सही मंत्री के लिए अन्तरित किया जा रहा है जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वह विषय आता है। ऐसे मामलों में, संसद् सचिवालय उस प्रश्न को केवल तभी समुचित मंत्री के नाम में अंतरित करता है जब उसे इस प्रकार से अन्तरित किए गए प्रश्न को स्वीकार करने की सूचना उस मंत्री से प्राप्त हो जाती है जिसे वह प्रश्न अन्तरित किया गया है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वह मंत्री जिसे वह प्रश्न संबोधित किया गया हो, उस प्रश्न को किसी अन्य मंत्री के लिए अन्तरित करना चाहता हो किन्तु वह अन्य मंत्री ऐसे अंतरण को स्वीकार नहीं करता है। उस स्थिति में, संसद् सचिवालय ऐसे प्रश्न को अन्तरित नहीं करता है और उसे उसी मंत्री से पूछने के लिये रखा जाता है जिसे वह प्रश्न सदस्य ने संबोधित किया हो। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी यही परिपाटी अपनायी जाती है।

प्रश्नों के अन्तरण के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनायी जाने वाली परिपाटी को स्पष्ट करने के लिए 'चेस्टर एण्ड बाउरिंग' द्वारा लिखित ''क्वेश्चन्स इन पार्लियामेंट'' नामक पुस्तक से उद्धरण देने के पश्चात् सभापति ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

> संक्षेप में (1) सदस्यों को इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिए कि वे अपने प्रश्न सदा उस मंत्री को भेजें जो प्रश्न से संबंधित विषय के लिए उत्तरदायी हों और (2) जिस मंत्री को प्रश्न भेजा गया हो उससे दूसरे मंत्री को अंतरित करने का काम राज्य सभा सचिवालय द्वारा सामान्यत: तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतरण को स्वीकार करने वाले मंत्री महोदय से लिखित सूचना प्राप्त न हो जाए।[310]

वर्तमान परिपाटी यह है कि एक बार प्रश्न-सूची में मुद्रित हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रश्न को संबंधित मंत्रालय के अनुरोध पर अन्तरित नहीं किया जाता। सामान्यत: किसी प्रश्न को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अन्तरित करने का कार्य प्रश्न-सूची को अन्तिम रूप देने और उसे मुद्रण के लिए मुद्रणालय को

भेजने से पूर्व ही किया जाता है। सामान्यत: प्रयोजन समिति की सिफारिश पर सभापति ने निम्नलिखित निदेश जारी किया है:

> किसी प्रश्न के गृहीत तथा मुद्रित हो जाने के पश्चात्, उसे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अन्तरित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि किसी प्रश्न को गृहीत तथा मुद्रित किए जाने से पूर्व उसे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अन्तरित किए जाने का अनुरोध किया जाये तो ऐसे मामले में निर्णय करने के लिए सभापति ही अन्तिम प्राधिकारी होगा।[311]

अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न

जब मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची के सब प्रश्न पुकारे जा चुके हों और 'प्रश्नकाल' समाप्त नहीं हुआ हो, तो सभापति ऐसे किसी प्रश्न को फिर से पुकार सकेगा, जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम पर प्रश्न हो और किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को भी पूछने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उस सदस्य ने उसे इस तरह का प्राधिकार दिया हो।[312] दूसरे शब्दों में, यदि समय बचा हो, तो ऐसे प्रश्न जो पहले दौर में न पूछे जा सके हों उन्हें दूसरे दौर में पुन: पुकारा जा सकता है।[313] ताकि यदि कोई सदस्य जो पहले दौर में अनुपस्थित रहा हो किन्तु इस बीच सदन में आ गया हो, उसे अपना प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके।[314]

> एक बार, कुछ मिनट देर से आए एक सदस्य ने पुकारे जाने पर प्रश्न को पूछने का अवसर खो देने के पश्चात् जब सभापति से यह अनुरोध किया कि परिवार कल्याण से संबंधित उसका प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए यदि सदन सहमत हो तो उसे पहले लिया जाए, तब सभापति ने यह टिप्पणी की थी:
>
> > ''समस्या यह है कि प्रतिदिन कोई न कोई सदस्य अनुपस्थित रहेगा और यदि हमें सदन की अनुमति लेनी पड़े तो इससे उलझनपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता।''[315]

ऐसे सदस्यों के प्रश्नों, जो अनुपस्थित हों और जिन्होंने अन्य सदस्यों को अपनी ओर से प्रश्न पूछने के लिए प्राधिकृत किया हो, को भी समय बचने पर अंत में, अर्थात् दूसरे दौर में लिया जाता है।[316]

> एक अनुपस्थित सदस्य ने एक अन्य सदस्य को अपनी ओर से तीन तारांकित प्रश्न पूछने के लिए प्राधिकृत किया था और वे तीनों प्रश्न दूसरे दौर में पूछे गए थे।[317]

किसी सदस्य द्वारा उसकी अनुपस्थिति में प्रश्न पूछने के लिए किसी अन्य सदस्य को दिया गया प्राधिकार लिखित रूप में होना आवश्यक है और उसमें स्पष्ट रूप से उस प्रश्न और तारीख का विवरण होना आवश्यक है जो पूछा जाना है। प्राधिकार-पत्र उस प्रश्न के पूछे जाने वाले दिन से कम-से-कम एक दिन पहले सचिवालय को भेजना आवश्यक है ताकि सभापति को तद्नुसार अवगत कराया जा सके। सभापति ने अनेक अवसरों पर ऐसे प्राधिकार-पत्र के प्राप्त न होने के कारण अनुपस्थित सदस्यों की ओर से अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।[318]

> जब सभापति ने, एक ऐसे सदस्य से जो एक अन्य अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रश्न पूछना चाह रहा था, यह पूछा कि क्या उन्हें ऐसा करने के लिए प्राधिकार दिया गया है, सदस्य ने 'हां' में उत्तर दिया। तथापि, सभापति ने कहा कि प्राधिकार-पत्र उन्हें दिया जाना चाहिए था और यह कहकर उन्होंने अगला प्रश्न पुकारा।[319]
>
> जब एक सदस्य ने कहा कि उस सदस्य की अनुपस्थिति में जिसके नाम पर प्रश्न हो, किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुज्ञा देने हेतु सभापति को अधिकार प्राप्त है, तो सभापति ने कहा कि वह तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सदस्य को इस तरह का प्राधिकार न दिया गया हो।[320]
>
> जब एक सदस्य ने कहा कि अभी पर्याप्त समय शेष है और अगला प्रश्न लिया जा सकता है, क्योंकि सदन इसके उत्तर को जानने के लिए उत्सुक है। इस पर सभापति ने यह टिप्पणी की थी: ''मैं यह जानता हूं किन्तु

जिन सज्जन के नाम पर यह प्रश्न है वह यहां उपस्थित नहीं हैं और उन्होंने इसके लिए किसी अन्य सदस्य को प्राधिकार भी नहीं दिया है।'' जब सदस्य ने कहा कि सभापति को प्राधिकार है, तो सभापति ने नकारात्मक उत्तर दिया।[321]

एक सदस्य ने कहा कि अन्य सदस्य की अनुपस्थिति में, सभापति द्वारा प्रश्न पूछा जाए ताकि उस प्रश्न के कारण उत्पन्न हुई बहुत सी गलतफहमियों को दूर किया जा सके, ऐसा करना सभापति का विशेषाधिकार है और वह इस प्रश्न को पूछ सकते हैं क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर सभापति ने यह टिप्पणी की थी, ''मैं प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं? मैं नहीं समझता कि मैं ऐसा कर सकता हूं।''[322]

एक बार जब उपसभाध्यक्ष पीठासीन थे और उनके नाम पर रखा गया प्रश्न उत्तर के लिए आया तब उन्होंने उसे छोड़ दिया और अगले प्रश्न को पुकारा। एक सदस्य ने उस प्रश्न को पूछने के लिये सभापीठ की अनुमति मांगी। एक अन्य सदस्य ने कहा कि जब कोई सदस्य सदन में उपस्थित हो और उसके नाम पर प्रश्न हो, तो सदन को उस प्रश्न पर चर्चा करने के अवसर से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, उसने इस मुद्दे पर उपसभाध्यक्ष का विनिर्णय जानना चाहा। उपसभाध्यक्ष ने टिप्पणी की थी: ''किसी सदस्य के सदन में उपस्थित होने के बावजूद आप उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई प्रश्न पूछने के लिए उस पर दबाव नहीं डाल सकते।'' इसलिये उस प्रश्न के लिखित उत्तर को मुद्रित कार्यवाही में दर्शाया गया था।[323]

तथापि, प्रारम्भिक वर्षों में अनेक ऐसे अवसर आये हैं जब अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों को पहले दौर में ही पूछने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।[324]

हाल ही में एक अनुपस्थित सदस्य के प्रश्न को इस प्रकार से प्राधिकृत किये जाने पर पहले ही दौर में पूछने की अनुमति प्रदान की गई थी।[324क]

अनुपस्थित सदस्य की ओर से कोई प्राधिकार-पत्र प्राप्त न होने पर उसके प्रश्न को अतारांकित प्रश्न समझा जाता है और उसे उस दिन की बैठक, जिसके लिए उसे रखा गया था, की कार्यवाही में उसके उत्तर सहित मुद्रित किया जाता है।[325]

हालांकि ऐसे उदाहरण रहे हैं जब अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों को इस तरह से प्राधिकृत किये बिना ही पहले ही दौर में पूछने की अनुमति दी गई थी।[325क]

तथापि, यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाए या जिस सदस्य के नाम पर वह प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, जो सभापति, किसी सदस्य की प्रार्थना पर, निदेश दे सकता है कि उसका उत्तर दिया जाए।[326] इस प्रकार उपयुक्त मामलों में सभापति, किसी अन्य सदस्य के अनुरोध पर यह निदेश दे सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए चाहे प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन में यह कहे कि वह प्रश्न पूछना नहीं चाहता है। नियमों में किए गए इस उपबंध पर सदन में सभापति के विनिर्णय की मांग करते हुए कई बार चर्चा हुई।

27 अगस्त, 1968 को जब तारांकित प्रश्न सं॰ 671 पुकारा गया तो संबंधित सदस्य ने कहा कि वह प्रश्न पूछना नहीं चाहता है। इस पर एक अन्य सदस्य ने आपत्ति की कि यदि कोई उपस्थित सदस्य अपना प्रश्न नहीं पूछेगा तो अन्य सदस्य उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के अवसर से वंचित रह जाएंगे। सभापति ने आश्वासन दिया कि वह मामले की जांच करेंगे।[327] सभापति ने अगले दिन दिए गए अपने विनिर्णय में **अन्य बातों के साथ-साथ टिप्पणी की:**

मैंने नियमों और पूर्व निर्णयों की छानबीन की है। नियमों के नियम 54 के उप-नियम (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी सदस्य को उसका प्रश्न पुकारे जाने पर यह कहने का अधिकार है कि प्रश्न पूछने का उसका इरादा नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो, परिपाटी के अनुसार, प्रश्न को वापस लिया गया समझा जाता है और उसे अधिकारीय प्रतिवेदन में मुद्रित नहीं किया जाता है।

तथापि, मैं नियम 54 के उप-नियम (3) का भी उल्लेख करना चाहता हूं। इस उप-नियम में यह उपबंध है कि यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाए तो सभापति किसी सदस्य के अनुरोध पर

> यह निदेश दे सकता है कि उसका उत्तर दिया जाए। इस प्रकार, उपयुक्त मामलों में, सभापति किसी अन्य सदस्य के अनुरोध पर यह निदेश दे सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए चाहे उस प्रश्न की सूचना देने वाला सदस्य सदन में यह कहे कि वह प्रश्न पूछना नहीं चाहता है। तथापि, मैं अवश्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभापीठ की ओर से यह निदेश केवल अपवादिक मामलों में ही दिया जाएगा न कि सामान्य प्रक्रिया के रूप में।[328]
>
> तथापि, उस प्रश्न को वापस लिया गया समझा गया।

बाद में ऐसे ही एक अवसर पर जब तारांकित प्रश्न सं॰ 321 की सूचना देने वाले सदस्य 26 अप्रैल, 1995 को अनुपस्थित थे और कुछ अन्य सदस्यों ने निवेदन किया कि सभापति को गृह मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करना चाहिए, तो नियम 54(3) और नियम 55 की व्याख्या के समर्थन और विरोध में कुछ मुद्दे उठाए गए। सभापति ने 28 अप्रैल, 1995 को विनिर्णय देते हुए 22 जुलाई, 1952 के एक पूर्वनिर्णय का उल्लेख किया, जब तत्कालीन सभापति डा॰ एस॰ राधाकृष्णन ने एक सदस्य जिसके नाम पर मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्न-सूची में प्रश्न दर्ज था, की ओर से उस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी थी और उस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गए थे। सभापति ने 28 अगस्त, 1968 को तत्कालीन सभापति, श्री वी॰वी॰ गिरि द्वारा दिए गए विनिर्णय (ऊपर उद्धृत) का भी उल्लेख किया और टिप्पणी की:

> इस विषय में नियम स्पष्ट हैं और उनको सभा के पूर्वनिर्णयों से बल मिलता है। वे सभापति को यह निदेश देने का विवेकाधिकार प्रदान करते हैं कि यदि कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है या जिस सदस्य के नाम पर वह प्रश्न है, वह अनुपस्थित है तो उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। किन्तु सभापीठ के इस विवेकाधिकार का प्रयोग अत्यन्त अपवादिक मामलों में ही किया जायेगा।

अन्त में सभापति ने यह भी कहा:

> मैं यह भी स्पष्ट करना और आग्रह करना चाहता हूं कि जिस सदस्य के प्रश्न को गृहीत कर लिया जाता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रश्न पूछने के लिए सभा में उपस्थित रहे, जब तक कि वह सदस्य अपरिहार्य कारणों से ऐसा करने में असमर्थ न हो।

उसके बाद जब एक सदस्य ने सभापति से उस प्रश्न के लिए कोई तारीख नियत करने का अनुरोध किया, तो सभापति ने यह कह कर उसे अस्वीकार कर दिया कि इस संबंध में कोई पूर्वोदाहरण नहीं है, अतः, प्रश्न को अतारांकित प्रश्न समझा गया और उसके उत्तर को सभापटल पर रखा मान लिया गया।[329]

एक अवसर पर, जब प्रश्नकर्ता अनुपस्थित था और कुछ सदस्यों ने उक्त प्रश्न का उत्तर दिये जाने की अनुमति के लिए उपसभापति से अनुरोध किया तब उपसभापति ने यह कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दी... ''जब प्रश्नकर्त्ता स्वयं सदन में उपस्थित नहीं है तो हम ऐसा करके सदन का समय ही बर्बाद कर रहे होंगे। प्रश्न दो माननीय सदस्यों द्वारा किया गया था। दोनों ही सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। यदि वे सदन में उपस्थित नहीं रह सकते तो उन्हें प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए था।[330]

प्रश्नों के समय में प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति

कतिपय अवसरों पर, ऐसे सदस्यों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति से जिनके नाम से उस दिन की प्रश्न-सूची में प्रश्न दर्ज थे, सदन में बड़ी ही अजीबो-गरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

> एक दिन सभापति ने प्रश्न सं॰ 181 से 185 तक पूछे जाने के लिए कहा किन्तु, प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित थे। उन्होंने यह टिप्पणी की—''मेरे विचार में आज प्रश्नों का समय बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।'' तदुपरांत प्रश्न संख्या 186 से 188 तक पूछे जाने के लिए कहे जाने पर और प्रश्नकर्ताओं के अनुपस्थित रहने पर सभापति ने यह कहा— ''यदि सभी प्रश्न पूछ लिये जाते हैं, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा?'' एक से बारह तक के प्रश्नों के प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित हैं। अठारहवें प्रश्न का भी मौखिक रूप से उत्तर दे दिया गया है। अंत में सभापति ने यह टिप्पणी की— ''आज हमने लगभग सभी प्रश्न निपटा लिये हैं।''[331]
>
> एक बार ऐसे अनेक सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर, जिनके नाम से प्रश्न-सूची में प्रश्न दर्ज थे, एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए

'काली-सूची' में डाल दिया जाना चाहिए और उनके नाम प्रश्नों के लिए लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिएं। सभापति ने उक्त सुझाव पर यह कहते हुए अपनी सहमति व्यक्त की कि—''हां, मैं आपकी बात से सहमत हूं''। जब उस दिन पहले दस प्रश्नों के प्रश्नकर्त्ता लगातार अनुपस्थित रहे, तब सभापति ने यह कहा—''यह एक असामान्य स्थिति है। मेरे विचार में, संसद् भंग हो गई है''। दसवें प्रश्न के प्रश्नकर्ता का नाम पुकारे जाने के बाद आठवें प्रश्न का प्रश्नकर्त्ता जो कि अपना नाम पुकारे जाने के समय अनुपस्थित था, उपस्थित हो गया। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न-सूची में दर्ज प्रश्नों के पूछे जाने के क्रम के पूरा हो जाने की आशंका से सभापति ने उसे अपना प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान कर दी। आठवें प्रश्न की समाप्ति पर जब छठे प्रश्न के प्रश्नकर्त्ता ने अपना प्रश्न पूछने के लिए यह कहते हुए सभापति से अनुमति मांगी, ''महोदय, मैं प्रात: 11 बजकर 04 मिनट पर आ गया था और तब तक मेरा नाम पुकारा जा चुका था। मेरे प्रश्न की संख्या 506 थी। महोदय, मुझे अपना प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाये।'' सभापति ने यह विनिर्णय दिया—''यहां उत्पन्न हो गई असाधारण परिस्थिति के कारण मैं उन्हें अनुमति प्रदान कर रहा हूं।'' उस दिन 17वें प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए लिया गया था।[332]

अन्य अवसरों पर 12वें[333] और 14वें [333क] प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए लिया गया था।

एक दिन सदन में प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति पर नाराज़गी प्रकट करते हुए उपसभापति ने गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहा, ''यह अत्यन्त दु:खद बात है कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य... परसों भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने यह टिप्पणी की थी कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य को इतना संजीदा तो होना ही चाहिए कि प्रश्नों के समय के दौरान वह सदन में उपस्थित रहें; अन्यथा उसका नाम प्रश्नों के लिए बैलट में सम्मिलित किये जाने पर अन्य सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अपनी तैयारी करते हैं और सदस्यों का अनुपस्थित रहना उचित बात नहीं है...।[334]

26 नवम्बर, 2002 को प्रश्नों का समय पूरा हो जाने के तुरन्त पश्चात् सभापति ने यह कहा कि चूंकि किसी प्रश्न का उत्तर तैयार करने में काफी समय और प्रयास की जरूरत पड़ती है, अत: जिस सदस्य के नाम से प्रश्न सूची में मौखिक उत्तर के लिए नाम दर्ज हो उसे प्रश्नों के समय के दौरान सदन में उपस्थित रहना चाहिए अथवा ऐसा कर पाने में असमर्थता की स्थिति में उसे या तो सभापति को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी चाहिए या फिर किसी अन्य सदस्य को अपनी ओर से उक्त प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत करना चाहिए।[334क]

अनुपूरक प्रश्न

प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के संबंध में चर्चा की अनुज्ञा नहीं दी जाती है।[335] तथापि, कोई सदस्य सभापति द्वारा पुकारे जाने पर, किसी ऐसे तथ्यात्मक विषय के और अधिक स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है।[336] अत: अनुपूरक प्रश्न लम्बे भाषणों के बजाए संक्षिप्त तथा और अधिक जानकारी मांगने वाले होने चाहिएं। जैसाकि सभापति द्वारा टिप्पणी की गई थी: ''प्रत्येक सदस्य को केवल प्रश्न पूछने चाहिए... और जहां तक संभव हो किसी प्रकार का भाषण नहीं देना चाहिए। कुछ प्रश्न अपेक्षाकृत लम्बे होते हैं। किन्तु मेरे विचार से यदि प्रश्न छोटे हों तो इससे सदैव दक्षता में वृद्धि होती है और उनके उत्तर भी छोटे होते हैं। इस प्रकार हम और अधिक प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं''।[337]

उत्तरवर्ती सभापतियों ने लम्बी भूमिका वाले अनुपूरक प्रश्नों के प्रति आगाह किया है और सदस्यों से संक्षिप्त प्रश्न पूछने का आग्रह किया है। उदाहरणार्थ, एक बार सभापति ने टिप्पणी की थी ''मेरे लिए भाषण और प्रश्न के बीच अंतर करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इस सदन की कार्य-शैली ऐसी है कि प्रश्नों की आड़ में कई बार भाषण दिए जाते हैं''।[338] ऐसी ही एक स्थिति में सभापति ने विनिर्णय दिया था कि प्रश्न

पूछने से पूर्व प्रश्नों के समय में कोई भाषण नहीं दिया जाना चाहिए।[339] एक अवसर पर सभापति ने टिप्पणी की थी:

> मैं प्रश्न-काल के दौरान किसी भी सदस्य को भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा। जहां तक प्रश्न-काल का संबंध है, इस दौरान हमें केवल प्रश्न पूछने चाहिएं और उनके उत्तर प्राप्त करने चाहिएं। मैं किसी भी सदस्य द्वारा भाषण देने और उसके अन्त में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के विरुद्ध हूं।[340]

एक अन्य अवसर पर प्रश्नों के आरम्भ होने पर सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की थी:

> माननीय सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने के लिए पुकारने से पहले मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि यदि उन्हें कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना हो, तो वे पहले अनुपूरक प्रश्न तैयार कर लें और भाषण न दें क्योंकि अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई भाषण दिया जाता है तो मुझे बाध्य होकर ऐसे प्रश्न को अस्वीकार करना पड़ेगा।[341]

एक अन्य अवसर पर भी प्रश्न-काल प्रारम्भ होने से पूर्व सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की थी:

> मुझे माननीय सदस्यों से एकमात्र अनुरोध यह करना है कि वे अपने प्रश्नों को यथासंभव संक्षिप्त बनाएं। वस्तुत: नियमों में 150 शब्दों की सीमा रखी गई है और एक उचित प्रश्न को तैयार करने में संभवत: एक मिनट का समय लगता है। यदि माननीय सदस्य ऐसा करने में पांच-सात या दस मिनट का समय लेंगे तो मैं उन्हें ऐसा करने से मना नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता किन्तु तब संभवत: मैं यह बात ध्यान में रखूंगा और भविष्य में कुछ समय तक उन्हें नहीं पुकारूंगा। इसलिए, कृपया इस बात को ध्यान में रखिये। इसके साथ ही प्रश्न में टोका मत कीजिए। अपना प्रश्न चुनिये क्योंकि मैं यथासंभव अधिकाधिक सदस्यों को अवसर प्रदान करना चाहता हूं और इन 20 प्रश्नों में से कम से कम 15-16 प्रश्नों को निपटाना चाहता हूं।[342]

25 नवम्बर, 1980 को एक सदस्य की इस टिप्पणी के संदर्भ में कि केवल तीन प्रश्न ही पूरे हुए हैं और इसलिए सदस्यों को (प्रश्न-काल के दौरान) लम्बे भाषण देने से रोका जाना चाहिए, सभापति ने कहा था कि, ''यदि एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक की यात्रा के दौरान यहां उपस्थित माननीय सदस्य बिना तैयारी किये प्रश्न पूछना चाहें और शोर-शराबा करते रहें तो मैं एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक नहीं पहुंच सकूंगा।''[343]

किसी मूल प्रश्न पर लागू होने वाली ग्राह्यता की शर्तें अनुपूरक प्रश्न पर भी लागू होती हैं और सभापति किसी अनुपूरक प्रश्न को अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में इससे प्रश्नों संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, सभापति ने ऐसे किसी अनुपूरक प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है जो मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं हुआ है[344] या उसमें नीति-संबंधी किसी मामले के बारे में पूछा गया है।[345] सभापति ने इन आधारों पर कि, सरकार ने इस विषय पर वक्तव्य देने का वायदा किया है,[346] इस विषय पर चर्चा नियत की गई है [347] यह प्रश्न बजट-भाषण के बाद पूछा जा सकता है,[348] अथवा इस विषय पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है,[349] पर अनुपूरक प्रश्न पूछने या उन पर आगे अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं दी है। सभापति ने यह विनिर्णय भी दिया है कि अनुपूरक प्रश्नों के सिवाय, उनकी अनुमति के बिना कही गई किसी भी बात को अभिलिखित नहीं किया जाएगा और मंत्री महोदय को टोका-टाकी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है ताकि अधिक प्रश्नों को लिया जा सके।[350] सभापति ने यह भी स्पष्ट किया:

> ''मैंने कठोर अनुदेश जारी किए हैं कि सभापीठ की अनुमति के बिना कही गई कोई भी बात अभिलिखित नहीं की जायेगी। प्रश्नों के समय के दौरान अनुपालन किए जाने के लिए एक सुस्पष्ट नियम है। यह एक सुस्थापित परिपाटी है। अन्यथा, आपको उतने ही वृत्तलेखकों की जरूरत होगी जितने संसद-सदस्य हैं क्योंकि कुछ न कुछ व्यवधान दोनों तरफ से किए जा रहे हैं तो प्रश्नों का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब हम गंभीरतापूर्वक सरकार से वस्तुस्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। यह समय विपक्ष या सत्ताधारी दल के

लिए नहीं होता है बल्कि यह वह समय होता है जब हम सभी वस्तुस्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और हम यह कार्य छोटे-छोटे प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। हम बेहतर तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं किन्तु ऐसा व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। अन्यथा, ऐसा होता है कि जब हम सब मुद्दे से हट जाते हैं तो सारा मुद्दा व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई सदस्य मंत्री महोदय से कुछ और जानना चाहता है तो वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है।[351]

अनुपूरक प्रश्नों की संख्या की सीमा और प्रश्नों के समय के दौरान लिये जाने वाले प्रश्न

यद्यपि मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्न-सूची में 20 प्रश्न दर्ज होते हैं किन्तु प्रश्नों के समय के दौरान औसतन 5-6 प्रश्न ही लिए जाते हैं और शेष प्रश्नों के केवल लिखित उत्तर ही प्राप्त होते हैं तथा उन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। एक के बाद एक सभापति और सदन द्वारा भी प्रश्नों के समय के दौरान प्रश्नों को लिए जाने की समस्या पर विचार किया जाता रहा है। इस मामले में सभापीठ की दुविधा एक विवरणिका में सारगर्भित रूप में इस प्रकार व्यक्त की गई है:

प्रश्न-काल की एक उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि वक्ता अपनी बात कितनी नियंत्रित रफ्तार से कहता है। यदि वह बहुत अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछता है तो मंत्री थोड़े से प्रश्नों की गहरी संवीक्षा करने के लिए बाध्य होगा किन्तु उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या कम होगी। यदि वह बहुत कम अनुपूरक प्रश्न पूछता है तो अधिक प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाएगा किन्तु मंत्री को बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। एक संतुलन कायम करना होगा; और यह संतुलन विभिन्न वक्ताओं द्वारा अलग-अलग ढंग से कायम किया जा सकता है।[352]

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, प्राय: सभापति द्वारा समय-समय पर सदस्यों से अपने अनुपूरक प्रश्नों को संक्षिप्त अथवा छोटा, सुनिश्चित और सुस्पष्ट[353] रखने का अनुरोध करके और बहुत अधिक लम्बे अनुपूरक प्रश्न पूछने या प्रश्न-काल का उपयोग वाद-विवाद के समय के रूप में करने वाले किसी सदस्य पर नियंत्रण करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। जहां तक मंत्रियों का संबंध है, एक परिपाटी स्थापित की गई है कि यदि, वे लम्बे उत्तर देना चाहते हैं तो उनको उन उत्तरों को सदन में पढ़ने के बजाय सदन के पटल पर रखना चाहिए।

किसी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नों की संख्या को सीमित करने और इस प्रकार प्रश्नों के समय के दौरान अधिक प्रश्नों को लेने के उद्देश्य से सभापतियों ने समय-समय पर अनौपचारिक नियम आरम्भ किए हैं। उदाहरण के लिए सभापति, श्री वी॰ वी॰ गिरि ने यह नियम अपनाया था कि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए दस मिनट से अनधिक और साधारण प्रश्न के लिए केवल पांच मिनट का समय दिया जाएगा।[354] सभापति, श्री एम॰ हिदायतुल्ला ने आठ मिनट प्रति-प्रश्न का नियम आरम्भ किया था।[355] सभापति, श्री आर॰ वेंकटरामन ने दो मिनट समय का नियम शुरू किया था जिससे प्रश्नकर्त्ता को कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए केवल दो मिनट दिए जाते थे।[356]

प्रश्नों के समय के दौरान प्रश्नों को लिए जाने के मामले को अनेक अवसरों पर सदन में उठाया गया है।[357]

जब पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अनेक सदस्य उठ खड़े हुए, तो सभापति ने टिप्पणी की:

मैं देखता हूं कि सदस्य पिछली बार किए गए मेरे इस अनुरोध को समझ नहीं पाए हैं कि उन्हें अपनी जिज्ञासा पर एक प्रकार का आत्मनियंत्रण लागू करना चाहिए क्योंकि यदि मैं प्रत्येक सदस्य, जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता है, को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं तो मैं पांच से अधिक प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ हूं। मैं अगली बार प्रत्येक सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का प्रयास करूंगा ताकि सदस्य यह महसूस कर सकें कि ये कितना काम कर सकते हैं।[358]

एक अवसर पर जब सभापति ने कहा कि पैंतीस मिनट हो चुके हैं और केवल एक प्रश्न पूरा हुआ है; उन्होंने पूछा कि ''क्या यह उचित है?'' तब उन्होंने टिप्पणी की थी:

> मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक दलों के नेताओं का संबंध है, प्रश्नकर्ता के रूप में उन्हें मैं अत्यन्त कठोरतापूर्वक दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। अन्य सदस्य केवल एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।[359]

20 नवम्बर, 1967 को अगले प्रश्न के लिए नाम पुकारने से पूर्व, सभापति ने बताया कि पिछले प्रश्न ने 15 मिनट का समय लिया है और यह पूछा कि क्या सदन की राय में एक घंटे में मात्र चार प्रश्न ही लिए जाने चाहिएं? फिर, उन्होंने कहा:

> मैं चाहता हूं कि एक दिन में यदि पंद्रह नहीं, तो कम-से-कम बारह प्रश्नों को तो निपटाना ही चाहिए। यदि कोई प्रश्न महत्वपूर्ण हो, तो मैं प्रतिदिन दो प्रश्नों को दस-दस मिनट का समय दूंगा और अन्य प्रश्नों को तीन-तीन मिनट का समय दिया जायेगा तथा किसी असाधारण प्रश्न को पांच मिनट का समय भी प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार से, कम-से-कम बारह प्रश्नों को निपटाया जा सकेगा।[360]

जब मंत्री महोदय द्वारा एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए, तब सभापति ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

> मैं प्रश्नकर्त्ताओं को चार वर्गों में विभाजित करना चाहूंगा। पहला वर्ग है विभिन्न दलों के नेता। वस्तुत: इन नेताओं से मेरा यह विनम्र निवेदन है और सुझाव भी कि वे प्रश्नकाल के दौरान अपने साथियों को प्रश्न पूछने दें ... दूसरा वर्ग है, हर बार प्रश्न उठाने वाले सदस्य। वही गिने-चुने सदस्य ही प्रत्येक प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं। मुझे यह भय है कि यदि कहीं ऐसे सदस्य शुरू से ही इस प्रकार से हर प्रश्न पर खड़े होते रहे तो मुझे मजबूरन कतिपय प्रश्नों से उन्हें दूर रखना पड़ेगा। एक अन्य वर्ग है, ऐसे प्रश्नकर्ताओं का भी जो कभी-कभार ही खड़े होते हैं और निस्सन्देह, मैं यही प्रयास करता हूं कि उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए और निरन्तर प्रश्न पूछने वालों से बचा जाए... ।[361]

26 जून, 1980 को, उस समय प्रश्नों के निपटान का मामला फिर उभरा जब एक प्रश्न के सन्दर्भ में, जिसका उत्तर बहुत लम्बा था, एक सदस्य ने यह महसूस किया कि उसे सभापटल पर रखा जाना चाहिए था। सभापति ने बताया कि प्रश्न-काल को तर्कसंगत बनाने के लिए उपसभाध्यक्षों की एक बैठक बुलायी जाएगी। उस सदस्य ने सुझाव दिया कि इस बैठक में विभिन्न दलों के सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाए।[362] तद्नुसार, राज्य सभा में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ सभापति ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की कि मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों को अधिकाधिक कवर किया जाए और उस बैठक में मुख्यत: निम्नलिखित बातों पर आम सहमति व्यक्त की गई थी:

(i) सदस्यों से अनुरोध किया जाए कि उनके अनुपूरक प्रश्न संक्षिप्त तथा सटीक हों जिनमें पूर्व प्रस्तावना अथवा परिचयात्मक टिप्पणियां न हों। मंत्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय भी उन पर यही नियम लागू होना चाहिए।

(ii) ऐसे सदस्य को जिसे सभापति महोदय ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान कर दी हो, उसे सामान्यत: उसी दिन के प्रश्न-काल के दौरान अन्य प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iii) सभापति हाथ उठाने वाले किसी भी सदस्य से, स्वविवेकानुसार, अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कह सकते हैं किन्तु सभापति हाथ उठाने वाले प्रत्येक सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

(iv) सदन में विभिन्न राजनीतिक गुटों के नेताओं को इस संबंध में सभापति को पूरा सहयोग देना चाहिये।

यह भी निर्णय किया गया कि:

(i) किसी एक सदस्य के नाम से पूछे गये प्रश्न के मामले में उस प्रश्न पर दो अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्न पूछने की और दो सदस्यों के नाम से पूछे गये प्रश्न के मामले में एक अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी तथा तीन सदस्यों के नाम से पूछे गये प्रश्न पर कोई भी अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) प्रश्नों के समय के दौरान, दिवस की बीस प्रश्नों की सूची में से कम से कम दस से पंद्रह प्रश्नों को कवर किया जायेगा।

उपसभाध्यक्षों द्वारा 2 जुलाई, 1980 को हुई बैठक में उपर्युक्त सर्वसम्मति का व्यापक रूप से समर्थन किया गया था।

28 जुलाई, 1980 को प्रश्नों का समय आरंभ होने पर सभापति ने यह घोषणा की कि ''इस बात पर अनौपचारिक रूप से सहमति हो गई है कि किसी भी प्रश्न पर छह से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि, अन्यथा दूसरों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है।'' उन्होंने यह भी बताया कि वह अनुपूरक प्रश्नों का नियमन किस प्रकार करेंगे।[363]

26 नवम्बर, 1980 को प्रश्नों का समय आरम्भ होने पर सभापति ने यह घोषणा की:

> प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा और आठ मिनट, जिसका निर्धारण ''स्टॉप वॉच'' से किया जायेगा, की समाप्ति पर मैं उस प्रश्न को रोक दूंगा भले ही वह बीच में ही क्यों न हो। यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछने में एक मिनट से अधिक का समय लेगा तो मैं मंत्री से कहूंगा कि वह उस प्रश्न का उत्तर न दें... ।[364]

एक सदस्य ने 17 दिसम्बर, 1980 को औचित्य प्रश्न के द्वारा यह शिकायत की कि प्रश्नों के समय में तीन प्रश्न से अधिक नहीं निपटाये जा सके हैं। सदस्य ने यह संकेत दिया कि सभापति (श्री एम॰ हिदायतुल्ला) ने एक सदस्य को एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देते हुए आठ मिनट वाला नियम लागू करने का निर्णय लिया था (अर्थात् एक प्रश्न आठ मिनट में पूरा हो जाना चाहिये) ताकि अधिक प्रश्न निपटाये जा सकें और इतना ही नहीं वह इस प्रयोजन के लिए ''स्टॉप वॉच'' भी ले आये थे और उन्होंने एक सदस्य द्वारा एक अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का भी निर्णय लिया था ताकि अधिक प्रश्न निपटाये जा सकें। इससे कुछ विरोधाभास पैदा हो गया था किन्तु सभापति ने इस टिप्पणी के साथ इस मामले को निपटाया: ''कल से ... सातवें मिनट पर यह घंटी बजेगी और आठ मिनट का समय होने पर, मैं वाक्य के बीच में ही सदस्य को रोक दूंगा।''[365]

प्रश्नों के समय में और अधिक संख्या में प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिये जाने के लिए उपसभापति ने असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अपने हाथ उठाने वाले सत्रह सदस्यों को इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए पहले ही आधा घंटा हो चुका था। जब एक सदस्य ने, जिसे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी, यह कहा, ''मैं विरोध-स्वरूप सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं'' तब उपसभापति ने कहा, ''ठीक है, आप जा सकते हैं क्योंकि अनेक व्यक्तियों को प्रश्न पूछने हैं... इसकी कोई सीमा होती है। आप किसी एक प्रश्न के 30-40 अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं... क्या आप समझते हैं कि अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।'' तत्पश्चात् जब अगले प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था, तब उपसभापति ने यह निर्णय दिया:

> पिछले प्रश्न में 17 प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न नहीं पूछ सके। मैंने उनके नाम मंत्री को इस अनुरोध के साथ भेज दिये हैं कि वह उनके प्रश्नों के बारे में सभी को लिखित में उत्तर दें। अत: 17 माननीय सदस्य

अपने प्रश्न मंत्री को भेज सकते हैं। मैं एक ही प्रश्न पर पहले ही नौ सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं और 17 नाम और थे। अत: मंत्री उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे।[366]

इस समय अनुपूरक प्रश्नों के मामले में यह प्रक्रिया विद्यमान है कि जिस किसी सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा चुकी है उसे सामान्यत: प्रश्नों के समय के दौरान उस दिन दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाता है। सभापति हाथ उठाने वाले सदस्य को, स्वविवेकानुसार, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं किन्तु वह ऐसे प्रत्येक सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं। सामान्यत: सभापति पहले प्रश्नकर्ता को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की और दूसरे प्रश्नकर्ता को एक तथा अन्य सदस्य (सदस्यों) को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं।

तथापि, एक बार प्रथम प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित रहने पर दूसरे प्रश्नकर्ता को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई और इसी दौरान जब पहला प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित हुआ तब उसे भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। जब सदन में समान प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है, तब पहले प्रश्न के प्रश्नकर्ता को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है और बाद के प्रश्नकर्ताओं को एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।[367]

25 नवम्बर, 2002 को प्रश्नों के समय के दौरान सभापति ने यह टिप्पणी की कि यहां से आगे किसी तारांकित प्रश्न के संबंध में उस सदस्य (सदस्यों) के अतिरिक्त, जिनके नाम से प्रश्न सूची में प्रश्न अंकित है, दो से अधिक सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी ताकि अधिकाधिक संख्या में प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये जा सकें।[367क]

प्रश्नों के समय के दौरान हिन्दी तथा अंग्रेजी से भिन्न किन्हीं अन्य भाषाओं का प्रयोग

यदि कोई सदस्य, जिसके नाम से मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची में कोई प्रश्न दिया गया है, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किन्ही भाषाओं (अंग्रेजी तथा हिन्दी से भिन्न भाषाओं) में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे इस आशय की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए साथ-साथ भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह सुविधा केवल उसी सदस्य को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके नाम से, मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची में प्रश्न दिया गया है। ऐसे मामले में संबंधित सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस दिन प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, उससे पूर्ववर्ती कार्य दिवस को म॰ प॰ 3.00 बजे तक इसकी अग्रिम सूचना दे दे। हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का केवल अंग्रेजी रूपान्तर ही मुद्रित कार्यवाही में सम्मिलित किया जाता है।[368]

एक बार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) ने मूलत: तमिल में पूछे गये प्रश्न का उत्तर तमिल में दिया था। सदस्यों ने यह कहते हुए उस पर आपत्ति की थी कि वे उत्तर को समझने में असमर्थ हैं जोकि अंग्रेजी या हिन्दी में दिया जाना चाहिये था। सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाये जाने के पश्चात् सभापति ने यह विनिर्णय दिया था, ''जब सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो वे माननीय मंत्री से उत्तर प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। सुस्थापित प्रक्रिया तो यह है कि उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जाने चाहिएं।[369]

एक सदस्य ने, जोकि प्रथम प्रश्नकर्ता नहीं था, बंगला में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। जब मंत्री ने बंगला में उसका उत्तर पहले देने की अनुमति मांगी और अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद करने की पेशकश की तब सभापति ने यह कहते हुए कि तब तो इसका कोई अंत नहीं होगा, यह टिप्पणी की थी: ''इस संबंध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रश्न पूछने वाले मूल व्यक्ति को ही ऐसा करने की अनुमति दी जाती और शेष सदस्यों को नहीं'' सभापति ने मंत्री को अंग्रेजी में उत्तर देने का निदेश दिया। थोड़ी देर बाद, एक अन्य सदस्य ने, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले, यह कहा कि एक ऐसे सदस्य को, जो मूल प्रश्नकर्ता नहीं था, किसी प्रादेशिक भाषा में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देकर एक नई मिसाल कायम की गई है और सदस्य ने यह आशा व्यक्त की कि भविष्य में जब कोई सदस्य अपनी मातृ-भाषा में प्रश्न पूछना चाहेगा तो उसे रोका नहीं जायेगा। इस पर सभापति ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई नई मिसाल कायम नहीं की है; बल्कि यह तो एक परिहास था।[370]

जब सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर मंत्री अंग्रेजी भाषा में दे रहे थे, तब प्रश्नकर्ता ने उनसे हिन्दी भाषा में उत्तर देने का अनुरोध किया परन्तु एक अन्य सदस्य ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि उसे हिन्दी भाषा समझ में नहीं आती है। सभापति ने यह विनिर्णय दिया, ''मैं इसे मंत्री पर छोड़ता हूं। वह किसी भी भाषा में उत्तर दे सकते हैं.... मंत्री जिस भाषा में चाहें उत्तर दे सकते हैं।''[371]

प्रश्नों के उत्तरों का समय से पहले प्रचार

प्रश्नों के उत्तर, जो मंत्री सदन में देना चाहते हों, तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिए जायेंगे, जब तक कि वे सदन में न दिए जा चुके हों या सदन के पटल पर न रखे जा चुके हों।[372]

अल्प सूचना प्रश्न

किसी सदस्य द्वारा लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में मौखिक उत्तर दिये जाने के लिए कोई प्रश्न पूरे पन्द्रह दिन (पूर्वत: दस दिन) से कम समय की सूचना पर पूछा जा सकता है।[373] ऐसे मामले में सदस्य को अल्प सूचना पर प्रश्न पूछने का कारण संक्षेप में बताना पड़ता है। यदि प्रश्न की सूचना में कोई कारण नहीं दिया गया है तो वह प्रश्न सदस्य को लौटा दिया जाता है।[374] अल्प सूचना प्रश्न के लिए मानक मुद्रित सूचना प्रपत्र सूचना कार्यालय में उपलब्ध होते हैं।

जहां ऐसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गये हों या जहां एक ही विषय पर दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा अलग-अलग अल्प सूचना प्रश्न दिये गये हों वहां तारांकित प्रश्न की तरह, अल्प सूचना प्रश्न की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए केवल दो सदस्यों, जिनसे पहले सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, के नाम दिए जाते हैं। पूर्वत: ऐसी कोई सीमा नहीं थी। एक बार, 9 अगस्त, 1971 को एक अल्प सूचना प्रश्न चौबीस सदस्यों के नाम से था।

यदि सभापति की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो वह संबंधित मंत्री से पूछ सकता है कि क्या वह अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है और यदि हां, तो किस तिथि को।[375] यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने की स्थिति में हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा बताए गए दिन, ऐसे समय दिया जाता है जो सभापति निश्चित करे।[376] इस आशय की सूचना संबंधित सदस्य (सदस्यों) को भेज दी जाती है। यदि मंत्री अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो इसकी भी सूचना संबंधित सदस्य को भेज दी जाती है।

जहां प्रश्न में उल्लिखित विषय को अविलम्बनीय न समझा जाये वहां सदस्य के अनुरोध पर या अन्यथा, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित सूचना पर प्रश्न को उत्तर के लिए तारांकित अथवा अतारांकित समझा जा सकता है। यदि मंत्री अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में न हो और सभापति की यह राय हो कि प्रश्न इतने पर्याप्त लोक-महत्व का है कि सदन में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए तो सभापति यह निदेश दे सकता है कि प्रश्न को उस दिन की प्रश्न-सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाये, जिस दिन कि नियम 39 के अधीन उसका उत्तर दिया जा सकता हो। तथापि, किसी एक दिन की प्रश्न-सूची में ऐसे एक से अधिक प्रश्नों को प्रथम पूर्ववर्तिता नहीं दी जा सकती है।[377]

प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए स्थापित की गई समिति ने अल्प सूचना प्रश्नों से संबंधित तत्कालीन नियम पर विचार करते हुए, सदस्यों की इस सामान्य भावना पर ध्यान दिया कि विद्यमान प्रक्रिया जिसके द्वारा अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर देने के मामले में मंत्री को अंतिम निर्णय की शक्ति प्रदान की गई है, प्राय: सदस्यों के लिए हानिकर रही है और इसलिए उक्त नियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि

इस संबंध में 'अंतिम प्राधिकार' सभापति में निहित हो सके। इसलिए समिति ने एक मध्य मार्ग के रूप में एक नये उप-नियम [58 (3)] को सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की।[378]

जब किसी अल्प सूचना प्रश्न को गृहीत कर लिया जाता है और उसे कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तब उसे सामान्यत: प्रश्नों के समय के तत्काल पश्चात् या दिवस के तारांकित प्रश्नों के निपटारे के पश्चात् पुकारा जाता है। यदि प्रश्नों के समय को छोड़ दिया गया है या उसका उपबंध नहीं किया गया है तो उसे कार्यावलि की पहली मद के रूप में उत्तर देने के लिए पुकारा जा सकता है और यदि शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए कोई नया सदस्य है या दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि या कोई अन्य उल्लेख आदि है तो ऐसे प्रश्न को उत्तर के लिए उसके तत्काल पश्चात् पुकारा जा सकता है। तथापि, कभी-कभी अल्प सूचना प्रश्न को दिन में इसके बाद भी लिया जा सकता है।

एक बार एक अल्प सूचना प्रश्न को मध्याह्न भोजनावकाश के पश्चात् लिया गया था;[379] एक अन्य अवसर पर उसे म० प० 4.32 पर लिया गया था;[380] और एक बार तो ऐसा प्रश्न अवमानना करने वाले व्यक्ति को धिग्दंड देने के पश्चात् लिया गया था।[381]

साधारणत: अल्प सूचना प्रश्न अल्पावधि के भीतर पूरा कर लिया जाता है, हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जब अल्प सूचना प्रश्न एक घंटे या दो घंटे से भी अधिक अवधि तक चला है।[382]

सामान्यत: प्रथा के अनुसार, एक बैठक में केवल एक अल्प सूचना प्रश्न को उत्तर के लिए रखा जाता है, हालांकि प्रारंभिक वर्षों में ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जब ऐसे एक से अधिक प्रश्नों को रखा गया है और उनके एक-एक करके उत्तर दिये गये हैं।

उदाहरण के लिए 17 नवम्बर, 1965; 6 सितम्बर, 1966; 9 सितम्बर, 1966; 31 अगस्त, 1968; तथा 11 मई, 1978 को उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में दो-दो अल्प सूचना प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था जबकि 10 सितम्बर, 1957 और 3 सितम्बर, 1966 को तीन-तीन तथा 26 जून, 1962 को ऐसे चार प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था।

वह सदस्य, जिसने प्रश्न की सूचना दी है, सभापति द्वारा पुकारे जाने पर प्रश्नों की सूची में उसकी संख्या का उल्लेख करते हुए प्रश्न पूछेगा और संबंधित मंत्री उसका तुरंत उत्तर देगा।[383] अल्प सूचना प्रश्न (प्रश्नों) की सफेद कागज पर एक पृथक सूची मुद्रित की जाती है और ऐसे प्रश्नों पर प्रत्येक सत्र के लिए क्रमिक संख्या दी जाती है। अन्य प्रकरणों में अल्प सूचना प्रश्नों के लिए प्रक्रिया, ऐसे रूपान्तरणों के साथ जिन्हें सभापति आवश्यक या सुविधाजनक समझे, वही होती है जो मौखिक उत्तरों हेतु साधारण प्रश्नों के लिए होती है।[384]

यदि वह सदस्य जिसके नाम पर अल्प सूचना प्रश्न है, अनुपस्थित हो तो उस प्रश्न का लिखित उत्तर सदन के पटल पर रख दिया जाता है।[385] कभी-कभी विशिष्ट प्राधिकार पर उस सदस्य की ओर से जो अनुपस्थित है, किसी अन्य सदस्य को अल्प सूचना प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जाती है। ऐसे मामले में सभापति सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए उस मामले को सदन के समक्ष रख सकता है।[386]

एक बार जब वह सदस्य, जिसके नाम पर अल्प सूचना प्रश्न था, अनुपस्थित था और दूसरा सदस्य उस प्रश्न को पूछना चाहता था तो उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी थी इसलिए उस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया था।[387]

विद्युत मंत्री, श्री पी.आर. कुमारमंगलम के निधन पर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि देने के उपरांत सदन के स्थगित हो जाने के कारण अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका, इसे 24 अगस्त से 25 अगस्त, 2000 के लिए स्थगित कर दिया गया और उसका मौखिक उत्तर दिया गया।[388]

सदन के स्थगन के कारण जब अल्प सूचना प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता तो उस प्रश्न के उत्तर को अगले दिन सभापटल पर रख दिया गया समझ लिया जाता है।[389]

यदि कोई मंत्री किसी अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में संशोधन करना चाहता है तो वह उस प्रश्न को पढ़ेगा जैसाकि किसी तारांकित या अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संशोधन के मामले में किया जाता है।[390]

आधे घंटे की चर्चाएं

सभापति किसी सदस्य को लोक-महत्व के किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने की अनुमति दे सकता है जो हाल में किसी प्रश्न–मौखिक अथवा लिखित–का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी तथ्यात्मक विषय के संबंध में विशदीकरण आवश्यक हो।[391] जो सदस्य ऐसी कोई चर्चा उठाना चाहे, उसकी उस दिन से जिस दिन कि वह चर्चा उठाना चाहता हो, तीन दिन पहले लिखित सूचना देगा और संक्षेप में उस बात या उन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है जिन्हें वह उठाना चाहता हो।[392] तथापि, सभापति संबंधित मंत्री की सहमति से सूचना की कालावधि हटा सकेगा।[393] सूचना कार्यालय में उपलब्ध मानक प्रपत्र पर ही सूचना देना आवश्यक है। सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जानी चाहिए जिसमें उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण दिये गये हों।[394] सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से किया जाना आवश्यक है।[395]

यदि दो से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हों और सभापति द्वारा गृहीत कर ली गई हों तो उनमें से दो सूचनाओं का चयन करने की दृष्टि से लॉटरी द्वारा निर्णय किया जाता है और सूचनाएं उस क्रम में रखी जाती हैं जिस समय-क्रम में वे प्राप्त हुई हैं।[396] (पहली बार 8 मई, 1981 को) आधे घंटे की दो चर्चाओं को सूची में सम्मिलित किया गया था।

यदि सूचना गृहीत कर ली जाती है तो चर्चा आधे घंटे तक ही सीमित रहती है और म॰ प॰ 5.00 बजे से म॰ प॰ 5.30 बजे तक चर्चा की जाती है। यदि उस दिन के लिए रखा गया अन्य कार्य म॰ प॰ 5.00 बजे से पूर्व समाप्त हो जाये तो आधे घंटे का समय ऐसे अन्य कार्य की समाप्ति के समय से आरम्भ होता है। तथापि, यदि सभापति की राय में ऐसी चर्चा आरम्भ करने के समय में परिवर्तन करना आवश्यक या सुविधाजनक हो तो वह ऐसा कर सकता है।[397] किंतु ऐसे भी उदाहरण हैं जब आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की निर्धारित अवधि से भी अधिक समय तक जारी रही।

ब्रिटिश राष्ट्रिकता विधेयक,[397क] नवोदय विद्यालयों और प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संबंध में आधे घंटे की चर्चा लगभग दो घंटे तक चली।[398] बोफोर्स के साथ प्रति-व्यापार करार के संबंध में इस तरह की चर्चा तीन घंटे तक चली थी;[399] बोफोर्स पर आधे घंटे की चर्चा म॰ प॰ 10.28 पर आरम्भ हुई थी जो अगले दिन म॰ पू॰ 3.00 बजे के बाद तक, लगभग पांच घंटे जारी रही थी।[400]

यदि किसी दिन-विशेष को आरम्भ की गई आधे घंटे की चर्चा उस दिन पूरी न हो सके तो उसे संबंधित सदस्य की सहमति से अगले प्राप्य दिन की कार्यावलि में सम्मिलित कर लिया जाता है। किंतु उस दिन की कार्यावलि में ऐसी दो चर्चाओं से अधिक चर्चाएं हर्गिज सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

सदन के समक्ष न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है और न मतदान ही होता है। वह सदस्य जिसने सूचना दी है, एक संक्षिप्त वक्तव्य देकर चर्चा आरम्भ करता है और इसके बाद संबंधित मंत्री संक्षेप में उसका उत्तर देता है। इसके पश्चात् जिन सदस्यों ने सभापति को पूर्व सूचना दे दी हो उन सदस्यों को किसी तथ्यात्मक विषय के और विशदीकरण के प्रयोजनार्थ एक-एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।[401]

अंत में संबंधित मंत्री पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देता है और इसके बाद चर्चा समाप्त हो जाती है।

> एक बार मंत्री (श्री वी॰ वी॰ गिरि) ने ''चर्चा को छोटा'' करने के लिए चर्चा आरम्भ होने से पहले ही एक वक्तव्य दे दिया था। विषय था—समाचार एजेंसी प्रबंध-मंडल और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद के निपटारे के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण की नियुक्ति।[402]
>
> एक अन्य अवसर पर संबंधित मंत्री के अनुरोध पर सदस्यों को पहले प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई और मंत्री ने सामान्य प्रक्रिया से हटकर अंत में उत्तर दिया।[403]
>
> एक दिन आधे घंटे की चर्चा मध्याह्न पश्चात् 7.02 बजे आरम्भ हुई। सूचना देने वाले सदस्यों ने चर्चा आरम्भ की। सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तत्पश्चात् चार अन्य सदस्यों ने प्रश्न पूछे। म.प. 7.39 बजे उपसभाध्यक्ष ने सदन की इस पर सर्वसम्मति की घोषणा की कि चर्चा पर मंत्री के उत्तर को सदस्यों को लिखित रूप में भेज दिया जाये। यह संबंधित मंत्री द्वारा सदन में उत्तर दिये जाने की सामान्य परिपाटी से भिन्न था।[404]

यदि वह सदस्य जिसके नाम से कार्यावलि में आधे घंटे की चर्चा रखी गई है, अनुपस्थित हो तो कोई ऐसा सदस्य जिसने सूचना का समर्थन किया हो, सभापति की अनुज्ञा से चर्चा का सूत्रपात कर सकता है।[405] जिस दिन आधे घंटे की चर्चा नियत हो, उस दिन संबंधित सदस्य के कतिपय अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होने की स्थिति में अनुरोध किए जाने पर या मंत्री के अनुरोध पर या यदि सदन ऐसा निर्णय करे तो, चर्चा को किसी दूसरे दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है।[406]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. नियम 38
2. संसदीय समाचार (2), 6.12.1996 और संसदीय समाचार (1), 9.12.1996
3. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.5.1952, कालम 45 और 47
4. -वही- 19.5.1952, कालम 49-50
5. कानूनी आदेश 9
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.5.1952, कालम 226
7. 10.7.1952 को प्रस्तुत प्रतिवेदन
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.7.1952, कालम 993
9. अधिसूचना सं॰ सी एस 3/52-एल, 11.7.1952 और संसदीय समाचार (2), 15.7.1952
10. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.4.1956, कालम 493-94
11. -वही- 15.3.1954, कालम 2818; 16.3.1954, कालम 2823; 17.3.1954, कालम 3154 और 18.3.1954, कालम 3161
12. संसदीय समाचार (2), 24.3.1961, 11.7.1975, 20.9.1976 और 28.2.1977
13. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.7.1975, कालम 24 और 33-44
14. -वही- 3.11.1976, कालम 3849
15. -वही- 22.11.1962, कालम 2206

16. संसदीय समाचार (1), 18.12.2001 और 19.12.2001

17. 75वें, 100वें, 101वें और 112वें सत्रों के लिए बैठकों की अस्थायी सारणी; संसदीय समाचार (2), 17.3.1971, 16.5.1977

18. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.12.1971, कालम 153-54

19. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.5.1954, कालम 5290; राज्य सभा वाद-विवाद, 22.4.1955, कालम 5584; 21.9. 1955, कालम 3946; 21.12.1963, कालम 4483; संसदीय समाचार (2), 30.7.1971; राज्य सभा वाद-विवाद, 21.3.1974, कालम 142; 12.12.1980, कालम 183; 22.8.1984, कालम 341-42; 30.4.1986, कालम 261-62; 12.8.1986, कालम 443; 6.5.1987, कालम 387; 28.8.1987, कालम 245; और 10.12.1987, कालम 306; संसदीय समाचार (2) 29.7.1998

20. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.7.1952, कालम 2041–43

21. -वही- 30.7.1952, कालम 2360

22. -वही- 23.4.1953, कालम 3908; 28.8.1953, कालम 533; राज्य सभा वाद-विवाद, 13.8.1957, कालम 355; 14.8.1962, कालम 1609; 23.3.1966, कालम 4182; 30.3.1977, कालम 54-55; संसदीय समाचार (2), 13.6.1977, 29.4.1992, 27.7.1992, 26.4.1993 और 18.5.1994

23. संसदीय समाचार (2) 23.4.1997

24. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.6.1980, कालम 197-98; राज्य सभा वाद-विवाद, 24.8.1974, कालम 38 और 51 को भी **देखिए**

25. -वही- 5.9.1991, कालम 394; 6.9.1991, कालम 242-43; और 17.9.1991, कालम 19-20

26. संसदीय समाचार (2), 26.4.1993 और 18.5.1994

27. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.12.1952, कालम 948; 6.12.1952, कालम 949; राज्य सभा वाद-विवाद, 14.6.1962, कालम 2 को भी **देखिए**

28. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.2.1969, कालम 1360

29. -वही- 3.3.1969, कालम 2009–10

30. -वही- 8.12.1978, कालम 144

31. संसदीय समाचार (2), 6.7.1998

32. राज्य सभा वाद-विवाद, 31.7.1986, कालम 1-12; 13.4.1987, कालम 5; 28.7.1987, कालम 1–21; और 22.5.1990, कालम 1–3 और 24.7.2000, पृ॰ 3-4

33. -वही- 2.11.1967, कालम 457–62

34. -वही- 1.9.1981, कालम 1–31

35. -वही- 20.2.1968, कालम 1119–21

36. -वही- 9.12.1968, कालम 3131–33

37. -वही- 24.12.1968, कालम 5423–24

38. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1987, कालम 1–21

39. -वही- 2.11.1991, कालम 1–3

40. -वही- 2.12.1992, कालम 2–4

41. -वही- 8.8.1988, कालम 1–13; 15.3.1989, कालम 3-4; 24.4.1989, कालम 3; 30.4.1990, कालम 7; और 29.11.1991, कालम 2-3

42. -वही- 17.8.1984, कालम 13

43. -वही- 14.3.1990, कालम 1

44. -वही- 18.5.1990, कालम 1–3; और 21.5.1990, कालम 1–6

45. -वही- 27.12.1990, कालम 1–53

46. -वही- 22.2.1991, कालम 1–3

47. -वही- 24.3.1992, कालम 3–8

48. संसदीय समाचार (1), 16.12.1992

49. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.5.1995, कालम 438-598

50. -वही- 21.8.1995, कालम 1–167

50क. -वही- 18.12.2001, कालम 1–12 और 19.12.2001, कालम 1

50ख. -वही- 3.12.2003, कालम 1–11

51. -वही- 31.7.1991, कालम 1–4

52. संसदीय समाचार (1), 24.5.1971

53. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.12.1978, कालम 1–57

54. -वही- 13.7.1979, कालम 1–23

55. -वही- 1.9.1981, कालम 1–41

56. -वही- 23.7.1984, कालम 10

57. -वही- 14.3.1995, कालम 2–35

58. -वही- 23.3.1995, कालम 330–94

59. -वही- 28.3.1995, कालम 1–13

60. -वही- 29.3.1995, कालम 1–2

61. -वही- 31.7.1995, कालम 4–9

62. -वही- 11.12.2001, पृ॰ 1–16 और 186-87

63. -वही- 17.12.1958, कालम 2622; और 24.7.1969, कालम 791-92

64. -वही- 22.4.1958, कालम 26

65. -वही- 26.2.1969, कालम 1482

66. -वही- 9.6.1967, कालम 3109

67. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.5.1971, कालम 22

68. -वही- 7.8.1967, कालम 2464–66 और 2644–48

69. -वही- 8.8.1967, कालम 2682–83

70. -वही- 11.11.1974, कालम 1–20 और 84-85

71. -वही- 23.4.1984, कालम 7

72. -वही- 29.1.1980, कालम 32–33

73. -वही- 20.3.1985, कालम 35; 27.2.1986, कालम 29, 6.3.1986, कालम 33; और 29.7.1986, कालम 31

74. -वही- 5.8.1988, कालम 29

75. -वही- 28.7.1989, कालम 33

76. -वही- 26.12.1989, कालम 30–34

77. -वही- 14.8.1963, कालम 201-03; 4.4.1966, कालम 5311; 6.8.1970, कालम 29–32; 6.8.1974, कालम 30; 26.11.1974, कालम 30–32; 25.5.1976, कालम 30-31; 9.3.1978, कालम 35; 8.8.1978, कालम 39–40; 5.3.1979, कालम 39–40; 16.5.1979, कालम 42; और 5.9.1990, कालम 36

78. -वही- 22.8.1973, कालम 30–31

79. -वही- 27.8.1974, कालम 34

80. -वही- 21.11.1977, कालम 36

81. -वही- 10.9.1981, कालम 34

82. -वही- 10.3.1964, कालम 3719

83. -वही- 18.11.1964, कालम 286

84. -वही- 29.11.1956, कालम 1011; और 26.12.1958, कालम 1752

85. -वही- 6.5.1959, कालम 1899

86. -वही- 1.7.1980, कालम 1; राज्य सभा वाद-विवाद, 4.5.1984, कालम 17 और 193-94 को भी **देखिये**

87. -वही- 20.3.1969, कालम 4888

88. -वही- 28.7.1970, कालम 7-8; राज्य सभा वाद-विवाद, 3.8.1970, कालम 8-9 को भी **देखिये**

89. -वही- 4.8.1970, कालम 25-26

90. -वही- 19.9.1963, कालम 4806; और 20.9.1963, कालम 4972–97

91. -वही- 7.8.1967, कालम 2462–64

92. -वही- 1.6.1967, कालम 16 और 31–36

93. -वही- 31.7.1967, कालम 1293–95

94. -वही- 1.8.1967, कालम 1580–83 और 1936–39

95. -वही- 17.11.1969, कालम 1–6

96. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.8.1974, कालम 34

97. -वही- 27.4.1982, कालम 3–5

98. -वही- 6.11.1987, कालम 1–49; 25.4.1988, कालम 1–10; 5.9.1988, कालम 1–41 और 21.8.1992

99. -वही- 28.2.1956, 25.2.1958, 8.3.1961, 2.3.1963, 26.11.1963, 25.9.1964, 17.11.1964, 6.5.1969, 9.5.1972, 23.3.1974, 27.6.1980, 18.8.1981, 14.3.1985, 22.8.1985, 4.3.1986, 18.7.1986, 12.8.1986, और 14.3.1990

100. -वही- 9.3.1959, कालम 2819–20 और 2998–3017

101. -वही- 9.9.1960, कालम 4105

102. -वही- 24.11.1992, कालम 1–31

103. -वही- 31.7.1974, कालम 2

104. संसदीय समाचार (1), 16.8.1956, 9.3.1970, 15.1.1976, 18.8.1980, 12.5.1986, 6.8.1987, 7.3.1988, 16.8.1990, 2.1.1991; राज्य सभा वाद-विवाद, 1.6.1964 और 15.11.1974

105. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.2.1981, कालम 1–4; संसदीय समाचार (1), 19.2.1981

106. -वही- 11.3.1991, कालम 39

107. संसदीय समाचार (2), 8.8.1995

108. राज्य सभा वाद-विवाद, 8.8.1995, कालम 18–19

109. -वही- 14.3.1990, कालम 1–20; 18.5.1990, कालम 1–17 और 21.5.1990, कालम 1–29

110. -वही- 15.3.1989, कालम 1–30; 24.4.1989, कालम 3–51 और 30.4.1990, कालम 3–7

111. -वही- 1.9.1981, कालम 1–59 और 8.7.1992, कालम 3–51

112. -वही- 1.9.1981, कालम 1–59; 17.8.1984, कालम 1–44 और 8.7.1992, कालम 3–29

113. -वही- 20.12.1978, 13.4.1987, 28.7.1987, 10.7.1992, 13.7.1992, 24.7.1992, 31.7.1992, 7.12.1992, 8.12.1992 और 9.12.1992

114. -वही- 4.12.1978, 13.7.1979, 23.7.1984, 29.7.1987, 30.7.1987, 22.5.1990, 21.7.1992 और 23.7.1992

115. -वही- 24.5.1971, कालम 1–23

116. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.3.1954, कालम 2818; 16.3.1954, कालम 2823; 17.3.1954, कालम 3154; 18.3.1954, कालम 3161; राज्य सभा वाद-विवाद, 18.12.2001 और 19.12.2001

117. -वही- 2.11.1962, कालम 2205–06; 4.12.1971, कालम 153; और संसदीय समाचार (2), 23.11.1962, 19.4.1999, 27.4.2001,19.12.2001

118. -वही- 4.12.1961, कालम 940

119. संसदीय समाचार (2), 18.3.1993

120. -वही- 11.8.1988

121. -वही- 22.12.1993 और 23.12.1993

122. संसदीय समाचार (2), 16.7.1991

123. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.7.1991, कालम 1

124. संसदीय समाचार (1), 19.4.1999 और संसदीय समाचार (2), 19.4.1999

125. नियम 39; संसदीय समाचार (2), 4.7.1996 (सं॰ 35727)

126. संसदीय समाचार (2), 5.5.1998

127. -वही- 30.3.1994

128. नियम समिति का 7वां प्रतिवेदन

129. संसदीय समाचार (2), 12.6.1995

130. -वही- 1.2.1995 तथा 14.11.1995

131. -वही- 6.2.1979

132. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.4.1970, कालम 7; संसदीय समाचार (2), 28.3.2000

133. संसदीय समाचार (2), 7.4.1999

134. -वही- 19.4.1997

135. -वही- 23.4.1997

136. नियम 40

137. नियम 223

137क. संसदीय समाचार (2), 24.9.2003

138. नियम 41

139. नियम 42

140. संसदीय समाचार (2), 14.11.1962 और 17.10.1978

141. -वही- 5.5.1998

142. -वही- 30.3.1994

143. -वही- 14.11.1962

144. नियम 43

145. तारांकित प्रश्न सूची, 12.7.1991 और 10.7.1996 के लिए

146. नियम समिति का 7वां प्रतिवेदन

147. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.5.1995, कालम 356–59

148. संसदीय समाचार (2), 12.6.1995

149. नियम 44

150. संसदीय समाचार (2), 6.7.1992

151. -वही- 10.3.1993

152. नियम 46

153. नियम 47(1)

154. नियम 47(2)(i), 30.5.1995 को यथा-संशोधित

155. नियम समिति का 7वां प्रतिवेदन और संसदीय समाचार (2), 12.6.1995

156. नियम 47(2)(iv)

157. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.11.1968, कालम 459-60

158. नियम 47(2)(ii)

159. नियम 47(2)(iii)

160. नियम 47(2)(v)

161. नियम 47(2)(vi)

162. नियम 47(2)(vii), 30.5.1995 को यथा-संशोधित

163. नियम समिति का 7वां प्रतिवेदन, संसदीय समाचार (1), 30.5.1995 और संसदीय समाचार (2), 12.6.1995

164. नियम 47(2)(viii)

165. नियम 47(2)(ix)

166. नियम 47(2)(x)

167. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.6.1967, कालम 4801–07

168. नियम 47(2)(ix)

169. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.8.1980, कालम 227-28

170. नियम 47(2)(xi)

171. अनुच्छेद 61, 94(ग), 121 और 148

172. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.11.1988, कालम 68

173. -वही- 15.11.1966, कालम 1132–46

174. -वही- 11.8.1980, कालम 52–54

175. -वही- 25.4.2000, पृष्ठ 19-20

176. नियम 47(2)(xii)

177. नियम 47(2)(xii); और राज्य सभा वाद-विवाद, 12.12.1968, कालम 3759–65

178. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.12.1968, कालम 5166; 14.8.1970, कालम 4-5; और 17.6.1977, कालम 4

179. -वही- 6.9.1954, कालम 1412

180. -वही- 8.9.1954, कालम 1678

181. -वही- 20.12.1967, कालम 4768–72

182. -वही- 23.12.1968, कालम 5166

183. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.6.1977, कालम 4

184. -वही- 29.7.1980, कालम 11

185. -वही- 18.3.1985, कालम 9

186. -वही- 6.8.1985, कालम 2

187. नियम 47(2)(xiv)

188. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.8.1968, कालम 4644-45 और 4762-63

189. -वही- 31.7.1972, कालम 18–22; राज्य सभा वाद-विवाद, 17.12.1970, कालम 4 को भी **देखिए**

190. नियम 47(2)(xv)

191. नियम 47(2)(xvi)

192. संसदीय समाचार (2), 2.7.1971 और 1.2.1995

193. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.3.1985, कालम 3

194. नियम 47(2)(xviii)

195. नियम 47(2)(xix)

196. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.4.1953, कालम 4167

197. -वही- 26.11.1952, कालम 286–88

198. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.8.1968, कालम 3201–04

199. -वही- 7.12.1970, कालम 116

200. -वही- 20.5.1970, कालम 18–21

201. नियम 47(2)(xx)

202. नियम 47(2)(xxi)

203. नियम 47(2)(xxii)

204. नियम 48

205. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.5.1959, कालम 1998-99

206. -वही- 5.3.1987, कालम 28

207. संसदीय समाचार (2), 1.2.1995

208. फाइल सं॰ 13/82-क्यू आई

209. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.8.1995, कालम 16

210. नियम 57

211. नियम 49(1)

212. नियम 49(2)

213. नियम 50

214. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.11.1986, कालम 12

215. नियम 50, परन्तुक

216. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.2.1964, कालम 1138-39

217. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1952, कालम 2100

218. नियम 51

219. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 26.11.1969; संसदीय समाचार (2), 7.1.1970

220. संसदीय समाचार (2), 14.5.1974

221. -वही- 17.10.1978

222. -वही- 5.11.1980

223. -वही- 23.11.1993

223क. -वही- 30.6.2003

224. -वही- 14.8.1991; संसदीय समाचार (2), 18.11.1994 को भी **देखिए**

225. -वही- 7.1.1970

226. -वही- 21.1.1975 और 4.4.1975

227. -वही- 16.12.1975 और 12.1.1979

228. -वही- 9.4.1979

229. -वही- 15.10.1980

230. -वही- 9.8.1981

231. -वही- 29.1.1988

232. संसदीय समाचार (1), 30.5.1995

233. संसदीय समाचार (2), 22.6.1995

233क. 6.7.2004 के लिए तारांकित प्रश्न सूची

234. संसदीय समाचार (2), 13.2.1974

235. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.7.1971, कालम-38; 26.2.1973, 30.8.1973, कालम 1-2 और 13.11.1973, कालम 19-20

236. संसदीय समाचार (2), 14.5.1974

237. नियम समिति के कार्यवृत्त, 19.6.1978

238. -वही- 5.11.1980

239. संसदीय समाचार (2), 17.10.1978

240. नियम समिति का 7वां प्रतिवेदन

241. नियम 52

242. नियम 54(1) और (2)

243. नियम 54(2)

244. नियम 45, परन्तुक

245. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.8.1968, कालम 4638-39; 28.11.2001

246. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.4.1953, कालम 2726; 13.5.1954, कालम 6268; राज्य सभा वाद-विवाद, 15.12.1955, कालम 2669; 28.5.1957, कालम 1913; 11.3.1959, कालम 3389; 19.11.1962, कालम 1554; 2.12.1963, कालम 1663; 30.9.1964, कालम 3609; 23.12.1964, कालम 4922; 4.5.1965, कालम 292-93; 10.11.1965, कालम 688; 10.8.1970, कालम 11; 26.5.1971, कालम 30; 12.5.1972, कालम 6; 21.2.1978, कालम1; 24.8.1978, कालम 9; 18.3.1980, कालम 27; 6.8.1980, कालम 11-12; 9.12.1983, कालम 1; 21.1.1985, कालम 2; 25.7.1986, कालम 1; 22.8.1994, कालम 20–31; 26.8.1994, कालम 22–28 और 20.3.1995, कालम 17–30

247. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.5.1972, कालम 3

248. -वही- 22.2.1955, कालम 19-20

249. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.12.1952, कालम 1942; राज्य सभा वाद-विवाद, 18.12.1957, कालम 2978; 11.3 1959, कालम 3389 और 4.5.1965, कालम 293

250. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.3.1985, कालम 20

251. -वही- 6.11.1986, कालम 2

252. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1952, कालम 2071

253. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.12.1963, कालम 3491; राज्य सभा वाद-विवाद, 25.5.1972, कालम 1 और 30.11.1987, कालम 1 को भी देखिये

254. -वही- 20.8.1974, कालम 1

255. -वही- 17.11.1980, कालम 5-6

256. नियम 59

257. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.7.1952, कालम 1215–17

258. -वही- 22.7.1952, कालम 1624

259. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.12.1968, कालम 4445–51

260. नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन के कार्यवृत्त, 24.1.1979

261. संसदीय समाचार (2), 9.4.1979

262. -वही- 1.2.1995

263. -वही-

264. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.3.1982, कालम 7-8

265. -वही- 16.5.1985, कालम 7

266. -वही- 4.5.1964, कालम 1567

267. -वही- 21.11.1968, कालम 671–77

268. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.5.1969, कालम 2473–75; राज्य सभा वाद-विवाद, 29.7.1969, कालम 1323 को भी **देखिए**

269. -वही- 28.11.1972, कालम 6; राज्य सभा वाद-विवाद, 19.3.1985, कालम 1-2, 10.5.1985, कालम 12-13 को भी **देखिए**

270. -वही- 16.5.1985, कालम 5–7

271. कार्यालय ज्ञापन सं॰ 15/85-क्यू-1, 19.7.1985

272. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.2.1986, कालम 3

273. -वही- 30.4.1987, कालम 15-16

274. -वही- 22.11.1973, कालम 26-27

275. -वही- 25.8.2000, पृष्ठ 15

276. नियम 54(2)

277. नियम 58(5)

278. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.12.1981, कालम 21–27

279. -वही- 1.12.1987, कालम 19

280. -वही- 23.8.2001 और 20.11.2001

281. संसदीय समाचार (2), 17.2.1982

282. फा॰सं॰ 3/82-क्यू॰ 1

283. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.2.1982, कालम 161–67; राज्य सभा वाद-विवाद, 4.11.1982, कालम 315 को भी **देखिए**

284. -वही- 9.8.1982, कालम 201-03

285. -वही- 25.7.1967, कालम 357–61

286. -वही-5.6.1998, कालम 267–69

287. -वही- 9.8.1967, कालम 2986

288. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.4.1954; कालम 3599; राज्य सभा वाद-विवाद, 14.12.1954, कालम 1861; 24.2.1955, कालम 327; 18.11.1965, कालम 1814; और 23.11.1965, कालम 2364

289. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.3.1956, कालम 2606

290. -वही- 17.11.1987, कालम 183–86

290क. -वही- 20.12.2002

291. -वही- 21.11.1962, कालम 1944

292. नियम 53

293. नियम 54(2)

294. नियम 53

295. राज्य सभा वाद-विवाद, 2.3.1953, कालम 1416

296. हैण्डबुक, पैरा 11(12)(ii); राज्य सभा वाद-विवाद, 9.3.2000 और 16.3.2000

297. राज्य सभा वाद-विवाद, 29.4.1953, कालम 4311

298. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.8.1967, कालम 1580–83

299. -वही- 29.7.1970, कालम 13-14

300. -वही- 7.8.1972, कालम 1–7

301. -वही- 13.8.1985, कालम 23, 32

302. -वही- 16.11.1987, कालम 17–25

303. -वही- 2.5.1990, कालम 25–30

304. -वही- 20.3.1995, कालम 28–30

305. -वही- 10.5.1995, कालम 11–23

306. -वही- 7.8.1995 कालम 2–5

307. -वही- 26.2.1969, कालम 1482

308. -वही- 8.5.2000, पृष्ठ 162

309. -वही- 16.2.1968, कालम 688–91

310. -वही- 19.2.1968, कालम 970–74; राज्य सभा वाद-विवाद, 29.11.1968, कालम 1858-59; 16.12.1993 कालम 14–16 को भी **देखिये**

311. संसदीय समाचार (2), 30.3.1994

312. नियम 55

313. राज्य सभा वाद-विवाद, 5.12 1980, कालम 1; 11.12.1981, कालम 38-39

314. -वही- 18.3.1987, कालम 27 और 4.5.1987, कालम 26, 31

315. -वही- 27.11.1974, कालम 11

316. -वही- 22.11.1962, कालम 2107 और 5.12.1980, कालम 1

317. -वही- 21.2.1956, कालम 226 और 238–42

318. -वही- 23.12.1957, कालम 3711

319. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.12.1952, कालम 790

320. -वही- 2.12.1953, कालम 990

321. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.2.1954, कालम 344

322. -वही- 19.8.1963, कालम 533

323. -वही- 28.3.1966, कालम 4645 और 4672–74

324. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.7.1952, कालम 1613; 24.7.1952, कालम 1852; और राज्य सभा वाद-विवाद, 23.12.1954, कालम 3177

324क. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.2.2003, पृ॰ 8

325. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.3.1953, कालम 2333; 14.12.1953, कालम 2102; 11.3.1954, कालम 2433; और राज्य सभा वाद-विवाद, 21.4.1955, कालम 5407; और 20.12.2004, पृष्ठ 12 और 24

326. नियम 54(3)

327. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.8.1968, कालम 4638–40

328. -वही- 28.8.1968, कालम 4965-66

329. -वही- 26.4.1995, कालम 2–13; 28.4.1995, कालम 444–46

330. -वही- 17.3.1997, कालम 10-11

331. -वही- 27.3.1995, कालम 1–33

332. -वही- 9.9.1996, कालम 1–20

333. -वही- 14.3.1997, कालम 29–34

333क. -वही- 5.6.1998, कालम 43

334. -वही- 19.3.1997, कालम 22-23

334.क. संसदीय समाचार (2), 3.12.2002

335. नियम 56(1)

336. नियम 56(2)

337. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.9.1964, कालम 3640

338. -वही- 27.8.1965, कालम 1624

339. -वही- 18.8.1967, कालम 4715

340. -वही- 13.2.1968, कालम 57

341. -वही- 11.3.1980, कालम 2

342. -वही- 17.11.1980, कालम 4

343. -वही- 25.11.1980, कालम 159-60

344. -वही- 16.8.1963, कालम 340; और 23.3.1983, कालम 32

345. -वही- 13.2.1968, कालम 56

346. -वही- 19.2.1969, कालम 273-74

347. -वही- 24.2.1969, कालम 926

348. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.2.1954, कालम 311-12

349. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.8.1965, कालम 2; 27.11.1980, कालम 21; और 29.7.1986, कालम 5

350. -वही- 23.7.1985, कालम 21; और 27.4.1988, कालम 7

351. -वही- 27.4.1988, कालम 9–11

352. 'क्वैश्चन इन दी हाउस ऑफ कॉमंस' नामक पुस्तिका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस, सीरीज नं॰ 1 (नवम्बर, 1979)

353. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.11.1987, कालम 17

354. -वही- 21.2.1968, कालम 1372

355. -वही- 17.12.1980, कालम 238, आदि

356. -वही- 23.7.1985, कालम 11 और 24.7.1985, कालम 3

357. -वही- 28.3.1967, कालम 906-07; 24.7.1967, कालम 18-19; 27.7.1967, कालम 728; और 31.7.1967, कालम 1293–95

358. -वही- 31.8.1965, कालम 2030

359. -वही- 19.6.1967, कालम 4583

360. -वही- 20.11.1967, कालम 10; राज्य सभा वाद-विवाद, 23.11.1967, कालम 706 को भी **देखिए**

361. -वही- 6.3.1968, कालम 3384; राज्य सभा वाद-विवाद, 2.5.1968, कालम 697 को भी **देखिए;** 25.7.1968, कालम 679–87; 27.2.1969, कालम 1685 और 17.3.1969, कालम 4146

362. -वही- 26.6.1980, कालम 5–8

363. -वही- 28.7.1980, कालम 1–3

364. -वही- 26.11.1980, कालम 1

365. -वही- 17.12.1980, कालम 238–43, 255–56

366. -वही- 13.8.1997, कालम 9–26

367. -वही- 5.6.1998, कालम 3–6 और 24.7.2000, पृ॰ 12

367क. संसदीय समाचार (2), 27.11.2002

368. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.3.1979, कालम 18–19; संसदीय समाचार (2), 28.3.1979, 17.4.1986 और राज्य सभा वाद-विवाद, 18.12.1980, कालम 10-11

369. -वही- 3.8.1977, कालम 18–23

370. -वही- 20.11.1987, कालम 16–17 और 20

371. -वही- 20.3.1995, कालम 21-22; 4.5.1995, कालम 9–10

372. नियम 59

373. नियम 58(1)

374. नियम 58(4)

375. नियम 58(1)

376. नियम 58(2)

377. नियम 58(3)

378. प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन (नवम्बर,1963), पृ॰ vi

379. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.8.1978, कालम 207

380. -वही- 18.8.1980, कालम 378

381. -वही- 1.6.1990, कालम 2

382. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.8.1952, कालम 4075–96; राज्य सभा वाद-विवाद, 9.8.1971, कालम 121–51; 23.3.1979, कालम 32–70; 30.11.1979, कालम 3465; और 11.8.1980, कालम 44–82

383. नियम 58(5)

384. नियम 58(6)

385. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.12.1954, कालम 3279; और 8.8.1977, कालम 1

386. -वही- 2.9.1957, कालम 2705; और 26.11.1957, कालम 880–82

387. -वही- 26.12.1978, कालम 1–3

388. -वही- 25.8.2000, पृ. 23; संसदीय समाचार (i), 24.8.2000

389. -वही- 15.3.2001 पृ. 191-92

390. -वही- 30.4.1968, कालम 304; 31.8.1968, कालम 5602

391. नियम 60(1)

392. नियम 60(2)

393. -वही- तीसरा परन्तुक

394. -वही- पहला परन्तुक

395. -वही- दूसरा परन्तुक

396. नियम 60(4), राज्य सभा वाद-विवाद, 8.5.1981 कालम 359 और 386

397. नियम 60(1)

397क. राज्य सभा वाद-विवाद, 8.5.1981, कालम 386-438

398. -वही- 8.8.1986, कालम 278-322; 2.12.1987, कालम 362–418

399. -वही- 7.12.1987, कालम 405–84

400. -वही- 29.12.1989, कालम 535, आदि

401. नियम 60(5)

402. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.9.1953, कालम 2577–81

403. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.11.1986, कालम 329

404. -वही- 15.7.1998, कालम 360; संसदीय समाचार (1), 15.7.1998

405. नियम 60(5), परन्तुक

406. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.3.1992, कालम 272; और 3.4.1992, कालम 234